खण्ड-230, अंक-1
शुक्रवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1884
(4 मई, 1962 ई0)

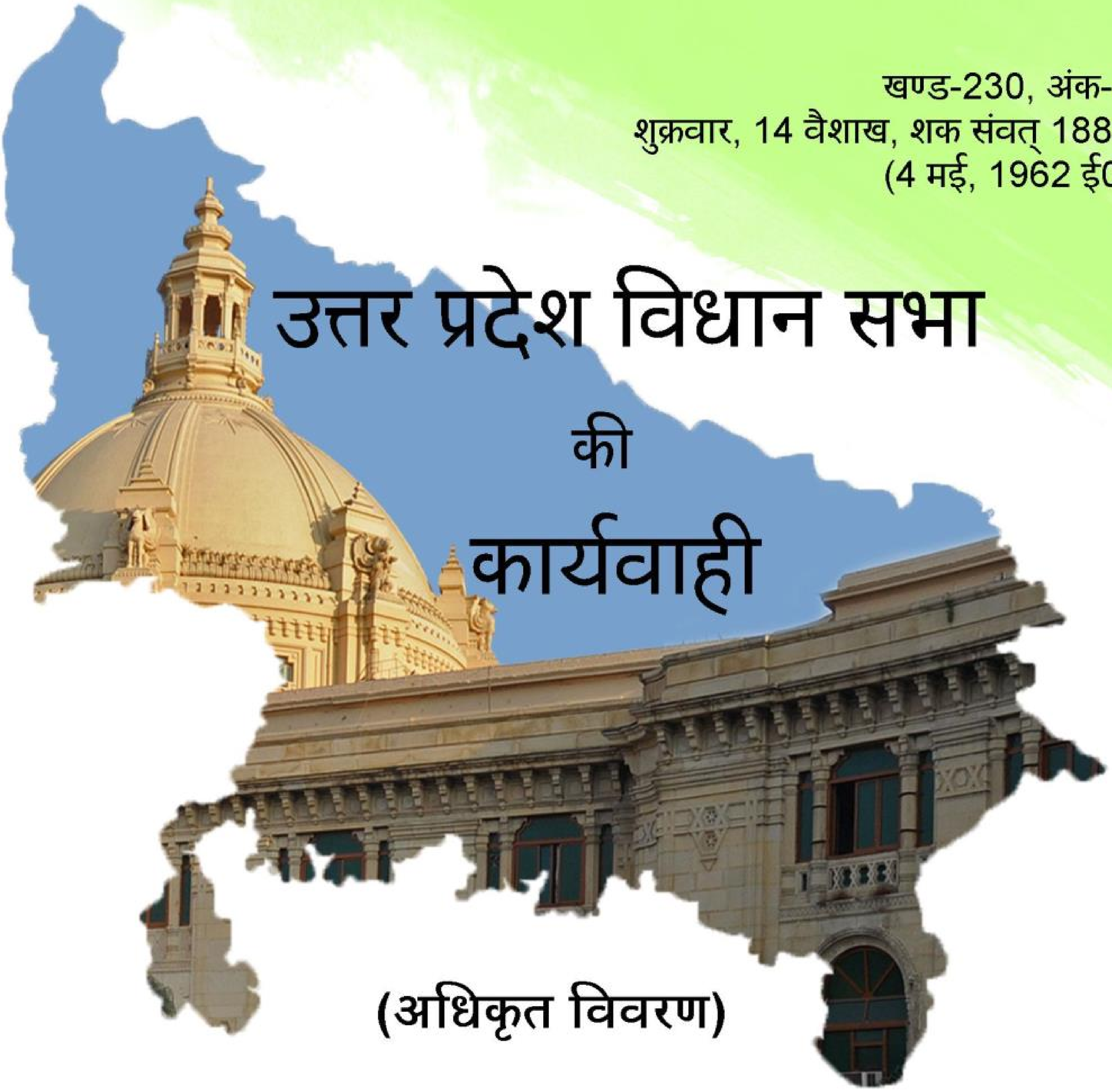

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 230 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-अंक
उपस्थित सदस्य	१-५
प्रश्नोत्तर	५-२७
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	२७-२८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनायें	२८
चमोली, पिठौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिलों में प्रवेश पर परमिट व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	२८-३१
१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १५—पुलिस (जारी)	३१-५३
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५३
१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १५—पुलिस (स्वीकृत)	५३-७९

उत्तराखण्ड विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ४ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८३

अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री

गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालालचौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायणसिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुरहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जलीलअब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
नियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
ताराअग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद. श्री
नत्थाराम, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्दपांडेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकरामशर्मा, श्री

नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भोमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह,
यशपाल
यशोद[illegible], श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री

यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअवार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री

शिवनाथ सिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सान्तिचन्द, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैमराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ४ मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारियों की मांगें

**१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का तृतीय अधिवेशन जो १४, १५ अप्रैल, १९६२ को देहरादून में हुआ है, उसमें पास हुये प्रस्तावों की प्रतियां उन्हें और मुख्य मंत्री को प्राप्त हुई हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—जी नहीं ।

**२—श्री उग्रसेन—क्या सरकार उक्त प्रस्तावों की मांगों पर विचार करते हुये उनके लिये दूसरा पे कमीशन बैठायेगी ?

श्री जयराम वर्मा—चूंकि प्रस्तावों की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिये उन पर सरकार द्वारा विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस तरह से इंगलैंड में ह्विटले कौंसिल बनी है कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिये और केन्द्रीय सरकार ने भी ह्विटले कौंसिल के सिद्धान्त को मान लिया है तो उसी तरह से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिये सरकार स्टाफ कौंसिल के सिद्धान्त को मानेगी ?

श्री जयराम वर्मा—यह एक प्रश्न अलग है । जब इस तरह का सवाल आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अलग से कोई बात की जाय । जब इस प्रकार का प्रश्न सामने आयेगा और विचार करने की जरूरत होगी तो उस समय उस पर विचार किया जायगा ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान मुख्य सचिव के उस सर्कुलर की ओर गया है जिसमें उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों के लिये काम करनेवालों को धमकी दी है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ? तो, इस पर सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—उत्तर में यह बतलाया है कि अभी उनके पास प्रस्ताव नहीं आया है ।

श्री उग्रसेन—जो मुख्य सचिव ने सर्कुलर भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि कोई कर्मचारी सभा न करें, प्रदर्शन न करें और अगर करेंगे तो निकाल दिये जायेंगे, तो क्या मुख्य मंत्री जी उस सर्कुलर को वापस लेने के लिये तैयार हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी नहीं, मैंने अपने भाषण में यह साफ कर दिया था कि सरकारी कर्मचारी यदि उच्छृंखलता का परिचय देते हैं, अपने अधिकारियों को गाली देते हैं, सरकार को गाली देते हैं और ऐसा करके अपनी मांगों को प्रस्तुत करते हैं और वे अस्थायी कर्मचारी हैं तो उनके विरुद्ध वह कार्यवाही की जायगी जिस कार्यवाही का निर्देश मुख्य सचिव ने अपने सर्कुलर में दिया है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पतनई ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

*१—**श्री झारखंडेराय**—क्या राजस्व मंत्री को पता है कि गत १ और २ अप्रैल की रात में पतनई ग्राम (घोसी तहसील, जिला आजमगढ़) में खलिहान में आग लग गई जिसमें ४३ परिवारों का प्रायः ४ हजार मन गल्ला जल कर राख हो गया ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री बृजबिहारी)—जी हां, उक्त अग्निकांड में ५१ परिवारों का लगभग ५० हजार रुपये के अनुमानित मूल्य का गल्ला जल गया ।

*२—**श्री झारखंडेराय**—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वह इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बृजबिहारी—४३ जरूरतमंद पीड़ितों को ८३६ रुपये अहेतुक सहायता के रूप में अब तक बांटा जा चुका है । किसानों के आवश्यकतानुसार तकावी तथा भूसा आदि देने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्तियों को मालगुजारी तथा अन्य सरकारी मतालबों में आवश्यक सहायता देने पर भी जिलाधीश द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलायेंगे कि जो उन्होंने जवाब दिया है कि जिलाधीश द्वारा विचार किया जा रहा है क्या यह विचार किये जाने की प्रक्रिया पिछले एक महीने से, जब कि घटना को एक महीने का समय हो गया, चल रही है ? तो, उस पर अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया गया है यानी क्या सहायता दी जायगी ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—जो उत्तर दिया गया है वह ११-४-६२ के रेडियो ग्राम के आधार पर दिया गया था जो वहां से आया था। मैं फिर दरियाफ्त कर सकता हूं कि क्या और प्रगति हुई है।

श्री झारखंडेराय—क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ५१ परिवारों में कुछ ऐसे परिवार भी हैं कि जिनका कई-कई हजार मन गल्ला जल गया है और वह २०, २२ रुपया सहायता लेना अपनी हालत को देखते हुये उचित नहीं समझते ? तो, क्या सरकार उन के लिये कोई विशेष सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जो गरीब होते हैं उनको सहायता दी जाती है, कोई कम्पेंशेसन नहीं दिया जाता।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इन ५१ परिवारों में से तीन ऐसे हैं कि जिनका सर्वस्व जल गया है ? तो, ऐसे लोगों के लिये क्या व्यवस्था की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—अगर और तरह उनकी माली हालत ठीक है तो फौरी इंतजाम के लिये जो सहायता सब को दी जाती है वही उनको भी दी जा सकती है। हम पूरे नुकसान को कम्पेन्सेट नहीं कर सकते।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—यदि उनको अन्य कोई विशेष सहायता नहीं दी जा सकती, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, तो क्या उनका रबी का पूरा लगान और सिंचाई के ड्यूज माफ करने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—यह तो नियमानुकूल हम करेंगे ही।

खीरी जिले में पी० ई० सी० विभाग के नानगजटेड स्टाफ को वेतन मिलने में विलम्ब

*३—श्री तेजनारायण (जिला खीरी)—क्या शिक्षा मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर-खीरी P. E. C. विभाग के Non-gazetted staff को तीन माह से वेतन क्यों नहीं मिला है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)—कुछ वित्तीय आपत्तियों के कारण ट्रेजरी आफिसर, लखीमपुर खीरी ने कमान्डेन्ट, शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित लखीमपुर खीरी के नान गेजटेड स्टाफ के वेतन के बिलों को पास करने में अपने को असमर्थ पाया। यह आपत्तियां अब दूर हो गई हैं और वेतन वितरित कर दिया गया है।

श्री तेजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस नानगजेटेड स्टाफ द्वारा कोई तार या प्रार्थना-पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री केशभान—कोई पत्र नहीं मिला।

श्री तेजनारायण—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ३ महीने वेतन न पाने पर सरकार ने क्या ध्यान दिया और सरकार ने क्या उपाय किये कि जिससे उनको तनख्वाह समय पर मिल सके ?

श्री केशभान—मैंने बतलाया कि कुछ वित्तीय आपत्तियां थी। उनको दूर करने के लिये अधिकारियों को पत्र लिखे गये। उसके फलस्वरूप आपत्तियां दूर हुईं और वह वेतन वितरित किया जा सका।

*४—श्री जगन्नाथ, (जिला जौनपुर) तथा श्री गया प्रसाद (जिला सीतापुर)—[१८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

[४ मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

शिक्षकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग

*१—श्री बेदराम (जिला एटा) (अनुपस्थित), श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित) तथा श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बतायेगी कि माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के महामंत्री व शिक्षा मंत्री जी के बीच शिक्षकों के संबंध में रखी गई मांगों व आश्वासनों के बारे में १९६१ के अंतिम महीनों से अब तक कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है? शिक्षकों की क्या मांगें थीं और सरकार ने उनमें से किस-किस को माना है?

श्री केशभान—जी हां। महामंत्री, माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश ने शासन से अनुरोध किया है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की मंहगाई भत्ता वृद्धि विषयक मांग शीघ्रातिशीघ्र स्वीकार की जाय। शासन द्वारा इस मांग पर सक्रिय विचार हो रहा है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंच सकेंगे।

श्री बसन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करें कि शिक्षक संघ के महामंत्री द्वारा उन्हें यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था?

श्री केशभान—एक पत्र २५ नवम्बर, १९६१ को प्राप्त हुआ था।

श्री बसन्तसिंह—क्या शिक्षक संघ की तरफ से यह मांग पहले कभी प्रार्थना-पत्र के रूप में नहीं आयी?

श्री केशभान—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने दौरे में, जब वे बाहर गये थे, अध्यापकों को यह आश्वासन दिया था कि उनका मंहगाई भत्ता सरकारी कालेजों के अध्यापकों के बराबर इस बजट में कर दिया जायेगा? यदि हां, तो उसकी व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गयी?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, केवल यह कहा गया था कि इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या यह सही है कि माननीय शिक्षा मंत्री के मुकाबिले में इलेक्शन में जो शिक्षक संघ का व्यक्ति खड़ा हुआ था उसे यह आश्वासन देकर बिठा दिया गया था कि उनकी यह मांग पूरी कर दी जायेगी।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि शिक्षक संघ के महामंत्री की मांगें उनके पत्र में क्या-क्या हैं?

श्री केशभान—मांग यह है कि असरकारी विद्यालयों के अध्यापकों का मंहगाई भत्ता राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के बराबर कर दिया जाय।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—इस मंहगाई भत्ते पर जो विचार सरकार कर रही है वह विचार कब तक चलता रहेगा ?

श्री केशभान—यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, मगर आशा की जाती है कि इस पर शीघ्र ही विचार हो जायेगा ।

तीन भाषाएं पढ़ाने पर विचार

*२—श्री बेदराम (अनुपस्थित), श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित) तथा श्री बसन्तसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी की उस सिफारिश को लागू करने के लिये क्या कर रही है जिसमें यह कहा गया है कि स्कूलों में तीन भाषायें सिखाई जायं ?

श्री केशभान—अगस्त, १९६१ में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने, नेशनल इन्टीग्रेशन के संबंध में विचार करते हुये एक सिफारिश यह की कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर तीन भाषायें पढ़ाई जायें । इस सिफारिश को राज्य सरकार ने मान लिया है और आगामी शिक्षासत्र से इसे कार्यान्वित करने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है ।

श्री बसन्तसिंह—क्या मंत्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि इन तीन भाषाओं में से कौन कौन सी भाषायें यहां सिखाने के लिये विचार कर रहे हैं ?

श्री केशभान—एक—प्रदेशीय भाषा या मातृभाषा, जहां पर मातृभाषा प्रदेशीय भाषा से भिन्न हो, दूसरी—हिन्दी या हिन्दी भाषाभाषी प्रांत में दूसरी भारतीय भाषा; तीसरे अंग्रेजी या अन्य योरोपीय भाषा ।

श्री बसन्तसिंह—अभी माननीय मंत्री जी ने जो भाषाओं के नाम लिये वह उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन रिपोर्ट से पढ़ दिये । मेरा आशय पूछने का यह था कि वह कौन कौन सी तीन भाषायें रख रहे हैं, उनके स्पष्ट नाम बतायें ?

आचार्य जुगलकिशोर—एक तो अंग्रेजी भाषा होगी, एक हिन्दी होगी, तीसरी भाषा उसमें से होगी जो भाषायें शिड्यूल में दी हुई हैं, उसमें से एक होगी । जहां पर हिन्दी प्रान्तीय भाषा है और वहां कोई और भाषा बोलने वाले लोग हैं तो वे उसे भी ले सकते हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी तीन भाषायें पढ़ाने का विचार सरकार का है ?

श्री केशभान—यह अभी विचाराधीन है ।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि यह रिपोर्ट कब से विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—अगले सेशन से पहले इसका निर्णय हो जायगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी, इन तीन भाषाओं से भिन्न भी किसी भाषा पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, जितनी भाषायें शिड्यूल में दी गई है संस्कृत को लेकर, उनमें किसी भाषा को लिया जा सकता है ।

श्री झारखंडेराय—इन तीनों भाषाओं को कब से पढ़ाया जायगा इसके बारे में राज्य सरकार का अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री केशभान—छठीं क्लास तक जुलाई, १९६२ से इसे कार्यान्वित किया जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की साढ़े तीन करोड़ जनता भोजपुरी बोलती है, इसलिये उस भाषा को भी मिला लिया जाय ?

श्री केशभान—भारतीय संविधान के शिड्यूल में जो भाषायें हैं उन्हीं पर विचार किया जायगा ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—उत्तर प्रदेश की दूसरी प्रदेशीय भाषाओं को पढ़ाने की स्कूलों में व्यवस्था नहीं है । उसके लिये माननीय मंत्री जी क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री केशभान—सूचना की आवश्यकता है ।

कुंवर श्रीपाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे जो तीन भाषायें प्रदेश में रखने का विचार कर रहे हैं उसमें से एक भाषा उर्दू भी है ?

श्री केशभान—मैंने बताया कि भारतीय संविधान में जितनी भाषायें हैं वे सभी हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि भाषाओं पर जो विचार वह कर रही है, वह विचार वह इस जुलाई के पहले हो जायगा या ६३/६४ की जुलाई तक विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा है कि अगली जुलाई तक विचार हो जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई निर्देशन या सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है ?

श्री केशभान—सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के सुझाव, इंटीग्रेशन कमेटी और मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उन सब को दृष्टि में रखते हुये, इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी सोशलिस्ट पार्टी के इस सुझाव को मान लेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में से अंग्रेजी को निकाल दिया जाय ।

श्री केशभान—जी नहीं ।

श्री गेंदासिंह—क्या राज्य सरकार इस पक्ष में है कि भारत सरकार को वह इस बात की सिफारिश करे कि वह अंग्रेजी को हटाने के लिये मान जायगी अगर उर्दू, हिन्दी और संस्कृत को रहने दिया जाय ? इन चारों में से अगर अंग्रेजी को हटा दिया जाय तो क्या उनको कोई एतराज नहीं होगा ?

श्री केशभान—इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री झारखंडेराय—अभी कुछ दिनों पहले इसी सदन में शिक्षा मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि अंग्रेजी का पढ़ाना दर्जा ३ से शुरू हो जायगा लेकिन आज जवाब दिया गया कि तीन भाषाओं को पढ़ाने का काम दर्जा ६ से शुरू किया जायगा । इन दोनों में से कौन-सा उत्तर ठीक है ?

आचार्य जुगलकिशोर—तीसरी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था इस व्यवस्था से भिन्न है । वह उन सब विद्यार्थियों के लिये है जो आगे चल कर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं । वे छठवें दर्जे से पहले भी यानी तीसरे और चौथे से भी पढ़ सकते हैं जिससे उन्हें अंग्रेजी का अभ्यास हो जाय । लेकिन अंग्रेजी लेते वक्त विद्यार्थियों को यह कंपलसरी नहीं होगा कि वह पास ही हों । इस प्रकार यह केवल सुविधा दी जा रही है ।

कमिश्नरी कार्यालयों के पुनस्संगठन पर विचार

*३—श्री मन्नालाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित) तथा श्री कृष्णपाल सिंह (जिला रायबरेली)—क्या वर्तमान कमिश्नरियों के पुनर्गठन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो वह क्या है ?

श्री बृजबिहारी—कमिश्नरियों की संख्या में या उनके क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

कमिश्नरियों के कार्यालयों के पुनर्संगठन के संबंध में निम्नलिखित मामले सरकार के विचाराधीन हैं:—

(१) आयुक्तों के आशुलिपिकों के १० पदों (जो कि १००–२४० के वेतन-क्रम में हैं) में से १ पद को २५०–३०० के विशेष वेतन क्रम में सृजन करना ।

(२) झांसी तथा कुमायूं खंडों के आयुक्तों के कार्यालय अधीक्षकों के पदों को मुख्य सहायक के पदों में क्रमोन्नत करना ।

(३) आयुक्तों के कार्यालयों के कुछ न्यायिक अभिलेखों के नष्ट करने का समय निर्धारित करना ।

*४—श्री मन्नालाल (अनुपस्थित) तथा श्री कृष्णपालसिंह—क्या सरकार प्रदेश में कोई नयी तहसीलें वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो वे कौन-कौन सी हैं तथा उन पर कितना-कितना खर्च होगा ?

श्री बृजबिहारी—वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में सरकार का कोई नई तहसील खोलने का विचार नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*५—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—[१८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६–८—श्री ऊदल—[१८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले के कुछ गांवों में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की प्रार्थना

*९—श्री रामसुन्दर—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के दुवारी मधुबन, बीबीपुर, परशपुर, रघौली एवं मझवारा गांवों में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री केशभान—प्रश्न में उल्लिखित गांवों में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामसुन्दर—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों पर लड़कियों के लिये इस वक्त कोई जूनियर हाई स्कूल है या नहीं है ?

श्री केशभान—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लड़कियों के लिये जूनियर हाई स्कूल किस आधार पर किसी स्थान पर खोले जाते हैं ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय आपके पुकारने पर सलाह करने लगते हैं, तो यदि वे पहले ही सलाह करके उत्तर दें तो अच्छा है । आपके पुकारने के बाद उनका ध्यान आकृष्ट होता है वरना वे ऐसे ही बैठे रहते हैं जो अनुचित-सा लगता है ।

श्री अध्यक्ष—आज पहले दिन ही वे हाउस में जवाब दे रहे हैं। इसलिये यह दिक्कत है।

श्री केशभान—जहां आवश्यकता अधिक समझते हैं वहां पर खोले जाते हैं।

श्री रामसुन्दर—जो जिले के स्थान दिये गये हैं, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसकी जांच करायी है कि इन स्थानों पर जूनियर हाई स्कूल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री केशभान—ऐसा तो कहीं से भी लिख कर नहीं आता कि यहां आवश्यकता नहीं है। बल्कि इसी जिले में सरायमीर में एक जूनियर हाई स्कूल जुलाई, १९६२ से खोलने का विचार है।

श्री रामसुन्दर—क्या सरकार फिर बताने की कृपा करेगी कि क्या एक ही जिले में एक ही स्कूल खोलने का निश्चय होता है या आबादी के लिहाज से स्कूल खोले जाते हैं ?

श्री केशभान—एक वर्ष में एक प्लान के अन्दर १२ राजकीय जूनियर हाई स्कूल और ३५ गैरसरकारी जूनियर हाई स्कूल खोले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न और है, जवाब और है। प्रश्न यह है कि आधार उसका क्या है ? यानी जिलेवार आधार पर कन्या पाठशालायें खोली जाती हैं या वहां की आबादी देख कर खोली जाती हैं ?

श्री केशभान—मैंने उत्तर दिया कि राज्य भर के लिये हमारी एक योजना है जिसमें १२ राजकीय और ३५ गैरसरकारी जूनियर हाईस्कूल खोलने की बात है। जिला कोई आधार नहीं है।

श्री रामसुन्दर—क्या शिक्षा मंत्री फिर बतलाने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल खोलने का उनका आधार क्या है ? क्या सीमा है, आबादी के लिहाज से, दूरी के लिहाज से, शिक्षा स्तर के लिहाज से यानी किस आधार पर जूनियर हाई स्कूल खोले जाते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—साधारणतः जूनियर हाई स्कूल खोलने से पहले सरकार अंतरिम जिला परिषद् की राय ले लेती है और यदि उस स्थान को उचित समझती है तो उस पर विचार करके उसी जगह खोलने का निश्चय करती है। तो भी गवर्नमेंट को अख्तियार है कि उनकी राय को न मानते हुये भी जो उपयुक्त स्थान हो वहां ही वह स्कूल खोल दे।

देवरिया जिले में टेस्ट वर्क पुनः चलाने की प्रार्थना

*१०—श्री रामसुन्दर—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में सन् १९६२ में भीषण ओला पड़ने के कारण खेती की बर्बादी हुई है और सरकार की ओर से कौन-कौन सहायता प्रदान की गई है ?

श्री बृजबिहारी—संबंधित सूचना सदन में २ अप्रैल, १९६२ को दी जा चुकी है।

*११—श्री रामसुन्दर—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में टेस्ट वर्क हो रहा है ?

श्री बृजबिहारी—इस समय जिला गोरखपुर और अलीगढ़ में टेस्ट वर्क चल रहे हैं।

श्री रामसुन्दर—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़, देवरिया आदि जिलों में टेस्ट वर्क बन्द हो जाने के कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आजमगढ़ में अप्रैल के पहले हफ्ते में टेस्ट वर्क शुरू हुआ लेकिन ७ अप्रैल तक उसे बन्द कर देना पड़ा क्योंकि हारवेस्टिंग में वहां लोग मशगूल हो गये और काम पर नहीं आ सके।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जिले की किस-किस तहसील में टेस्ट वर्क चलाया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—महाराजगंज और फरेंदा।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी देवरिया में टेस्ट वर्क बन्द करने का कारण बतायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां नुकसान कम हुआ था, उसकी जरूरत नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या इस की सूचना मंत्री जी को है कि ६,००० मजदूर प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में टेस्ट वर्क पर काम कर रहे थे ? तो उसी वक्त काम बन्द करने की क्या जरूरत हो गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस संबंध में अपने वक्तव्य में मैंने बता दिया था कि वहां कुछ मजदूरी की अदायगी में दिक्कत हुई इस लिये वहां बन्द कर दिया गया और जैसा कि मैंने २, अप्रैल को अपने वक्तव्य में भी कहा था कि बमुकाबले और जिलों के देवरिया में ओलाबारी से नुकसान कम हुआ है।

श्री गेंदासिंह—यह क्षेत्र जहां कि टेस्ट वर्क पर६,००० मजदूर काम कर रहे थे वह रबी का क्षेत्र नहीं है बल्कि वह खरीफ का क्षेत्र है। तो वहां ओलाबारी हुई या नहीं इस को जाने दें, लेकिन वहां ६,००० मजदूरों के आने का मतलब ही यह है कि वह इतनी गिरी दशा में हैं कि वह इतनी कम मजदूरी पर भी काम करने के लिये तैयार हैं, क्या इस को समझते हुये मंत्री जी इस विषय में विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय सदस्य चिट्ठी लिख देंगे तो हम विचार करेंगे।

पूर्ण नशाबन्दी लागू करने की जानकारी

*१२—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा), **श्री बेदराम**, **श्री हरीशकुमार गंगवार** (अनुपस्थित) तथा **श्री बसन्तसिंह**—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सम्पूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी करने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि जवाब हां में है तो कितने समय में ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूबे में जिन स्थानों पर नशाबन्दी है वहां उसे समाप्त कर के क्या वह दूकानें खोलने का विचार रखते हैं ?

डाक्टर सीताराम—सरकार पीछे किसी भी काम में नहीं जाती, उस का आगे बढ़ने का ही प्रयास जारी रहेगा।

श्री गंगाप्रसाद—जब सरकार का पूरे प्रदेश में नशाबन्दी करने का इरादा नहीं है तो जिन ५-४ जिलों में नशाबन्दी है वहां भी दूकानें खोल दी जायं तो क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप का सुझाव है इस पर वह विचार करेंगे।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित आन्दोलन के ४ प्रमुख प्रोग्रामों में नशाबन्दी भी एक प्रमुख प्रोग्राम रहा है, तो उस गांधी जी से मान्यताप्राप्त उद्देश्य को सरकार कितने साल और लगा कर प्राप्त करना चाहती है ? उसका क्या तखमीना और विचार इस संबंध में है ?

डाक्टर सीताराम—इस संबंध में बराबर प्रयत्न किया जा रहा है और इस प्रदेश के ११ जिलों और ३ प्रमुख धार्मिक स्थानों में सन् १९४८ से मद्यनिषेध योजना लागू है, चरस पर सन् १९४६ से, गांजे पर सन् १९५६ से और अफीम पर १-७-५९ से रोक लगाई गई है और सरकार को इन तीन चीजों से ही इधर डेढ़ करोड़ की हानि होती है।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि शराब बन्दी करने में कितने रुपये का टैक्स उनको दूसरे लोगों पर लगाना पड़ेगा और उस टैक्स की कमी को पूरा करने के लिये क्या-क्या योजना बनाई गई है और वह टैक्स किन लोगों पर लगेगा ?

श्री अध्यक्ष—टैक्स लगाना वित्त मंत्री का काम है और आबकारी मंत्री का काम है राजस्व वसूल करना।

कुंवर श्रीपाल—माननीय मंत्री ने यह कहा कि सरकार आगे जा कर पीछे नहीं आती है तो मैं यह जानना चाहता हूं, मंत्री जी यह बतलायेंगे कि सरकार नशाबन्दी शुरू करने में आगे जा रही है या पिलाने में आगे जा रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—सरकार एक तरफ तो शराब बन्दी करती जाती है लेकिन दूसरी तरफ आमदनी भी बढ़ती जाती है तो ऐसा क्यों है ?

डाक्टर सीताराम—रेवेन्यू बढ़ने का एक कारण तो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा है पापुलेशन का बढ़ना। सरकार के पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार मैं कह सकता हूं कि एक्साइज फीस तो बढ़ी है लेकिन कंजम्पशन प्रोपोर्शनेटली उतना नहीं बढ़ा है, डाउन हुआ है। प्राहीबीशन की ओर इसलिये हम जा रहे हैं कि ज्यादा रेवेन्यू सरकार को जरूर मिलती है लेकिन जनता ज्यादा पीती नहीं है।

प्रतापगढ़ जिले में कुछ नये पुलों की आवश्यकता

*१३—**श्री हरीशकुमार गंगवार** (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चमरारा परइया तथा सई नदियों पर चिलबिना, मधुपुर तथा घुईसरनाथ, जिला प्रतापगढ़ से पुलों के बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी नहीं।

*१४—**श्री हरीशकुमार गंगवार** (अनुपस्थित)—[१० मई, १९६२ के लिये प्रश्न ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बरेली-भुता सड़क के निर्माण की आवश्यकता

*१५—**श्री हरीशकुमार गंगवार** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली-भुता रोड का निर्माण तृतीय पंच-वर्षीय योजना में शामिल है और उसका निर्माण कब तक होगा ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—इस समय इस सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बुलन्दशहर जिले में ओला व टिड्डी से क्षति-ग्रस्त लोगों को सहायता

*१६—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में गत मास में ओला और टिड्डी से फसल को कितना नुकसान हुआ है तथा सरकार ने क्षति-ग्रस्त लोगों के सहायतार्थ क्या कार्यवाही की है ?

श्री बृजबिहारी—जिला बुलन्दशहर में २६० ग्राम ओला वृष्टि से प्रभावित हुए और इनमें रबी का फसल को २ आने प्रति रुपये से लेकर १४ आने प्रति रुपये तक नुकसान हुआ है।

कृषकों के सहायतार्थ ६०,००० रुपये आपद कालीन तकावी के रूप में बांटने के लिये स्वीकृत किये गये और जिनकी फसलों को रुपये में ८ आना से अधिक क्षति पहुंची है, उसका पूर्ण विवरण तैयार किया जा रहा है ताकि मालगुजारी में नियमानुसार छूट दी जा सके।

टिड्डी दल के आक्रमण से ३९९ ग्राम प्रभावित हुये तथा तिलहन, मटर, चारा तथा विशेषकर आम की फसल को क्षति पहुंची। नियमानुसार मालगुजारी में छूट देने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

श्री हिम्मतसिंह—८ आने से लेकर १४ आने तक नुकसान के कितने गांव हैं जो ओलावृष्टि से प्रभावित हुए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह विवरण तैयार किया जा रहा है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि जहां ८ आने से अधिक क्षति हुई है वहां मालगुजारी की वसूली को रोक दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो खुद ही रुक जाती है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—जो घोषणा पहले लगान माफी की थी और जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है वहां पुराना वसूल किया जा रहा है जो माफ कर दिया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर—जिन स्थानों पर ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है और सरकार वहां माफी करने का इरादा करती है तो वहां वह माफी जारी है या वसूली जारी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी भी सूचना की आवश्यकता है।

जिलाधीश, बुलन्दशहर के बंगले पर व्यय

*१७—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि:—

(क) जिला बुलन्दशहर में जिलाधीश का बंगला कब बन कर तैयार हुआ ?

(ख) उक्त बंगले में कितना खर्चा हुआ ?

श्री बृजबिहारी—क—बंगला करीब साल भर हुआ तैयार हो चुका है मगर उसमें अभी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख—अब तक लगभग ४९ हजार रुपये के खर्चा हुआ है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जिलाधीश महोदय उस बंगले में अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्योंकि पानी नहीं है।

श्री काशीनाथ—यह जो बुलन्दशहर में जिलाधीश का बंगला बना हुआ है उसका रकबा कितने एकड़ का है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हिम्मतसिंह—जब कि नगरपालिका का पाइप निकाला जा रहा है तो उसमें नल लगाने में क्या कठिनाई पड़ी जो अब तक नल नहीं लगाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—म्युनिसिपैलिटी के पास पाइप की कमी थी। इसका प्रबन्ध वह नहीं कर सकी। यह दिक्कत आई।

*१८—श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)—[१७ मई, १९६२ के लिये प्रश्न १४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१९-२०—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)—[१८ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

भरथना-विधूना आदि सड़कों के निर्माण की प्रार्थना

*२१—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में भरथना-विधूना, भरथना-असराहार तथा भरथना-सिकौस सड़कें तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में निर्माण के लिये 'ए' वर्गों में रखी गई थीं?

परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री गनेशीलाल)—जी नहीं।

*२२—श्री सहदेवसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त तीनों सड़कें अब 'बी' वर्ग में कर दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों और कब से?

श्री गनेशीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*२३—श्री सहदेवसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे उपरोक्त सड़कें पूर्ण रूप से कब तक बन जायेंगी और इनसे प्रत्येक पर अलग-अलग कितना व्यय होने का अनुमान है?

श्री गनेशीलाल—प्रथम भाग—धनाभाव के कारण कथित सड़कों का निर्माण तृतीय योजना-काल में सम्भव नहीं है।

द्वितीय भाग—व्यय का अभी कोई आगणन तैयार नहीं किया गया है।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी को पता है कि भर्थना-बिधूना सड़क इतनी महत्वपूर्ण समझी गयी थी कि उसको प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया गया था और उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी वह चालू योजनाओं में रखी गयी थी?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—उसका महत्व तो इसी से जाहिर होता है कि जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने पहली प्राथमिकता उसको नहीं दी।

*२४-२५—श्री उग्रसेन—[हटा दिये गये।]

सुल्तानपुर जिले में पुनर्वासन अनुदान का वितरण

*२६—श्री रामबली (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में तहसीलवार कितने भूतपूर्व जमींदारों को पुनर्वासन अनुदान प्रदान किये गये?

श्री बृजबिहारी—जिला सुल्तानपुर में ३१ मार्च, १९६२ तक कुल १३,४०६ भूतपूर्व जमीन्दारों को पुनर्वासन अनुदान प्रदान किया गया, जिनके तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है :—

सदर	..	..	..	..	३१४६
मुसाफिरखाना	..	..	..	..	३,२५४
कादीपुर	..	..	..	..	४,३४४
अमेठी	..	..	..	..	२,६६२
योग				..	१३,४०६

श्री रामबली—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुनर्वास के लिये कोई खास तिथि मुकर्रर की गयी थी कि इस दिन इतने प्रार्थना-पत्र दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सम्भवतः ६ नवम्बर, १९६१ तारीख मुकर्रर की गयी थी ।

सुल्तानपुर जिले में गोमती पर आम घाट पुल का निर्माण

*२७—श्री रामबली—क्या सरकार को ज्ञात है कि सुल्तानपुर जिले में रायबरेली-फैजाबाद रोड पर गोमती नदी में आम घाट पर एक पक्का पुल का नवनिर्माण हो रहा है ?

श्री गनेशीलाल—जी हां ।

*२८—श्री रामबली—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पुल पर निर्माण कार्य की क्या प्रगति है ?

श्री गनेशीलाल—सम्पूर्ण नींव (Foundation) तथा खम्भों (Sub-structure) का कार्य समाप्त हो चुका है । ऊपरी कांकरीट कार्य कुल ५२७ फुट लम्बाई मे से ३३५ फुट में समाप्त हो चुका है । बाकी ऊपरी कांकरीट कार्य से ढूला वगैरह (Centering Shuttering Reinforcement) तैयार है ।

श्री रामबली—माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि यह पुल जनता के लिये कब तक खुल जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—मैं समझता हूं करीब एक वर्ष के अन्दर खुल जायगा ।

*२९—श्री रामकिशोर (जिला बाराबंकी)—[१० मई, १९६२ के लिये प्रश्न ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सहसवान तहसील के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तकावी व लगान की वसूली का स्थगन

*३०—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की तहसील सहसवान में गत वर्षा में भारी सैलाब आने के कारण खरीफ की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद होने से कुओं की तकावी की बकाया वसूली को रबी की फसल तैयार होने तक रोकने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—तहसील सहसवान के जिन ग्रामों में सैलाब के कारण खरीफ की फसल को रुपये में ५० न० पै० या उसके अधिक क्षति हुई है उनमें रबी १३६८ फसल की १,००० रुपये की बकाया तथा खरीफ १३६९ फसली की २६५० रुपये की तकावी की मांग (जिसमें कुओं की तकावी भी सम्मिलित है) उसकी वसूली रबी १३६९ फसली की वसूली होने तक पहले से ही रोक दी गयी है ।

*३१—श्री उल्फतसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की तहसील सहसवान में सन् १९६१ में जिन गांवों की खरीफ की फसल सैलाब के कारण बर्बाद हो गई थी वहां भी इस वक्त लगान वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो जब तक रबी की फसल तैयार न हो जावे तब तक लगान वसूली सरकार रोकने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९६१ में जिला बदायूं की तहसील सहसवान के जिन ग्रामों में सैलाब के कारण खरीफ की फसल को रुपये में ५० न० पै० या उससे अधिक क्षति हुई है उनमें खरीफ १३६९ फसली की मालगुजारी में नियमानुकूल छूट देने का प्रस्ताव है और प्रस्तावित छूट की धनराशि की वसूली फिलहाल स्थगित है। इसके अतिरिक्त उक्त ग्रामों में रबी १३६९ फसली की ३९,८२० रु० १९ न० पै० बकाया मालगुजारी की वसूली रबी १३६९ फसली की वसूली तक पहिले ही रोक दी गई है।

वाराणसी-गाजीपुर सड़क पर पटना के निकट पुल निर्माण की योजना तथा सैदपुर-बहरियाबाद सड़क के निर्माण की आवश्यकता

*३२—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में सैदपुर-बहरियाबाद जो फीडर (Feeder) रोड है उसको बनाने का कब तक विचार कर रही है ?

श्री गनेशीलाल—इस समय इस सड़क के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*३३—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी और गाजीपुर रोड पर पटना के पास कोई पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री गनेशीलाल—जी हां। लगभग ढाई साल में।

*३४—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पटना के पास नये पुल बनाने के सिलसिले में कोई नई सड़क बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उसमें कितनी जमीन ली जा रही ?

श्री गनेशी लाल—जी हां। अभी इसका उत्तर देना सम्भव नहीं, क्योंकि नई सड़क के अभी नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो जवाब दिया गया है उसमें लिखा है कि 'इस सड़क के निर्माण के लिये योजना सरकार के विचाराधीन ही है' ? और यहां बताया गया है कि 'नहीं है'। मैं आपकी इस पर रूलिंग चाहता हूं कि कौन-सा उत्तर ठीक है।

श्री अध्यक्ष—आप समझदार आदमी हैं पढ़ कर देख लीजिये कि 'नहीं' पढ़ना चाहिये या 'हां' पढ़ना चाहिये।

श्री कमला सिंह यादव—क्या सरकार बतायेगी कि सड़क की महत्ता को देखते हुये सैदपुर तहसील में गंगा नदी पर पीपे का पुल बना दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—मैं इस समय ठीक नहीं कह सकता लेकिन जमुनिया तहसील को मिलाने के लिये पीपे का पुल बना दिया गया है। अब मुझे यह पता नहीं कि यह वहां पर पड़ता है या दूसरी जगह पड़ता है।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार इसको देखते हुये कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क नहीं बनी है और न वहां कोई यातायात का साधन है, इस सड़क को तीसरी योजना में शामिल करने की कोशिश करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—यह चीज तो धन की उपलब्धि पर निर्भर करती है, जितना धन उपलब्ध होगा उतनी ही चीजें ली जा सकेंगी।

चम्पावत तहसील में काली नदी पर पंचेश्वर का पुल बनाने की योजना तथा पंचेश्वर-अल्मोड़ा मोटर मार्ग की आवश्यकता

*३५—**श्री खुशीराम**—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला अल्मोड़ा, तहसील चम्पावत के स्थान पंचेश्वर (काली नदी) में पुल बनाने का कार्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह पुल (निर्माण-कार्य) कब शुरू होगा ?

श्री गनेशीलाल—जी हां। इस पुल के निर्माण-कार्य में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि इस सम्बन्ध में कुछ कार्य नैपाल राज्य की सीमा में किया जायगा, जिसके लिये उनकी अनुमति प्राप्त की जा रही है।

*३६—**श्री खुशीराम**—क्या पंचेश्वर (पुलहिन्डोला) से अल्मोड़ा तक मोटर मार्ग बनाने की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं।

श्री खुशीराम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलहिंडोला से लोहाघाट तक कोई योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—श्रीमन्, इसमें दो सवाल हैं। एक तो पुल का है और दूसरा अल्मोड़ा से लेकर पंचेश्वर तक सड़क का है। मैं समझता हूं कि प्रश्नकर्त्ता का तात्पर्य सड़क से है। ३० मील तो सड़क बहुत जल्दी बन जायगी लेकिन ६० मील बचती है जो धन की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

श्री खुशीराम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सड़क कब तक बन जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—श्रीमन्, मैंने कहा कि ३० मील सड़क तो बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जायगी और करीब ८ मील बन गई है। यह सड़क कुल ९६ मील लम्बी है। बाकी ६० मील का प्रश्न है जो धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

जेवर कस्बा के अग्निपीड़ितों को सहायता न मिलना

*३७—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९ अप्रैल सन् १९६१ को कस्बा जेवर में आग लग जाने के कारण जो क्षति हुई थी, उसकी पूर्ति हेतु आग से पीड़ितों को रुपया दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार न देने का कारण बतायेगी ?

श्री बृजबिहारी—जी नहीं। क्योंकि सभी प्रभावित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक थी। सरकारी सहायता का उद्देश्य क्षतिपूर्ति नहीं है बल्कि सचमुच साधनहीनों को ऐसी सहायता देने का है, जिससे दुर्घटना के बाद तत्कालीन कठिन समय में उनका निर्वाह हो सके।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्री जी को सूचना है कि इस क्षेत्र में कितने ही हरिजन बंधुओं के मकान आते हैं जिनके पास खाने-पीने का कोई साधन नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरी सूचना तो अदरवाइज है।

*३८—**श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर)—[१८ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

अतरौली तहसील में ओला-पीड़ितों को सहायता

*३९—**श्री बाबूसिंह** (जिला अलीगढ़)—क्या राजस्व मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिला अलीगढ़ तहसील अतरौली में २४–२५ फरवरी, १९६२ की रात को भयानक ओला वृष्टि हुई जिस की वजह से रबी की फसल लगभग ८० गांव में बिलकुल बर्बाद हो गई है ? यदि हां, तो सरकार ने पीड़ित किसानों की मदद के लिये क्या कदम उठाया है ?

श्री बृजबिहारी—जिला अलीगढ़ की तहसील अतरौली में २४–२५ फरवरी, १९६२ की रात में भयानक ओला वृष्टि हुई जिससे १७५ गांवों में रबी की फसल को क्षति पहुंची। ८९ गांवों में फसल को हुई क्षति की अनुमानित मात्रा रुपये में ५० नये पैसे या इससे अधिक रही तथा शेष में ५० नये पैसे से कम। अतरौली तहसील में क्षतिग्रस्तों को बांटी गई सहायता इस प्रकार है :—

१—अहेतुक सहायता	७५,०००
२—तकावी	१,५०,०००
३—टेस्ट वर्क के लिए	५,०००

इसके अतिरिक्त तीन गांवों में सस्ते गल्ले की दूकानें भी खोली गईं और मालगुजारी में नियमानुसार छूट भी दी जावेगी।

श्री बाबूसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह रुपया किस अनुपात से बंटा है और कितने गांवों में बंटा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह डिटेल मेरे पास नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस प्रकार के दैवी प्रकोपों का मुकाबला करने के लिए फसलों की बीमा की कोई व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वक्त तो नहीं है अभी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान योजना कमीशन के उस सुझाव की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि फसलों की क्षति बचाने के लिए और किसानों को राहत देने के लिए फसलों का बीमा करवाना चाहिए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—धनाभाव के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रुपया वसूल करने जो में भ्रष्टाचार हुआ है और उसके सम्बन्ध में जो आपके पास शिकायतें आयी हैं, उनकी आपने जांच करवायी है ?

श्री अध्यक्ष—पहले यह पूछिये कि इस विषय में कोई भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें आयी हैं।

श्री बाबूसिंह—इसके विषय में आपके पास भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें आयी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री रामसुन्दर—क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जिस रबी की फसल की बर्बादी हुई है उसी की मालगुजारी भी इस वक्त सरकार द्वारा वसूल हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं है।

*४०—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—[१८ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*४१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[१७ मई, १९६२ के लिए प्रश्न १४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जौनपुर जिले में केशोपुर-बधवां सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*४२—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में केशोपुर बधवां सड़क को सरकार पक्की कराने के लिये किसी प्रकार की जांच करा रही है ? यदि हां, तो कब तक सर्वे कर लिया जाने वाला है ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ के बाद इसी सड़क को देखने के लिए पी० डब्ल्यू० डी० के डिप्टी सेक्रेटरी महोदय ने वहां जा कर जनता को आश्वासन दिये थे कि यह सड़क पक्की कर दी जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—इस पर तो नोटिस की जरूरत है।

गाजीपुर में गंगा पर पुल की आवश्यकता

*४३—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार जब राज्य के अन्दर रेल पथ या राष्ट्रीय मार्गों पर पुल (bridge) बनाने की योजना बनाती है तो राज्य सरकार से स्थान के बारे में राय लेती है ?

श्री गनेशीलाल—जी हां।

*४४—श्री कृष्णानन्द राय—क्या राज्य सरकार को पता है कि गाजीपुर में गंगा पर पुल बनाने की मांग अनेक वर्षों से चल रही है ?

श्री गनेशीलाल—जी हां।

श्री कृष्णानन्द राय—क्या राज्य सरकार को डिवीजनल प्लानिंग कमेटी, वाराणसी का १५-१-५९ का रेजोल्यूशन, जिस में कहा है कि "Construction of this bridge is considered to be a vital necessity" और कमिश्नर, वाराणसी का २-२-५९ का डी०ओ० जिसमें उन्होंने लिखा है कि "This is a vital project not only for district Gazipur, but for the whole of eastern U. P, and the State of Bihar." प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या सरकार ने विचार किया है ?

श्री गिरधारीलाल—यह काफी पुराने समय से इस पुल का सवाल चल रहा है। यह एक बहुत बड़ा पुल है और नैशनल हाईवे के ऊपर भी पड़ता है शायद। लेकिन धनाभाव के कारण जबकि और और पुल भी लेने हैं, इसको अभी नहीं लिया जा रहा है।

श्री कृष्णानन्द राय—क्या राज्य सरकार को पता है कि रेलवे बोर्ड के मंत्री ने जनता के एक पत्रक पर यह लिखकर के भेजा है कि यदि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार रोड ब्रिज बनाने का खर्चा बर्दाश्त करने को तैयार हो तो केन्द्रीय सरकार रोड ब्रिज का खर्च देने में सहयोग देगी ?

श्री गिरधारीलाल—इसका तो मुझे पता नहीं लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री से इस प्रश्न के ऊपर कुछ जानकारी करने की कोशश की गई थी कि वह यहां के लिए क्या सोचते हैं तो उन्होंने कहा कि वह इस जगह न पुल बनायेंगे और न कोई लाइन बनाकर देंगे।

गोरखपुर जिले में राप्ती का पुल टूटने के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट न तैयार होना

*४५—श्री झारखंडेराय, श्री उग्रसेन, श्री रामसूरत तथा श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में नवनिर्मित राप्ती पुल के जो दो महराब टूट कर नदी में गिर गये थे और जिनके कारणों की जांच के लिये एक कमेटी बनी थी, उसकी जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं।

*४६—श्री झारखंडेराय, श्री उग्रसेन, श्री रामसूरत तथा श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—यदि हां तो क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी को कायम हुये करीब-करीब डेढ़ साल हो गया और जब यह प्रश्न सदन में पेश किया गया था तो सरकार की ओर से यह उत्तर दिया गया था कि बरसात के बाद उसकी जांच का काम शुरू होगा और जल्दी ही खत्म हो जायगा, तो इसमें इतनी देर क्यों लग रही है, जबकि बरसात खत्म हुये एक साल हो गया ?

श्री गिरधारीलाल—जो प्रश्नकर्ता ने कहा वह बात ठीक है कि सरकार ने कहा था कि तीन महीने के अन्दर इसकी रिपोर्ट सरकार को मिल जायगी, लेकिन जो मानव-शक्ति के बाहर की चीज है उसके ऊपर सरकार या हम क्या कर सकते हैं ? वहां पर खास बात यह हुई कि अपरेंटली जितनी चीजें थीं उनकी जांच पड़ताल तो हुई, डिजाइन देखा और सामान वगैरह देखा, लेकिन जो पुल टूटा था वह करीब २० फुट पानी के नीचे पड़ा हुआ है और जब तक

नोट—तारांकित प्रश्न ४६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कि उसको नीचे से निकाल कर, उसके थोड़े बहुत सामान का विश्लेषण न किया जाय तब तक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए वह जांच अभी अधूरी पड़ी है। इसी बीच में घनानन्द पांडेय, जो अध्यक्ष थे, उनको दो तीन महीने पहले कुछ हार्ट अटैक हुआ। इन सब वजहों से इसमें कुछ देर लगी। उन्होंने जितना कि वह देख सकते थे डिजाइन वगैरह सब देखा और उसका स्पैन भी बगल से देखा कि कितना लोड वह ले सकता था, वह सब ठीक है। अब देखना सिर्फ यह है कि जो मैटीरियल पानी के अन्दर गिरा है वह किस तरह का था और जब तक उसको नीचे से निकाल कर उसका विश्लेषण न किया जाय तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना कठिन होगा। इसलिए एक नतीजे पर पहुंचने में देर हो रही है।

श्री झारखंडेराय—माननीय मंत्री जी की बात से अगर मैं समझूं कि इस जांच-पड़ताल की कार्यवाही करीब-करीब पूरी हो चुकी है और अब इस विषय में जांच करने की कोई जरूरत सरकार नहीं समझती, तो क्या यह बात सही होगी ?

श्री गिरधारीलाल—यह तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस विषय पर चीफ इंजीनियर से कहा गया था कि उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछा जाय तो अभी वहां से इसका कोई जबाव नहीं आया है लेकिन जो मैंने बताया कि जो सामान पानी के अन्दर गिरा हुआ है, उसको निकाल कर देखने का प्रश्न जो है वह अभी सम्भव नहीं हो रहा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार यह बतायेगी कि जैसे नेवी में स्किन डाइवर्स इस्तेमाल करते हैं समुद्र के नीचे से चीजें निकालकर परीक्षण करने के लिए, तो क्या सरकार ने उस प्रकार के स्किन डाइवर्स नेवी से या भारत सरकार से मांगे जो आकर नीचे पड़े हुए मैटीरियल्स की जांच करके जल्दी रिपोर्ट दे सकें ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—इसमें डाइवर्स की तो जरूरत नहीं है। वहां पर जरूरत इस बात की है कि जिस जगह पर पुल के टुकड़े गिरे हैं, वह पूरा स्पैन जो था पुल का वह बीच में से टूट कर पानी के अन्दर गिर गया है, तो उसको चारों तरफ डैम बनाकर, पानी को रोककर उसे देखा जा सकता है। डाइवर का काम तो नीचे गोता लगाकर नीचे से किसी चीज को ऊपर लाने का होता है। जहां तक उस काफर डैम की बात है, ढाई लाख रुपये उसकी लागत आती है। इस बारे में मैंने भी केन्द्रीय सरकार से कहा था लेकिन उससे वह सहमत नहीं हुए और मैं समझता हूं कि वह लागत भी काफी थी।

*४७–४८—श्री जगन्नाथ (जिला जौनपुर)—[१० मई, १९६२ के लिए प्रश्न ८७–८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पी० डब्ल्यू० डी० वर्क चार्ज स्टाफ की मांगों पर विचार

*४९—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १० सितम्बर, १९६० को यू० पी०, पी० डब्ल्यू० डी० इम्पलाइज यूनियन द्वारा पी० डब्ल्यू० डी० वर्क चार्ज स्टाफ की बाबत मांग-पत्र पर दिनांक २२ फरवरी, १९६१ को जो स्मृति-पत्र दिया गया था उन मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गिरधारीलाल—सरकार ने कुछ मांगों को स्वीकार लिया है और शेष में से कुछ विचाराधीन हैं।

*५०—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३ दिसम्बर सन् १९५५ को श्री लक्ष्मी रमण आचार्य की अध्यक्षता में निर्माण विभाग के कर्मचारियों के विषय में सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी की सिफारिश "अनुरक्षण सम्बन्धी निर्माण-कार्य (maintenance works) में लगे हुये कर्मचारियों को जिन की नौकरियां ३ साल से अधिक हो गयी हैं स्थायी कर दिया जाय"। को सरकार ने अमल में लाने के लिये क्या कार्यवाही अब तक की है ?

श्री गिरधारीलाल—वर्क चार्ज स्थापना के कुछ श्रेणियों के कुछ कर्मचारी १-४-६१ से नियमित अधिष्ठान में ले लिये गये हैं।

*५१—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के रोड कर्मचारियों (बेलदारों) का पश्चिमी जिलों में ४५ रुपये माहवार और पूर्वी जिलों में ३५ रुपये माहवार वेतन का जो अन्तर है उसे समाप्त करके वेतन बढ़ा कर समान स्केल करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री गिरधारीलाल—सार्वजनिक निर्माण विभाग में बेलदारों की न्यूनतम मजदूरी दर ३५ रुपये प्रतिमास निश्चित कर दी गई है। जहां कहीं इससे अधिक मजदूरी दी जाती है ऐसा स्थानीय कारणों से किया जाता है।

दोहरीघाट में घाघरा पुल की आवश्यकता

*५२—झारखण्डेराय—क्या सार्वजयनक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि दोहरीघाट में घाघरापुल के निर्माण की योजना की स्वीकृति की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री गिरधारीलाल—राष्ट्रीय मार्गों की तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह पुल सम्मिलित नहीं है।

*५३—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—[१० मई, १९६२ के लिए प्रश्न ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गाजियाबाद को दिल्ली से मिलाने पर विचार

*५४—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या प्रान्तीय सरकार ने ११ मार्च, १९६२ के दैनिक पत्र "स्टेट्समैन" में उस समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्री, श्री लालबहादुर शास्त्री जी, ने १० मार्च को दिल्ली में बोलते हुये कहा कि शीघ्र ही गाजियाबाद को दिल्ली में शामिल कर लिया जायगा? अगर हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समाचार में कितनी सच्चाई है और यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—"स्टेट्समैन" में जो समाचार प्रकाशित हुआ है उससे यह मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार का गाजियाबाद को दिल्ली में मिलाने का विचार है। पर समाचार में इस बात का संकेत नहीं है कि ऐसा शीघ्र ही होने वाला है। अभी इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है और यह नहीं कहा जा सकता कि इस समाचार में कितनी सच्चाई है। अतः प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

बलिया-बैरिया बांध पर बसे गृह-विहीनों को हटाना

*५५—श्री काशीनाथ—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेंगे कि गत दो वर्षों के अन्दर जिला बलिया में भीषण बाढ़ और गंगा के कटान के कारण कितने परिवारों को गृह-विहीन होना पड़ा? और क्या यह सच है कि उनमें से जो सत्तर (७०) परिवार बलिया-बैरिया बांध पर बसे हुए हैं उन्हें सरकार कानूनी कार्यवाही द्वारा वहां से हटाने का प्रयत्न कर रही है? यदि हां, तो सरकार उन्हें निकट के किस ऊंचे स्थान पर बसाने की योजना बना रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लगभग १,०९२ परिवार गृह विहीन हुए जिसमें से आधे परिवार पश्चिमी बलिया के ग्राम कोटी और अंजौरपुर आदि गांवों के तथा शेष परिवार पूर्वी बलिया में बलिया-बैरिया बांध के दक्षिण में स्थिति गांवों के निवासी हैं। इनमें से ७० परिवार उक्त बांध पर बसे हुए हैं। चूंकि बांध सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क यातायात के लिए चौड़ा किया जा रहा है अतः इन परिवारों के अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही हो रही है किन्तु इनको स्थायी रूप से बसाने के लिए बेलाहरी, बहादुरपुर, पिंडारी, घोरहरा, महरे गांवों में जमीन हस्तगत करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

चलौली ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

*५६—श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसील चायल, ग्राम चलौली में २४-३-६२ को खलिहान में आग लगी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम चलोली के खलिहानों में २४ मार्च, १९६२ को नहीं, वरन् २३ मार्च, १९६२ को आग लगी थी।

*५७—श्री नौनिहालसिंह चौधरी—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस अग्निकांड से कितने धन-जन की हानि हुई तथा सरकार ने क्या सहायता दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस अग्निकांड में किसी मनुष्य व पशु की मृत्यु नहीं हुई। अनुमानतः ५०,९०२ रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई। प्रभावित व्यक्तियों में ९५५ रुपया ८१ नये पैसे अहेतुक सहायता तथा १०,००० रुपये तकावी के रूप में बांटा गया।

*५८—श्री शिवचरण—[२९ मई, १९६२ के लिए प्रश्न २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हायर सेकेंडरी स्कूल, पुष्पनगर में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था न होना

*५९—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिला अन्तर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल, पुष्पनगर में उर्दू भाषा पढ़ाने की व्यवस्था न होने के कारण उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उस विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले छात्र न होने के कारण उस विषय में पढ़ाई ठीक से न होने का प्रश्न नहीं उठता।

*६०—श्री दौलतलाल—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय को उर्दू भाषा पढ़ाने के लिये अध्यापक नियुक्त करने हेतु कोई अनुदान प्रदान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं। क्योंकि विषयवार अध्यापक की नियुक्ति के लिए कोई शासकीय अनुदान निर्धारित नहीं है।

ग्राम समाज, रकसरिया की भूमि से आय

*६१—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज रकसरिया, परगना ग्वारिज, जिला गोंडा के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि ग्राम समाज के अधिकार में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१४९.९५ एकड़।

*६२—श्री गिरजाप्रसाद—क्या राजस्व मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उक्त ग्राम समाज के अन्तर्गत जो भूमि ग्राम समाज की है उसमें कितने बीघा भूमि खेती योग्य है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—११९.१५२ बीघा या ७४.४७ एकड़।

*६३—श्री गिरजाप्रसाद—क्या माल मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्राम समाज की सम्पत्ति भूमि से गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने रुपयों की और किस प्रकार से आमदनी हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वर्ष			आय	आमदनी की मद
			रु०	
१९५९–६०	..	..	२१.२५	नीलाम में मछली
१९६०–६१	..	..	२९.७५	मारने का हक ।
१९६१–६२	..	..	१९५.५०	
योग		..	२४६.५०	

*६४–६५—श्री भोखालाल (जिला उन्नाव) तथा श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—[१८ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

*६६—श्री लखीसिंह—[१८ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

*६७—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—[१८ मई, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

*६८–७०—श्री सहदेवसिंह—[१८ मई, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

सी० ओ० सर्किल, बरईगढ़ में चकबन्दी मुकदमों का खारिज किया जाना

*७१—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर, सी० ओ० सर्किल, बरईगढ़ के चकबन्दी अधिकारी ने गत एक वर्ष में कितने मुकदमे अदम पैरवी के कारण खारिज किये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला कानपुर में सी० ओ० सर्किल, बरईगढ़ के चकबन्दी अधिकारी ने गत एक वर्ष में ३६१ मुकदमे अदम पैरवी में खारिज किये ।

सूर्यबंसन पुरवा तथा गोड़ियन पुरवा के अग्निपीड़ितों को सहायता

*७२—श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार को पता है कि गोंडा जिले की तहसील तरबगंज में उगरी बेगमगंज ग्राम के सूर्यबंसन पुरवा में १ –२ मार्च, १९६२ की रात में आग लग जाने से लगभग २५ घर जल कर खाक हो गये और सैकड़ों व्यक्ति असहाय अवस्था में हो गये हैं ? अब तक उक्त अग्नि पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूर्यबंसन पुरवा में १–२ मार्च को कोई अग्निकांड नहीं हुआ। यहां ३१ मार्च को १२ बजे दिन में आग लगी थी। इस दुर्घटना में केवल १४ परिवारों के घर जले थे। प्रभावित परिवारों को २८० रुपये अहेतुक सहायता के रूप में बांटे गये। आवश्यकतानुसार तकावी देने के लिये भी उचित कार्यवाही की जा रही है।

*७३—श्री शीतलाप्रसाद—क्या सरकार को पता है कि गोंडा जिले की तहसील तरबगंज में बरौली ग्राम के गोड़ियन पुरवा में २४–२५ फरवरी, १९५२ की रात में आग लग जाने से लगभग १३ परिवारों के घर जल कर भस्मीभूत हो गये और इन दुखी परिवारों के लोग हवा व धूप में बाहर पड़े हुये हैं ? क्या उन्हें अब तक सरकार से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गोड़ियन पुरवा में आग २४–२५ फरवरी को नहीं बल्कि २६ मार्च को लगी थी। इसमें १४ परिवारों के घर जले थे। प्रभावित परिवारों को २४० रुपये अहेतुक सहायता के रूप में बांटे गये।

*७४—**श्री शीतलाप्रसाद**—क्या सरकार उपरोक्त दोनों गांवों के दुखी परिवारों को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त गांव समाज या वन विभाग द्वारा कन्सेशन रेट पर लकड़ी दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन दोनों ग्रामों के प्रभावित व्यक्ति रियायती दर पर जंगल से लकड़ी लाने को तैयार नहीं है क्यों कि उनके गांव से जंगल लगभग ४० मील दूर है और ग्राम समाजों के पास मकान बनाने के लिये पर्याप्त लकड़ी उपलब्ध नहीं है।

*७५—**श्री प्रेमसिंह** (जिला बहराइच)—[७ मई, १९६२ के लिये प्रश्न २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७६—**श्री प्रेमसिंह**—[१७ मई, १९६२ के लिये प्रश्न १४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

शामली–मेरठ सड़क पर कृष्णा नदी के कबरौत पुल के पुनर्निर्माण पर विचार

*७७—**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर तहसील, कैराना में शामली से मेरठ जाने वाली सड़क पर जो कृष्णानदी पर ग्राम कबरौत के पास पक्का पुल बना हुआ था वह अब से चार साल पहले टूट गया था ? उसको बनाने की व्यवस्था सरकार कब कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*७८—**श्री विजयपालसिंह**—क्या सरकार को यह पता है कि पुल जब से टूटा है उस समय से अब तक कुछ नाव वाले बगैर सरकारी आज्ञा के वहां नाव चलाते है और यात्रियों से मन माने पैसे वसूल करते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की ?

श्री गिरधारीलाल—पुल के टूटने के पश्चात् ग्राम पंचायत, कबरौत ने अस्थायी पुल का ठेका एक ठेकेदार को दिया जो जाड़ों में नाव का पुल बनाता है और वर्षा ऋतु में फेरी का प्रबन्ध करता है। वर्त्तमान प्रबन्ध या ठेकेदार के संबंध में सरकार के पास कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता है।

*७९—**श्री विजयपालसिंह**—क्या सरकार जब तक उक्त नदी पर पुल बने उस समय तक यात्रियों के पार आने जाने के लिये प्रबन्ध करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—यात्रियों के आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। इस कारण किसी और अस्थायी प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आपसे पूछना यह है कि जो माननीय सदस्यगण आपके यहां प्रश्न भेजते हैं क्या उनके लिये कोई समुचित रजिस्टर भी रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—इसको यहां पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—पूछ तो श्रीमन्, वह प्रश्नों के बारे में सकते ही हैं!

श्री अध्यक्ष—लेकिन उसके लिये यह स्थान नहीं जो वह पूछना चाहते हैं।

श्री रामअधार कनौजिया—३ तारीख को श्रीमन्, मैंने प्रश्न की सूचना दी है लेकिन वह न तो आपके यहां कार्यवाही रजिस्टर में देख पड़ता है और न कोई पता ही उसके बारे में चलता है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जाइये। इसको यहां नहीं पूछा जा सकता।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये थे। एक माननीय चन्द्रबलीसिंह जी का था जो नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है। दूसरा माननीय गेंदासिंह जी का है। एक और शायद माननीय नरसिंह नारायण जी का है।

श्री उग्रसेन—वह बहुत आवश्यक है और ठीक है, स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष—अगर उग्रसेन जी को अधिकार होता कि वह निर्णय दें तो यह मंजूर हो सकता था। इस तरह से बार-बार बीच में बोलना कोई शोभा की बात नहीं है।

माननीय गेंदासिंह जी के प्रस्ताव की जब मेरे पास सूचना आयी तो मैंने उनसे बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि सम्भव है उसको किसी दूसरे रूप में कल दिया जा सकेगा, लेकिन मेरी समझ में कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

माननीय नरसिंह नारायण जी ने नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा के हेतु इसी प्रकार का प्रस्ताव भेजा है। इस संबंध में मुझे विचार करना पड़ेगा कि जब सदन में गन्ना विकास के संबंध में और शकर उद्योग के संबंध में चर्चा दो-चार दिनों में होने वाली है तो कहां तक उचित होगा कि नियम ५३ के अन्तर्गत विशेष रूप से उसके लिये समय सुरक्षित किया जावे। अभी इसके संबंध में मैंने विचार नहीं किया है। इसके ऊपर विचार करके अपना निर्णय कल दूंगा।

चमोली, पिठौरागढ़ तथा उत्तरकाशी जिलों में प्रवेश पर परमिट व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने आज जिस सूचना को स्वीकार किया है वह माननीय टम्बरेश्वरी प्रसाद जी का है। मैं उसे सदन के सामने पढ़ता हूं—

"सरकार द्वारा चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जिलों में प्रवेश पर परमिट व्यवस्था लागू कर दी गयी है। साथ ही साथ तिब्बत से व्यापारी समझौते की अन्तिम तिथि भी निकट आ गयी, इन तिथियों के कारण उपरोक्त जिलों का व्यापार ठप-सा सो गया है। जिससे वहां के व्यापारियों एवं जन समुदाय में घबराहट व्याप्त है। साथ ही साथ उपरोक्त जिलों में सरकार द्वारा पंचमांगी तत्वों के सक्रिय प्रचार को रोकने की कोई सख्त कार्यवाही न होने से वह इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश के ऐसे भाग की, जो ऐसे देशों के निकट है, जिनसे युद्ध के से संबंध हैं, ऐसी विषम स्थिति के कारण प्रदेश भर में चिन्ता व्याप्त है। लोक महत्व के इस

सुनिश्चित विषय पर आपके द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं"।

जैसा कि आदरणीय सदस्यगण समझ गये होंगे और मुझे इस बात का सन्तोष है कि माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी स्वयं इस बात का अनुभव करते हैं कि यह प्रश्न उन सीमा प्रदेशों का है कि जिनसे हमारे संबंध दुर्भाग्यवश अच्छे नहीं हैं, और इस सदन के आदरणीय सदस्य गण ने अब इधर जो वक्तव्य और जो बहस लोक सभा में हुई है उसका भी अवलोकन किया होगा; ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं, यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री इस संबंध में वक्तव्य इस सदन के समक्ष देंगे, लेकिन हमें यह स्मरण रखना है कि ऐसे प्रश्न न हों कि जिनका उत्तर देने से हमें लाभ न हो और एक ऐसे राष्ट्र को लाभ हो जिससे हमारे संबंध इस समय बहुत सन्तोषजनक नहीं है। माननीय सदस्य, मुझे आशा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य इस विषय पर देने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि सरकार ने चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये परमिट की प्रणाली जारी की है। इस संबंध में स्थिति का स्पष्टीकरण इस प्रकार है।

भातर सरकार ने उत्तराखण्ड डिवीजन के तीन जिलों के संबंध में क्रिमिनल ला अमेंडमेण्ट ऐक्ट, १९६१ की धारा ३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दो विज्ञप्तियां जारी की हैं, जो ३१ मार्च, १९६२ के सेन्ट्रल गजट में प्रकाशित हुई थीं। इन विज्ञप्तियों का प्रभाव यह होगा कि इन तीनों जिलों में कोई ऐसा वक्तव्य अथवा रिपोर्ट तैयार करना, प्रकाशित करना अथवा परिचालित करना, जो इस क्षेत्र में सार्वजनिक शान्ति या आवश्यक सप्लाई अथवा सेवाओं के बनाये रखने या भारत की रक्षा अथवा सुरक्षा के हित के प्रतिकूल हो या जिसके प्रतिकूल होने की सम्भावना हो, एक ऐसा दंडनीय अपराध होगा जिसके लिये तीन वर्ष तक की सजा दी जा सकती है और जुरमाना भी किया जा सकता है।

यह इन जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश-तिब्बत सीमा के किनारे की एक बहुत ही तंग पट्टी के लिये ऐसे व्यक्तियों को, जो सामान्यतया वहां के निवासी न हों, उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से एक परमिट लेना आवश्यक होगा। इस पट्टी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में केवल उत्तरकाशी जिले का भटवारी सब-डिवीजन (उत्तर काशी टाउन का नोटिफाइड एरिया छोड़कर) बदरीनाथ तक जाने वाली सड़क और अश्वमार्ग को छोड़कर चमोली जिले का जोशीमठ सब-डिवीजन, और पट्टी मल्ला असकोट को छोड़कर पिथौरागढ़ जिले का मुंसियारी और धारचूला सब-डिवीजन सम्मिलित है। इस प्रकार यह विदित होगा कि जिले के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों बदरीनाथ और केदारनाथ ऐसे तीर्थ स्थानों को इस क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है जिससे कि इन स्थानों में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न होने पाये। उपर्युक्त क्षेत्र के निवासियों के लिये यह व्यवस्था पहले ही कर दी गई है कि उनको परमिट लेना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त १९५४ के चीन-भारत समझौते के उपबन्धों के अधीन जब तक वे लागू रहें, अथवा यात्रा संबंधी किसी ऐसे लेखों पर जो तिब्बत की यात्रा के लिये यथावत् प्राधिकृत हों, तिब्बत जाने वाले तीर्थ यात्रियों या परम्परागत भारतीय व्यापारियों अथवा उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद तथा विधान मंडल के सदस्यों एवं ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को परमिट लेने से मुक्त कर दिया गया है। नोटीफाइड एरिया के विशेष महत्वपूर्ण स्थानों के मार्ग में पड़ने वाले कई स्थानों पर परमिट जारी करने का प्रबंध किया जा रहा है और कुछ अधिकारियों को परिमिट जारी करने के संबंध में विशेष अधिकार दे दिये गये हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि स्थानीय जनता तीर्थ यात्रियों और व्यापारियों को कम से कम असुविधा न हो, सीमावर्ती क्षेत्र की सरक्षा के व्यापक हित में ये विज्ञप्तियां जारी की

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

गयी हैं। प्रवेश करने के संबंध में ये प्रतिबन्ध १ जून, १९६२ से लागू होंगे और कुछ प्रकार के प्रचार को रोकने के संबंध में उपबन्ध पहले ही से लागू कर दिये गये हैं। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा २ के उपबन्ध गत वर्ष ऐक्ट के पास होने पर लागू हो गये जिनके अनुसार भारत की राज्य क्षेत्रिक अखंडता (territorial integrity) तथा सीमाओं (frontiers) के संबंध में की गयी आपत्ति जो भारत की सुरक्षा तथा हितों के प्रतिकूल हो, दंडनीय है।

ध्यान आकृष्ट करने के प्रस्ताव (calling attention motion) में जो यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इन विज्ञप्तियों से व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है या पंचमांगीय तत्वों का सक्रिय प्रचार रोकने के लिये कुछ नहीं किया गया है, वह स्पष्टतया सही नहीं है। अन्य बातें, जो नोटिस में तिब्बत के साथ व्यापारिक समझौता समाप्त होने के बारे में उठायी गयी हैं, उनके संबंध में निर्णय करने का अधिकार पूर्ण रूप से केवल भारत सरकार को ही है। हमने समझौते के नवीकरण की सम्भावना के बारे में सरकारीतौर पर कोई बात नहीं सुनी है किन्तु सदस्यों ने उक्त विषय पर संसद में किये गये वाद-विवाद संबंधी प्रतिवेदनों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये वक्तव्यों को देखा होगा। आमधारणा यह है कि यदि यह समझौता समाप्त हो गया तो विदेशों को यात्रा करने के संबंध में जो सामान्य उपबंध हैं वे लागू हो जाने चाहिये। जैसा इस सदन को भली-भांति विदित है। हमने उत्तराखण्ड के विकास के लिये एक विस्तृत योजना हाथ में ली है जिसमें विशेष रूप से उद्योगों और बागवानी के विकास की योजनायें, राज्य के अन्य भागों से संचार साधन स्थापित करने, परिवहन का सुधार करने और पशु पालन आदि का विकास करने की योजनायें सम्मिलित हैं। इन सभी कार्यकलापों से उक्त क्षेत्र में लोगों को रोजगार पाने के अवसर मिलते हैं। यद्यपि संक्रमणकालीन कठिनाइयां हो सकती हैं फिर भी अन्ततः स्थानीय लोगों के लिये व्यापार पर निर्भर रहना और अपने जीवकोपार्जन के लिये अन्य साधनों को अपनाना सम्भव हो सकेगा। यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि कुल लगभग १,४०० परम्परागत तथा ७०० छोटे-मोटे व्यापारी तिब्बत जाया करते थे और उनमें से कुछ लोगों के ही संबंध में यह कहा जा सकता है कि वे लोग पूर्णरूप से अपने व्यापार पर निर्भर थे।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह जो समझौता हुआ है यह केन्द्रीय सरकार द्वारा लाग किया जा रहा है अथवा प्रान्तीय सरकार द्वारा? अगर केन्द्रीय सरकार से समझौता हुआ है तो क्या यह विषय इस सदन में उपस्थित किया जा सकता है और इस पर वाद-विवाद हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—वह तो भारत सरकार से हुआ है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन यह था कि इसमें जो साधारण बात आप पूछना चाहते हों वह पूछ लें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय उस क्षेत्र की हालत क्या है।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—श्रीमन्, यह विज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार की ओर से है और मैं समझता हूं कि इसमें नैपाल तक का सवाल उठ सकता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या यह सही है कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता, मोटर यनियन तथा बार्डर रोड के जो मजदूर हैं उनको संगठित करके प्रो चाइना का प्रचार कर रहे हैं? ऐसी सूचना है उनके पास।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के पास क्या-क्या सूचना है और वह क्या-क्या कार्यवाही कर रही है उन चीजों को सदन के समक्ष नहीं रख सकती क्योंकि वह जनहित में नहीं होगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि वहां पर कलाकार संघ तथा इसी प्रकार अन्य कलात्मक ढंग से कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार हो रहा है और एक पार्टी को हमेशा सरकार से भी संरक्षण प्राप्त है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई भी व्यक्ति या समुदाय, जो नीति हम उत्तराखण्ड के सिलसिले में बरत रहे हैं, यह हिम्मत नहीं कर सकता कि वह उसके खिलाफ चले और ऐसी कार्यवाही करे जिसका प्रभाव हमारे देश के हितों के विरुद्ध हो। यदि कोई चेष्टा भी करता है तो सरकार उसके लिये सचेत है और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये सदा तैयार रहती है जिसके कारण कोई ऐसी बात करने की धृष्टता नहीं कर सकता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इस प्रकार के विशेष कदम को उठाने की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी ? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वहां जो परिस्थिति है वह तो अखबारों तक में छपी है।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, यह कहा गया कि कोई सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी ?

श्री अध्यक्ष—जो प्रबन्ध है उसके कारण हिम्मत नहीं पड़ेगी, यह बात है।

श्री गेंदासिंह—मैं तो यह सवाल करना चाहता हूं कि आज तक इस प्रकार के कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, इस वक्त कौन-सी विशेष बात आई है जिससे यह कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—देश में ऐसे तत्व भी है जो चीन से ज्यादा हमदर्दी रखते हैं और कोई भी सरकार जो दूरदर्शीत होगी वह सारे अधिकार इस प्रकार के अपने हाथ में, कानून की तहत में, रखेगी कि यदि कोई तत्व इस प्रकार के प्रचार की धृष्टता करें तो वह उनके खिलाफ कार्यवाही कर सके।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—मैं यह पूछना चाहता हूं कि परमिट की आवश्यकता क्या उन यात्रियों के लिये भी होगी जो सीधे रास्ते से यात्रा करते हैं ? या खास-खास लोगों के लिये होंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अपने बयान में अभी बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के यात्रियों को यह असुविधा नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि वह सड़कें और वह स्थान उस कानून की तहत के अलावा रखे गये हैं।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री मुख्य जी बताने की कृपा करेंगे कि ये परिमिट जिस व्यक्ति को दिये जाते हैं उसकी राजनीतिक विचारधारा का पता भी लगा लिया जाता है कि वह किस राजनीतिक दल का है या यूं ही दे दिये जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—परिमिट दिये जाने की व्यवस्था पहली जून, १९६२ से लागू होगी।

१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १५—पुलिस—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के आय-व्ययक पर मतदान होगा। कल माननीय धूमप्रसाद बोल रहे थे। वे अपना भाषण पूरा करेंगे।

---

† ३ मई, १९६२ की कार्यवाही से।

*श्री घूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल अपने विचार पुलिस के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में इस सदन में रखने चाहे, लेकिन समयाभाव के कारण आज मुझे पुनः अवसर मिला है। आज भी पुलिस अपनी पुरानी परम्पराओं के साथ चली आ रही है। अंग्रेजों के जमाने में उनको यह अधिकार दिये गये थे कि राष्ट्रीय तत्वों को उभड़ने न दिया जाय, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनके तौर-तरीके में तब्दीली करना आवश्यक था, परन्तु वह नहीं हुआ। पुलिस आज भी उन्हीं परम्पराओं का अनुसरण करती चली आ रही है। अब इस बदली हुई परिस्थिति में सरकार को चाहिये कि वह इस संगठन को ठीक करे तथा इसके अन्दर प्रेम भाव और सेवा भाव पैदा करे क्योंकि उसका मुख्य कार्य जनता की सेवा करना तथा सुरक्षा करना है। तभी उसमें जनता का विश्वास भी हो सकता है। श्रीमन्, इस संस्था में जनसाधारण का विश्वास नहीं है, बल्कि जनता यह समझती है कि इस संस्था को आतंक और भ्रष्टाचार के लिये कायम कर रखा है।

देवीसिंह डाकू जो मारा गया उससे मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिला झांसी में सोरई निवासियों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कर रखा है? पृथ्वीसिंह का गल्ला खलिहान में जला दिया गया, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी क्योंकि डाकुओं का गिरोह यह जानता था कि उन्हीं की मुखबिरी से वह डाकू मारा गया था।

अब श्रीमन्, मैं अपने क्षेत्र के थानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। थाना इंचार्ज तो यह देखा करते हैं कि कहीं पर कत्ल अथवा डकैती हो जाय तो हमें धन की प्राप्ति हो। उन्हें डकैती और कत्ल के होने पर कोई दुख नहीं होता है, बल्कि बहुत ही आनन्द होता है। अगर कहीं ऐसा कोई केस हो जाता है तो समझा जाता है कि महामारी की बीमारी आ गयी।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं १९६२-६३ की ११,६७,०३,१०० रुपये की पुलिस व्यय की मांग का समर्थन करती हूं। मान्यवर, यह मांग गतवर्ष की मांग से १,११,२९,००० रुपया अधिक है, क्योंकि सरकार ने इस वर्ष कुछ नये थानों को खोलना स्वीकार किया है। मेरा निवेदन है कि पुलिस का व्यय उत्तरोत्तर जितना ही अधिक हो, उतना ही अच्छा है।

मान्यवर, गत वित्तीय वर्ष पुलिस के लिये परीक्षण का वर्ष रहा है। मैं इसको चार पहलुओं से देखती हूं। पहला तो यह प्रदेश में कई स्थलों पर दंगे हुये जिनमें पुलिस ने दक्षता और सतर्कता का परिचय दिया और शांति स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। दूसरी चीज यह है कि आम चुनावों में प्रबन्ध करना कोई साधारण बात नहीं है। उसमें बड़े-बड़े लीडरों के प्रति भ्रमात्मक प्रचार किया जाता है। मैं यह भी मान कर चलती हूं कि पुलिस में कुछ खामियां और गलतियां भी हो सकती हैं परन्तु आमतौर से पुलिस का कार्य प्रशंसनीय रहा। कुंभ के मेले में भी उसका प्रबन्ध प्रशंसनीय रहा है। चौथी बात भी है जिस पर कुछ मतभेद हो सकता है। फिर भी गत वर्ष पुलिस ने ९,९५२ डाकुओं को पकड़ा और ७४ डाकुओं को मौत के घाट उतारा और उसी तरह से अनेकानेक राहजनी और चोरी के केसेज में सफलता प्राप्त की। इसी तरह से बहुत से माननीय सदस्यों में उसकी प्रक्रिया के ऊपर बड़ा भारी मतभेद है डकैती व कत्ल के केस किस तरह से बनाये जाते हैं, सच्चे डकैत और सच्चे कातिल पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते, उसका मुझे भी ज्ञान है। फिर भी पुलिस द्वारा जो कार्य हुआ वह प्रशंसनीय है।

श्रीमन्, १ जनवरी, १९६२ को पुलिस आयोग ने अपनी एक संस्तुति प्रस्तुत की। सरकार ने उसकी मुख्य-मुख्य बातों को स्वीकार किया है और आगे भी उसकी विशेष बातों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

FA 3064
12260

यथासमय पर स्वीकार करने के लिये कटिबद्ध है। आयोग ने पुलिस के वेतन में वृद्धि की सिफारिश की जिसके मातहत सरकार ने सब इन्स्पेक्टर्स, हेड-कांस्टेबिल्स और कांस्टेबिल्स के वेतन में वृद्धि की है जो एक थोड़ा-सा संतोष की दिशा में सरकार का कदम है और वह प्रशंसनीय है। दूसरी चीज यह कि आयोग ने पुलिस की संख्या में वृद्धि की सिफारिश की है जिसके मातहत दो हजार कांस्टेबिल्स और ३५१ सब-इंसपेक्टर्स की वृद्धि की जा रही है। आयोग की सिफारिश के मातहत प्रशिक्षणार्थियों को ८० रुपये प्रति मास की छात्रवृत्ति देने का सरकार ने निश्चय किया है और सर्किल इंसपेक्टर्स के स्थान को समाप्त करके बचत का जो कदम है, यह प्रशंसनीय है और भरती के लिये सरकार ने जो कांस्टेबिलों की योग्यता रखी है वह भी एक अच्छी चीज है। परन्तु, श्रीमन्, सदन के अन्तर्गत बहस के दरमियान बहुत से सम्मानित सदस्यों ने कुछ घटनाओं के प्रति क्षोभ प्रगट किया। मैं यह नहीं कह सकती कि उनके क्षोभ में कोई तत्व नहीं है। यह सत्य है कि बहुत से मामले में पुलिस जानती है कि यह घटना ठीक है, फिर भी अपराधी दंडित नहीं होते। मैं समझती हूं कि प्राण रक्षा के लिये पुलिस का बहुत बड़ा दायित्व है। ईश्वर की सृष्टि में मानव सबसे बड़ी ईश्वर की कृति व देन है। संसार की सारी नियामतें मानव जीवन के लिये है। "आत्मानम् सततम् रक्षेत्।" मनुष्य को अपनी रक्षा हर भांति करनी चाहिये। जब साढ़े सात करोड़ जनता के प्राणों की सुरक्षा का दायित्व सरकार के ऊपर है तो मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि आज जनता को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। परन्तु यह बात भी मैं नहीं कह सकती हूं कि पुलिस कर्मचारी ईमानदार नहीं है बल्कि जो बहुत थोड़े वेतनभोगी कर्मचारी हैं वे इतने वीर हैं कि दूसरों की जानों की सुरक्षा के लिये उन्होंने अपना जीवन दिया है और वे प्रशंसा के योग्य हैं। परन्तु इस विभाग में उनकी पहचान कम है। सदन में हर वर्ष हर सदस्य पुलिस की भर्त्सना करता है। वही पुरानी शब्दावली होती है तथा सरकार का भी वही पुराना (सेट) निश्चित उत्तर।

अन्त में मैं यह समझती हूं कि यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। किसी पक्ष के भी किसी सम्मानित सदस्य ने यह नहीं कहा कि पुलिस का विघटन कर दिया जाय। यानी तोड़ दिया जाये। बल्कि उत्तरोत्तर थाने की मांग की गयी है। तो, श्रीमन्, मुख्य प्रश्न क्या है? मुख्य प्रश्न है पुलिस की दक्षता, कार्यक्षमता और उसके उत्तरदायित्व का। इस दक्षता, कार्यक्षमता और उत्तरदायित्व के लिये वास्तव में जिम्मेदार हैं पुलिस के उच्चतर अधिकारी। वह जन जीवन की सुरक्षा के लिये जिम्मेदार हैं; वे जो कुछ भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं हर तरह से प्रदेश के हर व्यक्ति की रक्षा करने की उनकी जिम्मेदारी है। मैं समझती हूं कि यह जनजीवन की रक्षा अधिकारियों के लिये एक साधना का विषय है, उनको साधना करनी चाहिये और गांधी जी ने जो कहा है कि उनके उन शब्दों को प्रत्येक उच्च अधिकारी को प्रातःस्मरणीय मंत्र की तरह स्वीकार करना चाहिये—

The rule on others without that rule on self is as deceptive as the painted toy mango charming to look at, but empty and hollow from within.

अर्थात् दूसरों पर उन लोगों का शासन करना जिनको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि बनावटी आम देखने में तो सुन्दर लगता है लेकिन वह अन्दर से खाली और नीरस होता है। इसलिये मैं चाहूंगी कि जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं वह पहले अपने ऊपर नियंत्रण रखें और जनता की सेवा, सुरक्षा की जिम्मेदारी को अपना कर्त्तव्य समझें। उनको आत्मवत् सर्व भूतेषु के सिद्धांत पर चल कर जनता जनार्दन में एक आस्था को पैदा करना है। मुझे खेद है कि आज वह आस्था पुलिस के प्रति जो होनी चाहिये वह नहीं है। यह बड़े दुख का विषय है और बड़ी विडम्बना का विषय है कि पुलिस पर से जनता की आस्था उठने लग जाये। मैं निवेदन करूंगी कि पुलिस के कर्मचारियों को हर तरह से शुभ कर्मों के लिये प्रोत्साहन दिया जाय और जो सिपाही बहादुरी के साथ दस्युओं का मुकाबला करने में मारे जायं उन्हें १०,००० रुपये दिये जायें क्योंकि वह वीर पैसे के लिये नहीं मरता है बल्कि देशभक्ति

[कुमारी श्रद्धादेवी]

में मरता है। उसकी बहादुरी को ध्यान में रखकर उसके बीबी बच्चों के लिये, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य के लिये १०,००० रुपया मिलेगा तो उसकी कुछ सहायता हो सकती है। दूसरे, हर थाने पर एक जीप अवश्य होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में ३२ बरस के बाद बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। तब से बड़े-बड़े परिवर्तन हो चुके हैं और बड़े-बड़े दृश्य इस सदन में देखने को आये हैं। एक परिवर्तन यह हुआ है कि जो लोग पहले इधर बैठते थे वह उधर बैठे हैं और जो उधर बैठते थे वह इधर बैठे हैं। जो (स्वराजिस्ट) पहले पुलिस की निन्दा करते थे वह अब तारीफ करते हैं और जो पहले तारीफ करते थे वे अब उसकी निन्दा करते हैं।

श्री अध्यक्ष—कुछ आगे बढ़ गये और कुछ पीछे रह गये।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर—मेरी तो यह बदकिस्मती है कि मैं अपने को वहीं पाता हूं। मुझे वह दिन याद है जब मैंने बजट पर अपनी यहां पहले-पहले स्पीच दी और मि० यंग की तारीफ की। जो उस वक्त पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे और जिन्होंने बड़े-बड़े कष्ट सहकर हरिद्वार से नजीबाबाद तक गंगा में तैरकर, जान जोखिम में डालकर, सुल्ताना भांतू मशहूर डाकू का पीछा किया और उसे गिरफ्तार किया। इस संबंध में मैंने मि० यंग की तारीफ की थी। उस समय मेरे जो स्वराज्य पार्टी के साथी थे उन्होंने इसके लिये मुझे बहुत बुरा कहा और मुझे लानत भी दी कि तुम कैसे कांग्रेसी हो कि तुम एक अंग्रेज पुलिस अफसर की तारीफ करते हो।

श्री अध्यक्ष—अब आप पुलिस के विषय पर आ जायं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—आज भी कुछ पुलिस अफसर जैसे पहले थे मौजूद हैं और मैं उनकी तारीफ करने के लिये खड़ा हुआ हूं, क्योंकि पुलिस की निन्दा तो बहुत हो चुकी। मेरे बहुत से साथी जो सरकार के साथ उधर बैठते थे उनके पुत्र आज अपोजीशन के साथ बैठते हैं और जो इधर थे वह आज सरकार में हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम पुलिस की चाहे जितनी निन्दा करें या आलोचना करें लेकिन मैं अपने साथियों से यह सवाल पूछना चाहता हूंकि अगर पुलिस हमारी रक्षा न करे तो क्या हम यहां आ सकते हैं, और पुलिस सड़क की रक्षा न करे तो हम स्वतंत्रता पूर्वक चल भी नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब यह है कि निन्दा हमने बहुत की लेकिन जहां जरूरत हो तारीफ भी करनी चाहिये। मिस्टर यंग जैसे पुलिस अफसर थे आज भी कुछ वैसे पुलिस अफसर मौजूद हैं। वे न होते तो बड़ी-बड़ी डकैतियां और चोरियां जो होती हैं वे न पकड़ी जातीं। श्रीमती एम०एन० राय का खून हुआ, किस हिकमत के साथ खूनी को पकड़ा गया। देहरादून में एक बड़ी भारी चोरी हुई थी जिसमें दो लाख के जवाहरात की चोरी हुई थी। पुलिस के अफसरों ने बड़ी हिकमत के साथ उसे पकड़ा। वह पुलिस का अफसर एस० पी० वहां न होता तो जो दो लाख के जवाहरात पकड़े गये वे अदालत में पेश न होते, बल्कि कहीं गायब हो जाते। मैं यह भी मानता हूं कि बहुत-सी चोरियों में चोरी का सामान मालिक को नहीं मिलता और चोरी की रिपोर्ट करना ही बेकार रहता है, हालांकि मैं यह बात मजाकन कह रहा हूं। जो सामान चोरी में चला जाता है उसका मिलना मुश्किल हो जाता है। वह न चोर के पास रहता है, न हमारे पास वापस आता है, कहीं और चला जाता है। यह मैं खुद भुगत चुका हूं, मेरे मकान पर दो साल हुए डाका पड़ा। डकैती पकड़ी गयी और माल भी पुलिस को मिला। लेकिन अदालत में मैंने और ही चीजें देखीं, असली चीजें जेवर सोने की घड़ी और अपने कपड़े इत्यादि नहीं देखे। हां, बंदूक जरूर मिल गयी परन्तु पांचों डाकू अदालत

से बरी हुये। इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि इस विभाग को हम कहां तक सुधार सकते हैं। दो रोज से मैं पुलिस के संबंध में सुन रहा हूं कि किस तरह से इसे सुधारा जाय, किस तरह से पुलिस को हम सच्चा सेवक बना सकते हैं? आपको मालूम होगा कि पुलिस को गवाह मिलने में कितनी दिक्कत होती है? जो लोग गवाही देने गये होंगे खून के मामलों में उनको बड़ी दिक्कतें महसूस हुई होंगी। इसीलिये कोई गवाही देने के लिये आसानी से तैयार नहीं होता है। हर आदमी सोचता है कि गवाही से छुटकारा मिल जाय तो अच्छा है। वह सोचता है कि गवाही देने जाऊंगा तो कहीं खुद ही न फंस जाऊं। फिर मुकदमा शुरु होता है, तो ४,६ महीने लग जाते हैं और पता नहीं कब तक गवाही में रहना पड़ेगा। इसीलिये मैंने कहा कि दुनिया आगे बढ़ गयी लेकिन मैं वहीं हूं जहां था। मैंने अपने मेंबर भाइयों के नाम एक बधाई व निवेदन-पत्र निकाला है कि "जनता के वोट से चुने जाने पर हमारा बड़ा दायित्व हो जाता है। यह हम सबका परम और एक मात्र कर्त्तव्य होगा कि हम लोग अपने समाज और स्वदेश की सेवा बिना किसी तरह के पक्षपात और व्यक्तिगत लाभ के लिये करें। हमको एक दूसरे की सहायता अपने कर्त्तव्य पालन करने में करनी होगी। बिना सहयोग के हम अपने देश की सेवा नहीं कर सकेंगे। स्मरण रहे कि हम चाहें किसी भी राजनैतिक दल के सदस्य हों, हम सबका एक मात्र ध्येय अपने देश को आजादी कायम रखना और उसकी आर्थिक व सामाजिक उन्नति करना है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम लोग अपने दायित्व को पूरा करने को तैयार न हों तब तक हमारे पुलिस विभाग या किसी और विभाग पर आक्षेप करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें अपना दायित्व भी पूरा करना होगा। मैं विचार-स्वातंत्र का भक्त हूं। मुझे वह दिन याद है कि इस सदन में जिस कुरसी पर आज आप बैठे हैं, बहैसियत डिप्टी स्पीकर के मैं बैठा हुआ था। विरोधी पक्ष के नेता चिन्तामणि साहब बोल रहे थे और वे फीगर्स पर फीगर्स बतला रहे थे। मैंने उनसे कहा चिन्तामणि जी महोदय हमने फीगर्स तो बहुत सुन लिये, अब फैक्ट्स पर आइये। इस पर वह नाराज हो गये और अपने २३ स्वतंत्र सदस्यों के साथ वाक आउट कर गये। मेरा समय समाप्त होने पर मैं भी बैठ जाता हूं।

श्री रामपाल (जिला देवरिया)——श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह समय दिया कि मैं पुलिस बजट के संबंध में कुछ बातें कहूं। आज यहां १९६२–६३ का जो पुलिस बजट पेश है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अभी कल एक किताब यहां बंटी जिसमें पुलिस के तीन साल के आंकड़े दिये गये हैं और डकैती, राहजनी, हत्या, दंगे, सेंध लगाने का विवरण दिया गया है। आज इधर और उधर, दोनों तरफ के बैठने वालों ने पुलिस की कटु आलोचना की। इस संबंध में जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया, माननीय बलवानसिंह जी, उन्होंने भी काफी आलोचना पुलिस के संबंध में की। मैंने दोनों पक्ष के लोगों की बातें सुनीं। चन्द्रजीत जी यादव ने मलिहाबाद का हवाला देकर यह साबित किया कि वहां एक व्यक्ति हवाई जहाज बनाया गया था, लेकिन आज जो हम बाहर करते हैं उसको भुला भुला कर के सदन के अन्दर पुलिस की आलोचना करते हैं। आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पुलिस की मान मर्यादा को, उसके संगठन को, मजबूत बनाना है तो उसके कार्यों को आपको देखना पड़ेगा।

जिस समय पुलिस में जवानों की भरती होती है, पुलिस के सब-इंस्पेटर्स की भरती होती है, तो चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सब उनको प्रमाण-पत्र देते हैं कि बड़े नेक चलन हैं, बड़े ईमानदार हैं और भरती होने के बाद अगर किसी केस में में वे पकड़े जाते हैं तो अगर विरोधी दल वालों की सिफारिश नहीं चलती है तो हम लोगों से आकर सिफारिश करते हैं कि उच्च अधिकारियों से कह कर इसको बचा दिया जाय। ऐसी बातें आ कर कहते हैं और सदन के अन्दर बैठ कर ऐसी दलील पेश करते हैं कि आज डकैतियां बढ़ रही हैं, कत्ल बढ़े हैं, राहजनी बढ़ी है:

[श्री रामपाल]

माननीय चरणसिंह जी ने यह छूट दी थी कि जो भी थाने में शिकायतें आयें वे सारी रिपोर्टें लिखी जायं। आज वह सारी रिपोर्टें लिखी जाती हैं। मैं मुख्य मंत्री जी और डी०आई० जी० से निवेदन करूंगा कि जो शिकायत लिखाई जाती है अगर वह झूठी साबित हो तो उन लोगों के विरुद्ध केस चलाये जायं। आज जो आंकड़े बढ़े हैं उनकी जांच करनी चाहिये कि कितने जाली मुकदमे लिखाये गये। यहां मलिहाबाद का हवाला दिया गया। मलिहाबाद में आज वह एस० ओ० है जिसे बाराबंकी जिले में लल्लासिंह के कत्ल के समय में आई०जी० पुलिस ने जांच करने के लिये लगाया था। उसने बड़ी ईमानदारी से जांच की और मुलजिमों का चालान किया और आज उन लोगों को बीस-बीस साल की सजायें हुई हैं और उस एस० ओ० के खिलाफ कहा जाता है कि उसने किसी आदमी को हवाई जहाज बना दिया। मलिहाबाद का थाना जिला हरदोई से मिला हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान करें, इस पर विचार करें। एक एस० ओ० मानबहादुर सिंह था, जिन्होंने कहा है कि एस० ओ० ने एक आदमी को हवाई जहाज बना दिया, उन्हीं के नेतृत्व में १९४५ में ३०० आदमियों ने थाना घेर लिया था। तहसीलदार की उस समय हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वह तमाशा देख रहा था। उसने कहा था कि गोली चला दो तब कहीं यह दल हटा था।

उसके बाद गुरुदयालसिंह एस०ओ० मलिहाबाद बस से लखनऊ आ रहा था बस को रोक कर उसके बाल पकड़कर घसीटा गया और मारा गया और १९५७ में नायब तहसीलदार के पास एक फाइल जांच के लिये भेजी गई थी और वहां के बदमाशों के खिलाफ जांच भेजी गई थी। उसके घर से फाइल गायब कर दी गई। इसके बाद राम नरायण, अहमद अली और बाबू कसाई के यहां १९५८ में डकैती पड़ी और जब लोग पकड़े गये तो एक पार्टी के नेता आई० जी०, डी०आई० जी० और एस०एस० पी के पास गये और कहा कि यह तो हमारी पार्टी के व्यक्ति हैं। ये बेगुनाह थे और हमारे पास सो रहे थे। इसके बाद अब्दुल कादिर तथा शमशाद का कत्ल हुआ जिसमें ८ कारतूस इन लोगों को भगाने के लिये दिये गये एस० पी० ने इंक्वायरी की। उसमें एक पार्टी के लीडर की बंदूक ससपेंड हुई है। इसके बाद रहमत को एक साहब ने वल्लम और कांते से मारा और झूठी रिपोर्ट लिखाई कि ८०० रुपये छीन लिये। लेकिन जब उनका उद्घटा चालान हुआ तो आये दिन रोज दरख्वास्तें दी जाती हैं। एक नहीं, पचासों दरख्वास्तें दी गई और हवाई जहाज बनाने का किस्सा बनाया। यह हवाई जहाज बनाये जाने वाले वही महाशय हैं जिनको एक राहजनी के मामले में थाने बुलाया गया था। उस आदमी को बचाने के लिये एस०पी० को इत्तिला की गई कि उसको हवाई जहाज बनाया जाता है। ये कार्यवाहियां हो रही हैं। इन लोगों की बैठक अब उस थाने में नहीं हो पाती है, वहां अब ये दलाल नहीं बैठ पाते हैं और सच्चे मुकदमें लिखे जाते हैं तो हवाई जहाज बनाने की बात की जाती है; कहीं कुछ किया जाता है और कहीं कुछ किया जाता है।

मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के आदमी हमारे और आपके ही लड़के हैं, अगर इनको ऊंचा उठाना है, जरायम रोकने है तो इनकी मदद करनी होगी। अगर कोई पुलिस केस पकड़ती है तो पुलिस मदद देने के बजाय उल्टे गवाहों को तोड़ा जाता है; इस प्रकार से काम नहीं चल सकता है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—मान्यवर, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है—"Nothing is too bad; only one has to get used to it", इसका अर्थ यह है कि कोई भी चीज बहुत बुरी नहीं है, लोगों को केवल उसकी आदत हो जाना आवश्यक है। यह कथन मैं समझता हूं कि भारतीय पुलिस पर पूर्णतया उपयुक्त है। सिवाय इसके कि हम सदियों से इस पुलिस के आदी हो चुके हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार की अकर्मण्य,

क्रूर और भ्रष्ट पुलिस को हम बरदाश्त करते हैं। किसी भी समय देश में ऐसी पुलिस बरदाश्त नहीं की जा सकती [+ + + +]

श्रीमन्, मैं जज तो नहीं हूं, न मुझे केसों का ही अनुभव है। लेकिन २२ वर्ष मैंने गांव में बिताये हैं और इन २२ वर्षों के अन्दर मैं कह सकता हूं कि मेरी जानकारी में, मेरे पड़ोस में एक भी ऐसा मुकदमा नहीं हुआ है जिसमें पुलिस ने निष्पक्ष हो कर या निःस्वार्थ हो कर मामले को चलाया हो या तो वह धन से प्रभावित हुये हैं, या अपने दलालों को खुश करने के लिये कार्यवाही की है या अपने दुश्मनों से बदला लेने की भावना से कार्यवाही की है।

श्रीमन्, मैं स्वंय भी दो बार पुलिस के कोप का भाजन बन चुका हूं। परन्तु आज मैं इस सदन में अपने अनुभवों को बतला कर सम्मानित सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस अपने आप को सर्वोपरि समझती है। पुलिस का मन इतना बढ़ा हुआ है कि वह किसी को भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं है यदि वह उसकी इच्छाओं के विरुद्ध चलने का साहस करे।

कल हमारे माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने पुलिस के विषय में जो कुछ कहा, उसका मैं अक्षरशः समर्थन करता हूं। केवल एक बात में उनसे सहमत नहीं हूं उन्होंने कहा कि पुलिस बड़े आदमियों से मिल कर गरीबों को सताती है। श्रीमन्, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कम से कम इस मामले में हमारी पुलिस बहुत निष्पक्ष है। वह न अमीरों की दोस्त है और न गरीबों की दोस्त है। वह केवल पैसे की दोस्त है। जब उनको अमीरों से पैसा मिल पाता है, तो गरीबों को सताते हैं लेकिन अगर उनको अवसर मिल जाय कि अमीरों को सता कर रुपया मिल सके, तो वह उस अवसर से नहीं चूकते। मेरा मतलब यह है कि अगर उनको आशा हो कि किसी अमीर से हजार दो हजार रुपया मिल सकता है तो उससे लेने की कोशिश करते हैं। मेरे पड़ोस में एक डाका पड़ा था। डाकू पता नहीं कहां गये। लेकिन दूसरे दिन से पुलिस वालों ने जो आतंक फैलाया उसके फलस्वरूप जितना धन. और दूसरी सम्पत्ति डाके में गयी थी उससे कहीं ज्यादा पुलिस वालों ने इकट्ठा की। उन्होंने चुन चुन कर ऐसे आदमियों को फंसाने की कोशिश की जिनसे पैसा मिल सकता था और सबसे पैसा वसूल किया। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि गरीबों से रुपया ले कर अमीरों को फंसाया जाता है।

मैं ज्यादा समय केवल आलोचना में नहीं लेना चाहता और सम्भव है कि यदि केवल आलोचना ही मुझे करनी होती, तो मैं उठता भी नहीं। मैं तो इस सदन का ध्यान विशेष रूप से पुलिस के उस क्रूर ढंग की ओर दिलाना चाहता हूं जिसको थर्ड डिग्री मेथड्स कहा जाता। यह थर्ड डिग्री मेथड्स किसी भी सभ्य देश मे बरदाश्त नहीं किये जा सकते, और अब तो हम भी अपने को सभ्य देशों में गिनने लगे हैं। इस पुरानी परम्परा को दिमाग से निकाल देना चाहिये कि इससे न्याय होता है। जो व्यक्ति अपराधी भी सिद्ध हो जाते हैं, उनके लिये भी कारपोरल पनिशमेंट अब बन्द किया जा रहा है या बन्द किया जा चुका है। लेकिन जो अभी अपराधी सिद्ध भी नहीं हुआ उसको ले जाकर थाने में पीटा जाता है। यह कहां तक हमारे देश के लिये गौरव की बात है? न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जिस पर सन्देह होता है, पूर्ण रूप से कोई अपराध साबित नहीं होता, उसको बेनिफिट आफ डाउट मिलता है। यह माना गया है कि दो तीन, अपराधी व्यक्ति छूट भी जायं परन्तु निरपराध को सजा न हो। परन्तु थानों में ठीक इसका उल्टा होता है। एक अपराधी को पकड़ने के लिये, एक अपराधी को सजा दिलाने के लिये, नौ दस निरपराधियों को ताड़ना दी जाती है, उनको मारा और पीटा जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था यही भ्रष्टाचार का मूल कारण है। जिस प्रकार से माननीय चौधरी चरणसिंह जी ने साहस किया और एक सर्कुलर निकाला कि सभी अपराधों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये और उसका आज हम अच्छा परिणाम देख रहे हैं, उसी तरह से मेरा निवेदन है कि वर्तमान मंत्री

[+++] श्री अध्यक्ष के १७ मई, १९६२ के आदेशानुसार हटा दिया गया।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

जी साहस करके एक सर्कुलर निकालें कि इस प्रकार के थर्ड डिग्री मेथड्स का प्रयोग हमारे प्रदेश में बन्द कर दिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी की अनुमति है, मैं यह भी नहीं कहता कि कानून में इसके लिये कोई गुंजायश है, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि उसको जानबूझकर चश्मपोशी की जाती है। सभी जानते हैं कि थर्ड डिग्री मेथड्स का प्रयोग होता है, फिर भी उसको रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाये जाते। अभी कुछ दिन पूर्व इसी सदन में एक प्रश्न उठाया गया था, और इधर से यह स्वीकार किया गया कि एक स्त्री को एक कांस्टेबिल ने मारा। मारा किसी अपराध के लिये नहीं, किसी सरकारी कार्य के संबंध में नहीं, बल्कि संभवतः उसके कोई निजी कारण रहे होंगे। फिर भी उस कांस्टेबिल के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? केवल यह कि उसके कैरेक्टर रोल में एन्ट्री कर दी जायगी। श्रीमन्, यदि वही रवैया रहा तो मेरा निवेदन है कि थर्ड डिग्री मेथड्स कभी बन्द नहीं होंगे। यदि वह स्त्री किसी माननीय सदस्य के घर की स्त्री हुई होती, उनकी माता, बहन, पत्नी या लड़की होती, और वह इस तरह से मारी गई होती तो क्या वह केवल इस बात से सन्तुष्ट तो जाते कि उस कांस्टेबिल के कैरेक्टर रोल में एन्ट्री कर दी जाय? आप तो समाजवादी बनते हैं, सबके साथ समान व्यवहार की बात करते हैं। फिर क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्यों लोगों की इज्जत की तौल भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है? एक गरीब आदमी, किसान गांव के अन्दर मारा जाता है, उसकी नोटिस भी नहीं ली जाती, कैरेक्टर रोल में एन्ट्री भी नहीं होती। एक गरीब स्त्री लखनऊ के अन्दर मारी जाती है तो उसके कैरेक्टर रोल में एन्ट्री कर दी जाती है। लेकिन यही व्यवहार किसी और दूसरे आदमी के साथ हो तो कोई और सजा होगी। श्रीमन्, मैं अन्त में आपसे केवल दो मिनट और चाहता हूं।

मैं, किसी भी प्रकार से कोई वकालत पुलिस की नहीं करना चाहता। पुलिस बुरी है, उसको ठीक करना है और सबको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिये लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि समाज के किसी इकेले अंग को उन्नति की ओर नहीं ले जाया जा सकता। पुलिस अगर खराब है तो समाज भी खराब होता जा रहा है और इसी कारण पुलिस और खराब होती चली जा रही है। हम आज कहते हैं कि कालेज की विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहते। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि उनके गार्जियन्स कितने अनुशासन में रहते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें पुलिस को ठीक करना है तो हम सबको अपने चरित्र को भी कुछ ऊपर उठाना पड़ेगा पड़ेगा। अभी कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि अपराध बढ़ रहे हैं, इसलिये पुलिस की संख्या बढ़ाई जाय, पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ाई जाय। श्रीमन्, अपराधों के बढ़ने से सभी सशंकित हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि केवल पुलिस वालों की संख्या बढ़ाकर इसकी रोकथाम नहीं हो सकती। जब दिन प्रति दिन समाज विरोधी तत्वों की संख्या बढ़ती चली जा रही है तो हमें इस पर भी विचार करना होगा कि किस तरह से इन तत्वों की वृद्धि रोकी जाय।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जरायम पेशा छोड़ दिये गये हैं इसलिये जुर्म बढ़ रहे हैं। श्रीमन्, पहले तो एक जरायम पेशा हुआ करते थे, अब तो अनेक जरायम पेशा हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं क्या वह जरायम पेशा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि घी में डालडा मिलाकर जो बेचते हैं वह जरायम पेशा नहीं हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो ठेकेदार सीमेंट में ३ और ४ के अनुपात में नहीं बल्कि ९ और १० के अनुपात में बालू मिलाकर सरकारी इमारतें बनाते हैं क्या वह जरायम पेशा नहीं हैं? मैं अन्त में यह भी पूछना चाहता हूं कि जो राजनीतिज्ञ बड़े-बड़े सिद्धान्तों की बातें करते हैं लेकिन अपने निजी स्वार्थों के लिये नीच से नीच काम करने को तैयार हो जाते हैं क्या वह जरायम पेशा नहीं हैं? तो केवल पुलिस के बढ़ाने से ही काम चलने वाला नहीं है। हमें अपने नैतिक स्तर को उठाने की आवश्यकता है और उसके उठाने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं सदन के ४३१ सदस्यों की सबसे अधिक है क्योंकि वे समाज के एक प्रकार से अग्रगामी व्यक्ति हैं यह उनकी जिम्मेदारी है और अगर वे उस जिम्मेदारी को निभावेंगे

तो पुलिस कुछ न कुछ उनका अनुकरण करेगी, अर्थात् जैसा आप करेंगे देश में लोग आपका उसी प्रकार से अनुकरण करेंगे ।

*श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे एक साथी ने रामदेव पांडेय, एस० ओ० मलिहाबाद, के विषय में कुछ बातें बतायीं । मुझे उनके संबंध में पूर्ण जानकारी है । वह गरीब ६, ७ साल मेरे जिले बाराबंकी में रह चुके हैं । मैं यह कह सकता हूं कि कोई संस्था किसी एक व्यक्ति से ताल्लुक नहीं रखती । अगर एक संस्था खराब है तो यह नहीं होता कि हर व्यक्ति उसका खराब हो । मैं जरूर कहूंगा कि रामदेव पांडेय ऐसा व्यक्ति है जिस पर किसी विभाग को गर्व हो सकता है । मेरे क्षेत्र में तीन थाने, रामनगर, मुहम्मदपुर और तहसील फतेहपुर के हैं । इन तीनों थानों में हर साल २, २, ३, ३ और ४, ४ थानेदार आते हैं और चले जाते हैं । मुझे हर जगह जाने का मौका मिलता है, मैं हर एक के बारे में जानकारी प्राप्त करता हूं । मुझे वहां करीब ४० साल हो गये इस इलाके में और राजनीति मेरा एक पैतृक संस्कार सा बन गया है । मैं कह सकता हूं कि रामदेव पांडेय एक ऐसा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश की पुलिस के अन्दर कि जिसके घर की अगर तलाशी ली जाय तो उसके बीबी बच्चों के पास पूरे कपड़े नहीं हैं, उसका पैजामा आपको खुद फटा मिलेगा लेकिन निहायत ईमानदार, किसी की बात को न बरदाश्त करने वाला, गुंडे के साथ गुंडा, बदमाश के साथ बदमाश, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला, अगर कोई चाहे कि कांस्टेबिल के जरिये रिश्वत ले ले या कप्तान साहब के जरिये से रिश्वत ले ले तो वह हो नहीं सकता । अगर घोड़ा नहीं तो पैदल काम पर चलता रहता है । वह सच्चरित्र, नवजवान, आप उसको बुलाकर यहां देखेंगे तो मालूम हो जायगा कि वह कितना बलवान, कितना नेक और कितना भला आदमी है । गरीबों का हमदर्द है, उनकी हमेशा भलाई चाहने वाला, चाहे उसके खिलाफ राजा हो या महाराजा हो, किसी हकीकत का हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन उसके हित में वह किसी से दबनेवाला नहीं है । मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी है । कांग्रेस के आदमी चोरी करते हैं और डकैती करते हैं तो वह बिलकुल नहीं बरदाश्त करता है । उनको भी वह सहन नहीं करता है और बेडर होकर जेल भेजता है । जितनी भी वहां पर गुंडागिरी है उसको वह खत्म करता है.....

श्री अध्यक्ष—आप उनको बहुत सर्टिफिकेट दे चुके हैं । अब दूसरी बात कहिये ।

श्री रामआसरे—जो सर्टिफिकेट के काबिल होते हैं उनको ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह नहीं होना चाहिये कि बुरे आदमियों के साथ भले आदमी को भी जोड़ दिया जाय । किसी आदमी की वजह से कोई संस्था बुरी नहीं हो सकती है । कोई आदमी बुरा हो सकता है, लेकिन कोई संस्था बुरी नहीं होती है । जो चोर हैं और डकैती करते हैं उनके पीछे वह हमेशा रहता है और किसी तरह से आराम करने की फिक्र नहीं करता है । जो नेक चलन आदमी होता है उसकी चोरों और डकैतों से हमेशा अनबन रहती है । वह हमेशा उनके पीछे फिरता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है ।

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं ७ दिन से लगातार उठक बैठक करता रहा और काफी कोशिश की और अध्यक्ष महोदय के कमरे में भी गया और व्हिप के कमरे में भी गया, लेकिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर, जिसके ऊपर मेरा अध्ययन था, उस पर बोलने का वक्त मुझे नहीं मिला । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज बोलने का समय दिया ।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट के संबंध में हमारे विरोधी दल की तरफ के माननीय सदस्यों ने काफी आलोचना की है और हमारी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने उसकी तारीफ की और आलोचना भी थोड़ी बहुत की है । जो उद्देश्य पुलिस फोर्स को कायम करने का था वह भी हमारे माननीय सदस्यों को मालूम है । उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णासिंह]

जो कर्तव्य उसका वैलफेयर स्टेट में होना चाहिये वह भी माननीय सदस्य जानते हैं। उसको दोहराना भी उचित नहीं है, क्योंकि उससे समय खराब करना होगा। मैं सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं कि हमारे पुलिस विभाग में काफी सुधार हुआ है और उनका बरताव जो पहले था वह उतना खराब नहीं रहा है। मैं कचहरी में कम से कम ३० साल से वकालत का काम करता रहा हूं और मेरा पुलिस वालों से काफी सम्पर्क रहा। एक समय पहले था जब पुलिस वाले ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जो कि असहनीय होती थी। एक समय था जब पुलिस का अत्याचार बहुत ऊंचे तरीके का था, लेकिन आज वह नहीं रह गया है। मेरा मतलब यह नहीं है कि पुलिस बिलकुल इतनी सुधर गई है कि जिसको हम यह कह सकें कि अब कोई सुधार की उसमें जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं पुलिस विभाग में सुधार की जरुरत है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो हमारी योजनायें चल रही हैं, जो हमारी प्लानिंग चल रही है, जो क्रान्तिकारी कार्य इस समय देश के अन्दर चल रहे हैं, जो महान् कार्य इस समय देश में चल रहे हैं उनके लिये कानूनी व्यवस्था और शांति बनाये रखना बहुत जरूरी है। इसलिये हम लोगों को पुलिस का साथ जरूर देना चाहिये। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से माननीय मुख्य मंत्री जी से सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि क्या बात है कि जब ग्रामवासी हमारे पास आते हैं, जब मैं वकालत करता रहा तो उस वक्त भी आते थे और मैं उनसे कहता था कि आप लोग पुलिस चौकी में चले जाओ और वहां पर रिपोर्ट लिखाओ तो वह डरते थे। क्या बात है कि जनता का विश्वास उस पर नहीं है? क्या बात है कि हर एक आदमी यह सोचता है कि पुलिस वाले न्याय नहीं करेंगे? मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस ईमानदार नहीं है। बहुत से पुलिस वाले ईमानदार हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो ईमानदार है उसका काम भी अच्छा हो। पुलिस वाले ईमानदार हैं और उनमें सुधार भी हुआ है, लेकिन जितना जनता का विश्वास होना चाहिये उतना अभी तक नहीं हुआ है। इस समस्या को हल करना है और यह हल कैसे हो, इसको देखना है। इसलिये मुझे बहुत नम्रता से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना है कि इस समस्या को जल्दी हल करने की कोशिश करनी चाहिये। अगर पुलिस में जनता को विश्वास न रहा तो पुलिस वाले इनवेस्टीगेशन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मेरा एक सुझाव है कि पुलिस में भर्ती उन्हीं की की जाय जो स्काउटिंग के विद्यार्थी रहे हों। यदि वे उन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित हो कर पुलिस में कार्य करेंगे तो वास्तव में एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो सकती है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी सुझाव है कि कैरेक्टर रोल में एन्ट्री उसकी अच्छी होनी चाहिये कि जिसने जनता का विश्वास हासिल कर लिया हो, जिसकी जनता में काफी पापुलैरिटी हो, जिसका ईमानदारी का रेपुटेशन हो। उसे अच्छी एन्ट्री भी दी जाय और तरक्की भी दी जाय, लेकिन जो पब्लिक में बदनाम हो उसे बैड एन्ट्री दी जानी चाहिये। इसमें एक कठिनाई आ सकती है कि जो अफसर एन्ट्री देने वाले हैं वे ही यदि अनपापुलर हों अथवा बदनाम हों तो वे ईमानदार व्यक्तियों को जो उन के नीचे काम करने वाले हैं, पसन्द नहीं करेंगे और अच्छी एन्टी देना नहीं चहेंगे लेकिन हमें इस समस्या को किसी न किसी प्रकार हल करना है और इसलिये शुरुआत करने का यह एक तरीका हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सीमान्त जिले से आया हूं और पहली बार सदन का सदस्य हुआ हूं। उत्तर काशी में जो एक कठिनाई हम महसूस करते हैं वह यह है कि वहां का एस० डी० एम० सिविल कोर्ट का जज भी है यानी मुन्सिफ भी है, और जुडिशियल अफसर भी है और सभी कुछ है। यह नहीं होना चाहिये। वहां मुन्सिफ अलग होना चाहिये। इसके कारण दिक्कत पड़ रही है। अगर एक्जीक्यूटिव अफसर के हाथ में ही जुडाशियल पावर्स हों तो उससे बड़ी गड़बड़ी होती है। इसके अतिरिक्त यदि जुडिशियरी को हमें एक्जक्यूटिव से अलग रखना है तो जुडिशियल अफसरों को हाई कोर्ट के मातहत होना चाहिये तभी वह निष्पक्षता से अपने फैसले दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस का जैसा काम है उसको जनता का विश्वास व प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह गलत चीज है। आज शासन

की प्रणाली बदल गयीहै, उसकी साइंस बदल गयी है। वेलफेयर स्टेट में जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है और नियोजन के कार्य जनता के सहयोग बिना सफल नहीं हो सकते। पुलिस के ला ऐंड आर्डर के मेनटेन करने के कार्य में भी बिना जनता के सहयोग के सफलता प्राप्त नहीं होगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिला परिषदों के पास ला ऐंड आर्डर को मेनटेन करने का कार्य आ जाना चाहिये। मुझे यह एक विचित्र सुझाव प्रतीत हुआ। यदि हम अलग-अलग जिलों को यह व्यवस्था दे दें तो पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था प्रान्त में रह सकेगी। संभव है, कोई व्यवस्था ही न रह जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि यह सुझाव अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैंने फैसला किया था कि मैं हर अनुदान पर खड़ा हो कर अपका अटेंशन ड्रा करूं, ताकि मुझे बोलने का समय मिल सके, आपने मुझे मौका दे दियाहै इसलिये मैं आपके प्रति पुनः आभार प्रदर्शित करता हूं।

*श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के ऊपर बहुत बहस मुबाहिसा हुआ है और मुझे यह कहने में जरा परेशानी हो रही है कि हुकूमत की तरफ से पुलिस की बड़ी वकालत की गयी है। जब हाई कोर्ट ने पुलिस के मुताल्लिक ऐसे खराब रिमार्क्स दिये हैं तो मैं समझता हूं कि पुलिस की वकालत करना हुकूमत के-लिये मुफीद साबित नहीं होगा। अब प्रश्न यह रह जाता है कि इन १४ वर्षों के अन्दर पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है। मैं इसके लिये इस बात को कहना चाहता हुं कि हुकूमत पुलिस विभाग के लिये जनता से दरख्वास्तें इन्वाइट करे और यह कहे कि पुलिस विभाग की नौकरियों के लिये जो भी लोग बिना वेतन के काम करने को तैयार हों वे दरख्वास्त दें तो मैं समझता हूं कि एक लाख से अधिक लोगों की दरख्वास्तें पुलिस इन्सपेक्टर के पद के लिये आ जायेंगी जो बिना वेतन के ही काम करने को तैयार हो जायेंगे। ऊंची-ऊंची और नौकरियों का तो कहना ही क्या!

एक बात मैं एस० पी० और डी० एस० पी० की नियुक्तियों के बारे में कहना चाहता हुं। उनको समय-समय पर कानून से और रेलवे के बहुत से ऐक्ट्स से डील करना पड़ता है जहां कि जरायम होते हैं। उनको दिन रात मुकदमों से लड़ना पड़ता है, किन्तु उनमें से एक भी आदमी कानूनदां नहीं होता और इसका असर मुकदमों में खराब पड़ता है। मेरा सुझाव है कि अगर उन पदों पर कोई भर्ती हो तो वह उन लोगों में से हो जो कानून के पेशे में हैं। आज देश में कानून जानने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस है कि आज आपने इन्टरमीजिएट ही क्वालीफिकेशन उसके लिये रखी है। आपने जो एज लिमिट रखी है वह कितनी कम रखी है! उनके लिये आपने एज लिमिट २३ वर्ष रखी है और सरकारी कर्मचारियों के लिये अधिक से अधिक २४-२५ साल रखी है। २०-२५ वर्ष तक तो लोगो को पैसा पैदा करने का ज्ञान तक नहीं हो पाता। २२-२४ साल की उम्र में उनको यह खयाल पैदा होता है कि उनको अपने पेट के लिये, अपने देश के लिये, कुछ करना है लेकिन आज भी इस हुकूमत ने २४-२५ वर्ष की एज लिमिट रखी है। इससे ज्यादा उम्र होने पर उनको नौकरी के लिये अनफिट कर दिया जाता है। २३ साल की उम्र है तो वह नौकरी के लिये ठीक है, मगर जब २५ की हो जाय तो वह अनफिट हो जाता है, यह चीज मेरी समझ में नहीं आती। इस उम्र के बाद ही दिमाग इस योग्य होता है कि वह ठीक तरह से काम करे। आज २३-२४ साल की उम्र तक ही एक आदमी एम० ए०, एल० एल० बी० कर पाता है। ४० साल की उम्र में, अंग्रेजों के जमाने में, जब कोई डी० एस० पी० हो सकता था तो आज २६ साल के आदमी को ओवर एज कैसे समझा जाता है? यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये सरकार से यह प्रार्थना है कि वह इस एज लिमिट को तोड़ दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गंगाप्रसाद]

दूसरी बात यह है कि २३ वर्ष का आदमी पुलिस कांस्टेबिल, पुलिस का कर्मचारी हो सकता है लेकिन अगर २४-२५ साल का हो गया तो उसको नहीं लिया जाता। मैं नहीं समझता कि एक २५ साल का आदमी जो तंदुरुस्त हो उसको क्यों न लिया जाय और २२-२३ साल का कमजोर आदमी क्यों लिया जाता है।

(इस समय १ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हीतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

कांग्रेस सत्य और अहिंसा पर आधारित है और महात्मा गांधी के अनुसार किसी आदमी को जरा भी ईजा पहुंचाना भी हिन्सा है। आज पुलिस जो शांति व्यवस्था कायम करने के लिये है उससे अशांति पैदा होती है। १४ वर्ष पहले १०७ के मुकदमों का दायरा बहुत कम था, लेकिन आज उससे सौ गुने १०७ के मुकदमे चलाये जाते हैं। इनका उद्देश्य यह रहता है कि पार्टीज को लड़ाया जाय, उनमें फ्रिक्शन पैदा किया जाय। यह बात देश की एकता के विपरीत जाती है। आज गांवों के अन्दर बहुत ही कशमकश पैदा हो गई है जिससे शांति कायम नहीं रह सकती। आज पुलिस और मैजिस्ट्रेट को इतने अधिकार दे दिये गये हैं कि जरा सी बात पर फायरिंग कर दो। माब के ऊपर गोली चलाने का अधिकार किसी भी कानून के अन्तर्गत नहीं दिया गया है। बहुत सी दफायें हैं जिनके जरिये आप माब को डील कर सकते है। जैसे दफा १४४ है, उसके अन्तर्गत आप काम कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर भीड़ भंग नहीं होती है तो उसके माने यह नहीं हैं कि आप माब पर फायरिंग करदें और मार डालें। मार डालने का अधिकार बाडी या प्रापर्टी के अन्दर पैदा होता है। प्रापर्टी का वहां कोई सवाल ही नहीं होता। सिर्फ बाडी की बात हो सकती है। शहरों में भीड़ का इकट्ठा होना कोई अहमियत नहीं रखता, जरा-सी बात पर ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है और दूसरी बात यह कि उस फायरिंग में जुर्म करने वाले मरते नहीं, मरते हैं बच्चे और स्टूडेन्ट्स। इसलिये इस दफा को कतई खत्म कर दिया जाय। न तो कांस्टीट्यूशन में और न किसी जाब्ते में यह अधिकार है कि किसी माब के इकट्ठा होने पर आप किसी को हलाक कर सकें। आज कानून की गलती के कारण भी जुर्म बढ़ गये हैं। पहले मजिस्ट्रेट लोग मुकदमा किया करते थे, लेकिन अब सरकार ने गांवों के प्रधानों को भी कानून के अन्तर्गत मुकदमा करने का अधिकार दे दिया है। उनको कानून से वाकफियत तो होती नहीं है। जिस प्रकार से एक आदमी जो ड्राइवर न हो उसको मोटर दे दी जाय चलाने के लिये तो वह किसी न किसी को मार देगा। तो आज सरकार ने बहुत-सी कोर्ट्स बना दी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम आज तो मुझे समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—समय मिलेगा। आप बैठिये।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। कल अध्यक्ष महोदय ने सदन में यह व्यवस्था कायम की थी, जो कि बड़ी सुन्दर थी, कि जो माननीय सदस्य अभी तक नहीं बोले हैं उन्हीं को मौका दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठें। ऐसा ही मैं भी चाहता हूं।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस के अनुदान पर जो बहस हो रही है उससे ऐसा मालूम होता है कि लोगों को भ्रम है कि पुलिस में इतनी बुराइयां हैं जिससे पब्लिक यह समझती है कि हमारा शासन ढीला है। इस बात को हरएक आदमी जानता है कि लोगों की रक्षा के लिये पुलिस की बड़ी भारी आवश्यकता है, लेकिन उसमें

आज जो भी कमियां हैं उनको भी सब लोग जानते हैं। यह सत्य है कि हर एक पुलिस वाला यह जानता है कि किस प्रकार से क्राइम को रोका जा सकता है लेकिन मैं देखता हूं कि थाने हमेशा की तरह से चल रहे हैं और चोरी, डकैती और कत्ल भी हमेशा की तरह से हो ही रहे हैं। हर वर्ष पुलिस के बजट पर यहां डिसकशन होता है लेकिन मैं सरकार में यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है कि यहां दिये गये सुझावों के प्रकाश में क्राइम्स को किस प्रकार से रोका जाय।

मेरा यह सुझाव है कि गवर्नमेंट जिस तरह से और प्लान्स चला रही है उसी प्रकार से क्राइम को रोकने की भी प्लान को वह चलाये। आज की गरीब जनता को सुरक्षा नहीं मिल रही है, हर एक आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिये लालाइत है। मामूली-सा आदमी एक अच्छे आदमी की इज्जत ले लेता है और पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं करती है और उसका कारण भी है कि हमारे साथी ही उन लोगों की मदद करते हैं। भ्रष्टाचार के बढ़ने का भी एक मुख्य कारण यह है कि वे लोग यह जानते हैं कि उनके ऊपर हमारे साथियों में से कुछ ऐसे हैं जो उनको बचा सकते हैं, क्योंकि पुलिस में हमारे ही भाई बंद हैं।

क्राइम को रोकने के दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि गवर्नमेंन्ट बीड़ा उठाये कि हम उसको रोकेंगे। दरोगा यह जानता है कि उसके पास क्राइम को रोकने के साधन हैं। वह जानता है कि डाकू और चोर कौन-कौन हैं, लेकिन अगर किसी के थाने में कोई केस नहीं होता है तो उसको निकम्मा माना जाता है। अगर वह रिपोर्ट सही तरीके से लिखता है तो समझा जाता है कि वह सही केस नहीं है। केस बनाने के लिये गलत आदमी को फंसाया जाता है। सब लोग जानते हैं कि गलत आदमी को फंसाया जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि अगर गलत आदमी को नहीं फंसाया जायगा तो केस बिगड़ जायगा। इस प्रकार से गलत रिपोर्ट लिखकर गलत आदमी को, बेगुनाह आदमी को, सजा मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि दरोगा से कहा जाय कि अगर उसके इलाके में क्राइम बढ़ेंगे तो उसको निकाल दिया जयगा, अगर क्राइम नहीं हुए तो ही रखा जायगा, तभी लोग क्राइम को रोकने की कोशिश करेंगे। अभी तो वे यही समझते हैं कि अगर क्राइम उनके इलाके में नहीं हुए तो उनको निकम्मा समझा जायग।

आजकल आप देखेंगे कि पुलिस की रिपोर्टस में नकबों की तादात बहुत बढ़ती जा रही है, जब कि आज नकबें न होकर डकैती अथवा चोरी होती हैं। आज कल गांवों में ऐसे बहुत ही कम मकान हैं जिनमें नकब लगाकर घुसा जा सके। आज एक बड़ी भारी दिक्कत यह हो रही है कि कोई सही बात को मानने के लिये भी तो तैयार नहीं है। आज यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के हाथ में है। उनको छानबीन करनी चाहिये कि क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? आज भी वही एफीशियेंसी हमें दिखाई पड़ रही है। आज भी पुलिस के बजट के समय आई० जी० यहां नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इसका भी कोई कारण है जिस से वे हमारी बात को सुनने के लिये यहां पर नहीं आते। उनको चाहिये था कि यहां जो डिस्कशन होता है उसको सुन कर निर्णय लेते कि क्राइम्स को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जायं। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि मुख्य मंत्री और आई० जी० को एक जगह बन्द कर देना चाहिये ताकि वे आपस में डिस्कशन करके निर्णय ले सकें कि किस तरह से क्राइम्स को रोका जाय। आज डकैती और चोरियों की वजह से लोग परेशान हैं। कोई अच्छा भला आदमी आज गांव में रहना पसन्द नहीं करता। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्राइम्स के रोकने के दो ही साधन हो सकते हैं, या तो उस इलाके का जो दरोगा है उसे कहा जाय कि वह इसे रोकने की कोशिस करे, क्योंकि दारोगा अपने इलाके के सभी चोर, डाकुओं बदमाशों को जानता है और दूसरे यह कि सी० आई० डी० को कहा जाय कि वह इस बात की जांच करे कि ऐसे लोग जिनके पास रहने व खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, वे उनका लिविंग आफ स्टैन्टर्ड इतना ऊंचा कैसे है जो वे धनी-मानी व्यक्तियों की तरह से रहते हैं। आखिर ये सी० आई० डी० वाले किस लिये हैं जो ये काम भी नहीं कर सकते। अक्सर पुलिस आफिसरों की कांफ्रेंस हुआ करती है और

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

दरोगा लोगों से कहा जाता है कि तुम्हारे यहां चोरी व डकैती क्यों नहीं होती है इस तरह से उनकी तरफ से भी क्राइम्स के लिये एक तरह से प्रोत्साहन ही मिलता है क्योंकि उसी पर उनकी तरक्की निर्भर करती है। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें बन्द होनी चाहिये। आपने जो एंटी करेप्शन कमेटी का दफ्तर खोल रखा है इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि वहां भी मेम्बर लोग पक्षपात का सहारा लेते हैं और जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना हुई थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। क्राइस रोकने के लिये अगर पुलिस का बजट दुगुना तिगुना भी करना पड़े तो उसे हम पास करने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

***श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला एटा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बलवानसिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती-प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। स्वराज्य होने के बाद इस बात की कोशिश की गयी कि अपने देश और प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने की जो पुलिस थी, उसमें कुछ सुधार हो, लेकिन आज बावजूद कोशिश के हम यह देख रहे हैं कि पुलिस उसी प्रकार भ्रष्टाचारी है और इस बात को भी देखा गया है कि वही डंडेबाजी, गाली गलौज, ये सभी चीजें मौजूद हैं। इस बात की भी कोशिश की जाती है कि आज जनता और पुलिस के बीच में अच्छा संबंध स्थापित हो, लेकिन आज इस बात को देखा जाता है कि जनता के बीच तो अच्छा संबंध स्थापित करना दूर की बात है, उनका आपस में ही विभागीय लोगों में ही अच्छा संबंध नहीं है, आपस में ही कोआपरेशन नहीं है। एक हेड कांस्टेबिल एक दारोगा के खिलाफ भी कार्यवाही करने को तैयार रहता है, एक कांस्टेबिल एक हेड कांस्टेबिल के खिलाफ, उसके विरोध में कोशिश करता है और यहां तक देखा गया है कि आपस में एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। यदि इन सारी कोशिशों के बाद भी पुलिस में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो सरकार का भी कर्त्तव्य है कि वह इस ओर देखें। इस बात के लिये सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि पुलिस और जनता के बीच में जब तक अच्छा संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक पुलिस के काम में सुधार नहीं होगा। पुलिस का यह मुख्य कर्त्तव्य है कि वह जनता के जानमाल की रक्षा करे लेकिन आज न तो जान की रक्षा है और न माल की है और हर आदमी इस बात को महसूस करता है कि जब वह शाम को सोता है तो वह यह भी आशा नहीं करता है कि वह सुबह को जिन्दा उठ सकेगा या नहीं; या जब कोई घर से बाहर जाता है तो वह यह भी खयाल नहीं कर सकता कि मैं बाहर सुरक्षित रह सकूंगा या नहीं और कुशल से घर वापस आ सकूंगा या नहीं। आज देहातों में माल की लूट हो रही है, कत्ल व डकैतियों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से पुलिस की बड़ी तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुलिस वालों ने यह एनकाउन्टर किया, यह डकैतों को मारा और इतने डकैतों को पकड़ा है। दूसरी तरफ यह भी आशा की जाती है कि अगर शिकायत की जाय तो कहा जाता है कि कौन सा बड़ा भारी काम उन्होंने किया है।

अब देखना यह है कि आज पुलिस कितना पक्षपात कर रही है। हर जगह हर थाने में जो खास व्यक्ति उनके हैं उनके इशारे पर पुलिस चलती है और जैसा वह इशारा करते हैं उसी तरह से वह कार्यवाही करते हैं। यह भी कहा गया कि ऐसे आदेश दिये गये हैं कि सारी रिपोर्ट थाने में दर्ज की जांय, लेकिन आज भी देखा जाता है कि सब रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की जाती। पुलिस वालों ने और वहां के हेड मोहर्रिर ने एक और रिश्वत का नया तरीका निकाला है कि अगर कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाय तो उसे लिखित रिपोर्ट देना चाहिये। क्या कोई गरीब अगर बिना पढ़ा-लिखा है और उसको अपनी मुसीबत में रिपोर्ट लिखाना है तो क्या उस की बात को सुनकर ठीक से रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। वहां के हेड कांस्टेबिल ने वहां अपना एक आदमी रिपोर्ट लिखने के लिये अपना हिस्सा तय कर के बिठा रखा है और जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो वह कहते हैं कि वहां जाकर अपनी रिपोर्ट ठीक से लिखा कर लाओ और वह उससे २ रुपया वसूल करता है। कह दिया जाता है कि तुम ठीक से रिपोर्ट नहीं लिखा सकते। मैं चाहता हूं कि ऐसा इंतजाम किया जाय कि सही रिपोर्ट ऐसे लोगों की बात सुनकर स्वयं वहां के लोग लिखें और उनसे कुछ न लिया जाय। अगर कोई कुछ देने को तैयार नहीं होता तो थाने में लिखाने वाले की कोई सहायता नहीं करता और अगर वह देने को तैयार हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट ठीक लिखी जाती है। इसी तरह से जहां तक कत्ल और डकैतियों की बात है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि कत्ल और डकैतियां बराबर बढ़ रही है और यह भी देखने की बात है कि कितने केसेज कत्ल और डकैती के वर्कआउट होते हैं कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। थानेदारों को कोई परवाह नहीं है, वह थाने में पड़े रहते हैं। हमारे यहां फर्रुखाबाद जिले में नवाबगंज तहसील में १ मास के अन्दर ३ डकैतियां हुईं, लेकिन आज तक उनकी कोई जांच नहीं हुई और यह भी पता नहीं लगा है कि किसने डकैती डाली है और केस वर्क आउट नहीं किया गया है। इस तरह से थानेदार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते और डकैतियां बराबर बढ़ रही हैं। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से कहा गया तो उन्होंने कहा कि कोशिश हो रही है, लेकिन आज तक कोई गिरफतारी या कार्यवाही नहीं हुई है। इस तरह से चोरी, डकैती, रहजनी आदि की थानेदार परवाह नहीं करते। आज गांवों में जाना हराम हो रहा है, चारों तरफ अराजकता फैली है, गांवों में एक एक रात में ९-९ घर लूटे गये हैं, आग लगाई जाती है, लेकिन पुलिस के अफसर वहीं मौजूद हैं कोई कोशिश नहीं की जाती है। अगर इसी तरह से जरामय बढ़े तो उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जायगा। यहां पर इस बात को सोचा जाय कि आखिर यह क्यों हो रहा है, क्यों जनता से सम्पर्क नहीं होता है, क्यों पुलिस वाले ही अपने आपस में मेल नहीं रखते है। तो इसका कारण यही है कि उनका जनता से सम्पर्क नहीं रहता है, बल्कि कुछ व्यक्तियों से जो वहां के दलाल होते हैं, जो पैसा पैदा कराते है, उनसे ही सम्पर्क होता है। आपस में भी पुलिस वालों में बिगाड़ इसीलिये होता है कि रिश्वत लेने में गड़बड़ी पैदा होती है। तो आज रिश्वत का जोर है और इसी वजह से वे ईमानदारी से कार्य नहीं कर पाते हैं, पार्टीबन्दी में पड़ते हैं, अपने को बचाने के लिये पक्षपात करते हैं।

यह भी देखा गया है कि जिन गांवों में एक, दो लायसेन्स हैं वहां डकैत डकैती डालने की हिम्मत नहीं करते हैं और जिन गांवों में लायसेन्स नहीं होते हैं वहीं अधिकतर डकैतियां पड़ती हैं। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि हर गांव में लायसेन्स हो। इससे गांवों की काफी सुरक्षा होगी। आज भला आदमी गांवों में रहना पसन्द नहीं करता है, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा का कोई इत्मीनान नहीं है कि गांव में उसकी सुरक्षा हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री लखपतराम शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से आज तक २४ घंटे के बाद जो मुझे बोलने का समय दिया गया है उसके लिये मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अभी उस तरफ के बेंचेज से हम लोगों पर यह चार्ज लगाया गया या यह कटाक्ष किया गया कि हम लोग डकैती और कत्ल जैसे संगीन मामलों में पुलिस की तरफदारी करते हैं और जब कोई फंस जाता है तो उसके लिये सिफारिश की कोशिश करते हैं। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि एक तरह से इतना गन्दा कटाक्ष या व्यक्तिगत तौर पर, मैं यह महसूस करता हूं कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका सिर शर्म से झुक जाता है। आज के युग में दो तरह के डकैत होते हैं। एक डकैत वह हैं जो गांव के अन्दर रहकर शहर और गांव के आदमियों को दिन दहाड़े या रात को लूट लेते है और एक डकैत वह भी हैं कि जो कत्ल एवं डकैती करने वालों की सिफारिस करते हैं। मैं आपके सामने प्रमाण दूंगा। मऊरानीपुर के एक साहब हैं बैजनाथ। उन्होंने २१ तारीख को मुख्य मंत्री या गृह मंत्री के नाम एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उन्होंने यह लिखा कि मऊरानीपुर के थानेदार उनसे दो सौ रुपये जबर्दस्ती वसूल कर चुके हैं और उनको नाजायज तरीके से बन्द भी रखे थे।

[श्री लखपतराम शर्मा]

जब वह शिकायत गृह यानी मुख्य मंत्री को दी गयी तो मैं कहना चाहता हूं कि शर्म से सिर झुक जाना चाहिये कि उस आदमी को उसके क्षेत्र मे पहुंचने पर उस थानेदार ने जान से मारने की धौंस दी, उसका घर जलवा देने की धौंस दी, उसे झूठे मुकदमें में फसाने की धौंस दी । उसने एक तार इसी आशय का यहां पर दिया । मैं उस तार को आपके सामने रखना चाहता हूं । उसमें लिखा है---

"महोदय, मैं और मेरे परिवार को मऊरानीपुर थाना इन्चार्ज उदयवीरसिंह द्वारा जान से खत्म कराने व झूठे मुकदमें में फंसाने और घर जलवाने की धौंस दी जा रही है । उन इंचार्ज के बिरूद्ध दो सौ रुपये लेने की शिकायत मैं श्रीमान् को दे चुका हूं । नागरिक जीवन खतरे में है। श्रीमान रक्षा करें । बैजनाथ।

इसी के साथ एक चीज और है । इसी थानेदार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के एक एम० एल० ए० ने मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को ४ अप्रैल को यह लिखित दिया है कि यह थानेदार पिछले आम चुनाव में उनके विरुद्ध प्रचार करता था । उसी तारीख उन्होंने यह भी लिख कर दिया है कि इस थानेदार का सम्बन्ध कुछ डाकुओं और कत्ल करने वाले गिरोह से उनके द्वारा बतलाया गया कहा जाता है उन कांग्रेसी एम० एल० ए० ने यह भी लिखकर दिया है कि यह थानेदार उनके खिलाफ कत्ल कराने की साजिश कर रहा था । यह हमारा इल्जाम नहीं है, यह तो कांग्रेस पार्टी के ही एक एम० एल० ए० ने का कहना है ।

श्रीमन्, थानेदार कांग्रेसी एम० एल० ए० के खिलाफ चुनाव में काम करता है और इसके अलावा डाकुओं से भी वह संबंध रखने की चर्चा बताई गयी है, ऐसी स्थिति में मैं मंत्री और उप मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इतने संगीन अभियोग के बाद भी उस थानेदार को निकाला गया या उसको मुअत्तल किया गया और क्या उसको हटाया गया । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदर्णीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी पुलिस प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने में सफल नहीं हो सकी है ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन में लखनऊ का ही एक मामला रखना चाहता हूं । लखनऊ के सिविल अस्पताल में दवाइयों की हजारों रुपये की चोरी हुई । क्या आपकी पुलिस ने उसका कुछ पता लगाया ? अभी हाल ही में कानपुर में एक जुडीशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय से फाइलों की चोरी हुई, क्या पुलिस ने उसका कुछ पता लगाया जब कि वहां पर पुलिस का पहरा रहता है ? इसके अतिरिक्त श्रीमन्, मैं मऊ का एक मामला सदन के सामने रखना चाहता हूं और यदि सदन मुझे आज्ञा दे तो मैं जजमेंट को भी पेश करने के लिये तैयार हूं । कुछ वर्ष पूर्व वहां पर कत्ल और डकैती हुई । थानेदार ने अपनी वाह वाही के लिये वहां के खानाबदोश लोगों को जो कि सड़क पर पड़े रहते हैं और जिनका कोई घर द्वार नहीं होता उनको पकड़ा । इनके पास न रहने को जगह होती है और न खाने को ही कुछ होता है । इस थानेदार ने खानाबदोशों के डेरे में पहुंचकर उन लोगों को घेर लिया और उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और जिसके यहां कत्ल और डकैती हुई थी उस बुढ़िया से उनको पहचनवाया गया । देखिये कि यह कितना संगीन केस है ! इस पर विचार करने की जरूरत है । वहां पर गले का एक जेवर होता है, जिसे खगोरिया कहते हैं । जब उस बुढ़िया के घर में चोरी हुई तो डकैत उसके यहां से खगोरिया को छीन कर ले गये थे । थानेदार यही साबित करना चाहता था कि यह वही जेवर था जो कि कत्ल, डकैती के वक्त छीना गया था, दो खगोरिया एक साथ बनवाई गई थीं और वह उसकी दूसरी बहू की थी । थानेदार ने दूसरी जाली खगोरिया सुनार के यहां बनवाई और अदालत में कहा गया । (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे थोड़ा समय और दिया जाय क्योंकि सप्रमाण बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---देखिये, बहुत बोलने वाले हैं ।

श्री लखपतराम शर्मा---कम से कम ५ मिनट का समय मुझे और दे दिया जाय क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मामला रख रहा हूं और सप्रमाण रख रहा हूं जो कि लोगों की जिन्दगी और

मौत से संबंध रखता है जब जुडीशियल मजिस्ट्रेट के यहां माग पेश हुआ तो बुढ़िया ने यह कहा कि मेरा भाग्य फूट जायगा यदि मैं निर्दोषों का हाथ पकड़ लूं। बुढ़िया ने कहा कि हुजूर यह कैसा इन्साफ है। कत्ल करने वाले गायब हैं और निर्दोषों के लिये कहा जाता है कि हाथ पकड़ लो। आगे बुढ़िया ने कहा कि हुजूर जो यह खगोरिया पहचनवाई जाती है और कहा जाता है कि ये छीन कर ले गये थे। यह नई खगोरिया तो बहू से लेकर बनी है। इस तरह का जुल्म और अत्याचार है। मैं जजमेंट की कापी पेश करने के लिये तैयार हूं। फिर भी इस पुलिस की तारीफ की जाती है, जब कि इस पुलिस के राज्य में कांग्रेसी एम० एल० ए० तक सुरक्षित नहीं है।

श्रीमन्, मुझे बहुत सी बातें रखनी थीं। कानपुर में एक ग्राम पलरा है, वहां पर एक ८५ साल का बुड्ढा था, पुलिस ने उसका चालान दफा १५१, १०७ तथा ११७ में किया और उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया। उसके संबंध में मजिस्ट्रेट ने स्वंय लिखा है कि ऐसे बूढ़े आदमी से कोई शांति भंग होने का अंदेशा नहीं था। श्रीमन्, इस पुलिस वालों को मुकदमा चलाने के लिये ऐसे बूढ़े आदमी ही मिलते हैं। अगर ऐसे बूढ़े आदमी का संबंध किसी राजनीतिक पार्टी (कांग्रेस) से होता तब तो यह भी हो सकता है कि वह ताकतवर होता क्योंकि उसको कांग्रेस में रहकर खूराक अच्छी मिल सकती थी। लेकिन भूखे मरने वाले बूढ़े के खिलाफ यह जुल्म, ज्यादती की गयी। दफा १०९ और ११० के मुकदमें चलाये जाते हैं जिनके पास से एक मोमबत्ती और दिआसलाई बरामद की जाती है। श्रीमन्, हमने व आप सभी ने डाकू देवीसिंह के मारे जाने का किस्सा पढ़ा था। श्रीमन्, मैं बहुत से लोगों से मिला। लोगों में आम चर्चा थी, जिसकी सच्चाई जान के लिये शीघ्र गुप्तचर विभाग द्वारा जांच आवश्यक है, कि देवीसिंह के मारे न जाने का कारण क्या था। उसका थाने पर १७०० रुपये माहवार बंधे हुये थे। उसके मारे जाने में कोई बहादुरी का काम नहीं है, क्योंकि बीच में जो एलेक्शन हुआ था उसमें देवीसिंह ने खुल कर कांग्रेस का प्रचार किया यह आम चर्चा है और वहां से कांग्रेस जीत गयी। उसने महसूस किया होगा कि अब वह जो चाहे करने को आजाद है। इसी में वह मारा गया। श्रीमन्, आमतौर से पुलिस के जुल्म से ही लोग डाकू बन जाते हैं। मैं यह नही कहता कि पुलिस में सारे के सारे खराब हैं लेकिन जो ठीक हैं, उनको उस तरफ की बेंचेज वाले (कांग्रेस वाले) ठीक नहीं रहने देते। मैं प्रमाण दूंगा। समथर टाउन एरिया के चेयरमैन दफा ४०९ खयानत में गिरफ्तार हुये। केस सेशन कोर्ट में कमिट हो गया। कई गवाहियां व सबूत हो चुके थे लेकिन एडवोकेट जनरल झांसी गये और उस केस को जनता का हित बता कर वापस ले लिया। श्रीमन्, गबन के मामले को वापस लेने के लिये ऐडवोकेट जनरल झांसी गये। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात सरकार के लिये और हो सकती है ?

कुछ साल पहले झांसी के अन्दर एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट रेप केस में गिरफ्तार किये गये। लेकिन इस सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। इससे ज्यादा सरकार के लिये क्या शर्म की चीज हो सकती है ? इस प्रकार अगर पुलिस अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहती है तो भी उस तरफ वाले उसको निभाने नहीं देते। टाउन एरिया चेयरमैन के खिलाफ गबन का केस वापस ले लिया जाता है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के खिलाफ रेप का केस वापस ले लिया जाता है, जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों रुपया एडवोकेट जनरल को झांसी भेज कर गबन का केस वापस करने में नष्ट किया जाता है। मैं उस तरफ के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसमें पब्लिक का कौन सा हित था। लेकिन बहुमत के बल पर सब कुछ किया जा सकता है। परन्तु यह बहुमत वास्तविक बहुमत नहीं है। कांग्रेस को केवल ३६ प्रतिशत ही जनता के वोट इस चुनाव में मिले हैं, जबकि इस तरफ की बेंचेज पर बैठने वालों को ६४ प्रतिशत वोट जनता के मिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो चुका है।

*बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप की मार्फत यह अर्ज करना है कि अपोजीशन के मेम्बरों की तरफ से पुलिस की रिश्वतसितानी और बदउनवानी का जो रोना रोया जा रहा है उससे ऐसा मालूम होता है कि पुलिस ही सब बुराइयों की जड़ है और सबसे ज्यादा बुराई पुलिस ही में है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं यह नहीं कहूंगी कि पुलिस में बुराई नहीं है। जरूर रिश्वतसितानी है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं। चूंकि हमारा देश इतने जमाने से गुलाम था, इसलिये सुधार एकदम से नहीं हो सकता जैसे कि मसल है 'रोम वाज नाट बिल्ट इन ए डे'। हम रफ्ता रफ्ता ही उस निजाम को सुधार सकते हैं, जो वर्षों से बिगड़ा हुआ है। हमें आज पुलिस को मुजरिमों के पकड़ने में मदद करनी चाहिये और उनमें अखलाकी कदरों की जो कमी है, वह पैदा करने की कोशिश करनी चाहिये।

जहां तक हुकूमत का सवाल है, हुकूमत ने पुलिस के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है और मुलाजिमीन की तादादा बढ़ा दी है। ताकि वह रिश्वत लेने की तरफ नजर कम उठायें। जहां तक ला ऐंड आर्डर और इन्वेस्टीगेशन का सवाल है उसमें बहुत खर्चा होगा और हमारी सरकार अभी तक इस काबिल नहीं हुई है कि इसका भार उठा लिया जाय। जहां तक पुलिस की बेउनवानी का सवाल है एक बात तो खास तौर से मैं भी अर्ज करूंगी और वह यह कि अगर पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ने जाती है तो उसी मुजरिम को पकड़कर लाये, न यह उस की बीबी को पकड़ लाये और उसको बन्द कर दे और मारे और पीटे। अगर बाप कोई जुर्म करे तो बाप को सजा हो, बेटा जुर्म करे तो बेटा को सजा हो। यह कानून नहीं होना चाहिये कि शौहर अगर कोई जुर्म करे तो उसकी बीबी को पकड़कर मारा जाय और सख्ती की जाय। मैं हुकूमत से अपील करूंगी कि इस मामले में बहुत सख्ती बरती जाय और अगर कोई मुलाजिम इस किस्म की हरकत करता है तो उसको सख्त सजा दी जाय क्योंकि औरतों के साथ और खास तौर से किसी के भी साथ इन्साफ होना चाहिये। मैं फिर सरकार से अपील करूंगी कि इस किस्म के वाकयात में खास तौर से सख्ती बरतनी चाहिये और जो कसूर करे उसको सजा देनी चाहिये।

अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे केसेज में जहां पर रिश्वत या बेउनवानी जाहिर होती है हुकूमत वहां उनको सजा भी देती है, लेकिन उनको इस मामले में और भी सख्ती बरतनी चाहिये।

शिकायत तुमसे की है तुमको अपना जानकर मैंने।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं प्रदेश की पुलिस को तीन भागों में बांटता हूं। एक भाग तो वह है जिसे हम सी० आई० डी० कहते हैं, दूसरा भाग वह है जिसे सिविल पुलिस कहते हैं और तीसरा भाग है आर्म्ड कांस्टेबुलरी का। जहां तक इसमें दो भाग हैं पुलिस के सी० आई० डी० और आर्म्ड कांस्टेबुलरी—उनके बारे में यह सही बात है और हमको इनके ऊपर गर्व है, इस प्रदेश की जनता का और माननीय सदस्यों का और सभी सदस्यों का इन दो विभागों पर पूर्ण विश्वास है और उनकी सराहना हम ही नहीं करते बाहर के प्रदेशों की सरकारों ने भी की है। आज भी जब कोई समस्या आती है तो हम और जनता सभी इस बात की मांग करते हैं कि यह मामला सी०आई० डी० के सुपुर्द कर दिया जाय क्योंकि सभी समझते हैं कि सी०आई०डी० सही जांच करेगी। लेकिन सारी शिकायत जो है और दो दिन से सारी बहस जो चल रही है इस सदन में और पिछले सालों से चलती आ रही है, वह सारा आक्रमण इस सिविल पुलिस पर है। इसकी कमियों और बुराइयों को माननीय भूतपूर्व गृह मंत्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने माना था और मानते हुये पुलिस कमीशन की स्थापना की गई थी लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस कमीशन बना, पुलिस कमीशन के बनने पर जो इतना खर्चा हुआ और उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद में उसका जो रिजल्ट निकला वह कुछ अच्छा नहीं निकला। जो कुछ पुलिस कमीशन ने सिफारिश की वह एक कमेटी बनाकर भी हो सकती थी। श्रीमन्, दो तीन बातें पुलिस कमीशन ने कहीं। एक तो यह माना कि क्राइम्स छिपाये जाते हैं। श्रीमन्, हमने बार-बार इस सदन में कहा और मैंने ही नहीं कहा अगर हमारे माननीय आचार्य जुगल किशोर जी का वह वक्तव्य देखा जाय जो उन्होंने ७ अगस्त, १९५९ को इस सदन के अन्दर दिया था '९८ सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ, उसमें उन्होंने कहा था, आपकी आज्ञा से मैं उसे पढ़ दूं कि प्रशासन ढीला हो चला है और उसकी कार्यक्षमता घटती जा रही है। देश में उसकी वह नेकनामी नहीं है जो पांच साल पहले थी। व्यवस्था और शांति के क्षेत्र में उसकी असफलता विशेष रूप से रही है।' आचार्य जी कहते हैं कि प्रशासन ढीला हो चुका है। आचार्य जी कहते हैं कि यहां पर शान्ति और व्यवस्था की हालत बहुत बुरी हो गई है और एक माननीय सदस्य जगदीशप्रसाद जी ने आम बहस में यह कहा कि चलना और फिरना दुश्वार हो गया है, पुलिस के द्वारा जान् की रक्षा, माल की रक्षा, कोई रक्षा नहीं हो रही है। श्रीमन्, इसके कई कारण हैं। पुलिस एक मशीनरी है और एक अनुशासित संस्था है और माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, रिक्रूटमेंट उसमें से ही होता है और जब हम सब इंस्पेक्टर्स का चुनाव करते हैं तो वह सिफारिशों से करते हैं। श्रीमन्, अगर एक अनुशासित पुलिस फोर्स पर अगर आप अंकुश नहीं रख पायेंगे, उस मशीनरी को आप ठीक ढंग से नहीं चला पायेंगे जिसकी जिम्मेदारी आज मुख्य मंत्री जी पर है।

सन् १९५४ में जब माननीय गुप्त जी को होम मिनिस्ट्री आफर की गयी तो उसको उन्होंने मंजूर नहीं किया। इसलिये नहीं किया क्योंकि वह जानते थे कि पुलिस को सुधारना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद कई गृह मंत्री आये। माननीय चौधरी चरणसिंह जी आये तो उन्होंने पुलिस को नये सिरे से बनाने की कोशिश की। उन्होंने विभाग स्वंय छोड़ा या उनसे ले लिया गया यह तो भविष्य में मालूम होगा, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने अब इस विभाग को अपने हाथ में लिया है और अगर वह इस विभाग को जो हमारा सोशल आब्जेक्टिव है उसके अनुरूप न बना सके तो बड़ी भारी यह उनकी असफलता होगी और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनके ऊपर होगी। सभी कहते हैं कि इसमें बड़ी अव्यवस्था है, खराबियां हैं। सदन के सभी माननीय सदस्य जो इधर या उधर बैठते हैं सभी इस बात से सहमत हैं। मैं पूछता हूं कि पुलिस में खराबी नहीं है क्या? और क्या जानमाल की हिफाजत हो रही है, क्या कत्ल नहीं होते हैं और केसेज मिनिमाइज नहीं किये जाते हैं और अपराधों को छिपाया नहीं जाता है, पुलिस ठीक है तो फिर यह सब बहस बिलकुल बेकार है। और ठीक नहीं, तो फिर उसके लिये हमको तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसी के ढूंढ़ने के लिये तो पुलिस स्टेंडिंग कमेटी ने समय-समय पर सुझाव दिये, उसकी सिफारिश आयी, पुलिस कमीशन बना, उसकी सिफारिशें आयीं लेकिन इन सबके बाद भी आज तक पुलिस की मनोवृत्ति वही बनी हुई है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट की अंग्रेजी कापी मैंने मांगी, पी०ए० से कहा होम सेक्रेटरी के, एक कापी न मिलना दुख की बात है। जहां पर इतनी रेडटेपिज्म हो, उसका ईश्वर मालिक है जहां पर इतना क्राइम्स को छिपाया जाय फिर भी सरकार की तरफ से यह कह दिया जाय कि क्राइम्स नहीं छिपायें जाते हैं। आज पुलिस कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि क्राइम्स को छिपाया गया है। तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? वही डी० आई० जी० जो आज आई० जी० बन गये हैं उनके ऊपर भी है मैं मंत्री से कहूंगा कि आप जो आई० जी० बनाते हैं तो पुलिस से न बनाइये। जो आई० सी० एस० और आई०ए०एस० हमारे दूसरे विभागों के हेड्स बन सकते हैं तो क्या जरूरी नहीं है कि पुलिस विभाग का आई० जी० भी आई० सी०एस० या जो कमिश्नर्स की पोस्ट्स के समान हैं या जो कोई भी उच्चाधिकारी हैं आपके होम सेक्रेटरी हैं इन सिविल सर्विस में आप पुलिस का आई० जी० बनाइये। जब आप आई० जी० पुलिस के डी० आई० जी० को प्रोमोट करके या सुपरसीड करके बनाते हैं तब जो पुलिस का डी० आई० जी० रह चुका है और जब वह आई० जी० बन जाता है जिसने क्राइम्स को छिपाया है और जिसके समय में पुलिस में आपसी मतभेदों में वह भी रहा है तो उसके दिल में पुरानी

[श्री नेकराम शर्मा]

लाइक्स व डिसलाइक्स रहती हैं। बहुत सी बातें रहा करती हैं और आई० जी० बन जाने पर वह उनको निकाल सकता है। मुख्य मंत्री जी इसको सोचें और जिस तरह से और विभागों को चलाने के लिये आपके पास बड़े से बड़े अधिकारी हैं, आई०सी०एस०, आई० ए० एस० और भी, उन्हीं में से पुलिस के आई० जी० बनाये जांय और अगर यह संभव न हो तो जैसा मैंने उस दिन कहा था कि हाईकोर्ट के जजेज के लिये, एक सेन्ट्रल पूल हो इसी तरह पुलिस का भी उसमें से लिये जायं। मुख्य मंत्री जी ने उस दिन जवाब देते हुये कहा था कि नेकराम जी तो चाहते हैं कि वकीलों में से हाई कोर्ट के जज न लिये जांय। यह बात नहीं है मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि एक सेन्ट्रल पूल बना दिया जाय और उन्हीं में से हाई कोर्ट के जजेज लिये जांय। इसी तरह के केन्द्र पूल से आई०जी० बनें। इसी तरह से प्रदेश में जो सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस रहे हों, जो डी० आई० जी० रहे हों और जिनकी भावनायें किसी न किसी के खिलाफ रही हों उनको आई०जी० न बनाया जाय। प्रेजेन्ट जो आई०जी० हैं उनमें आज जनता का विश्वास नहीं है, यहां के माननीय सदस्यों का विश्वास नहीं है, उन्होंने क्राइम्स को मिनिमाईज कराया है, छिपाया है और ऐसे आदमी को यहां आई० जी० रखना कदापि उचित नहीं है।

इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी सिविल पुलिस का आई० जी० अलग रखें और सी० आई० डी० का आई० जी० अलग रखें। चौधरी चरणसिंह जी ने सी० आई० डी० का आई० जी० अलग रखा लेकिन सी० आई० डी० आई० जी० को तोड़कर सारी ताकत अपने हाथ में फिर लेली गई। इसलिये सी० आई० डी० पुलिस का आई० जी० अलग हो जिसकी जिम्मेदारी केवल मुख्य मंत्री जी के प्रति हो और सिविल पुलिस का आई० जी० अलग हो क्योंकि आज हमें अपनी सुरक्षा के लिये बहुत से काम करने हैं। तिब्बत के बार्डर पर बहुत ही आवयश्कता है एक पृथक आई० जी० की। जितनी सावधानी से और मेहनत से हमारी पुलिस चीनी सिपाहियों की तरह से कम तनख्वाह पर परेशानी उठाकर और कठिनाई उठाकर काम करती है वह धयन्वाद की पात्र है। उसके वास्ते आई० जी० को अलग रखना चाहिये। मुख्य मंत्री जी को जब यह पता चले, आई० जी पुलिस को पता चले कि किसी शिकायत की जांच सी०आई०डी० द्वारा हो सकती है जो कि सीधे चीफ मिनिस्टर से संबंध रखता हो तो बहुत सी शिकायतें दूर हो सकती हैं और आई० जी० भी डरेगा।

श्रीमन्, यहां पर फिगर दिये जाते हैं और कहा जाता है कि अपराध इसलिये बढ़ गये हैं कि हमने रिकार्डिंग सही करना शुरू कर दिया है लेकिन यह भी सही बात है कि अभी भी पूरी सही रिकार्डिंग नहीं होती है। अब भी क्राइम्स को मिनिमाइज किया जाता है, छिपाया जाता है। श्रीमन्, मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानता हूं कि जिन्होंने क्राइम्स किये हैं वह आज भी फिर रहे हैं। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। सिकन्दराराऊ में हिन्दू मुसलिम दंगा कराने वाले और आग लगाने वाले बेफिकर घूम रहे हैं। [× × × ×] बहुत से लोग अपराधों में एक्सकांड करते हैं। वह इसलिये करते हैं कि गिरफ्तार न हो जांय। अगर वे गिरफ्तार हो जाते हैं तो पुलिस उनके साथ थर्ड डिग्री मैथडइ स्तेमाल करती है। उनको सीधे कचहरी में हाजिर होना अच्छा जान पड़ता है। वह जानते हैं कि अगर पुलिस के हाथ पड़ गये तो उनकी क्या दशा होगी। सभी जानते हैं कि बहुत से लोग इसमें मारे भी गये हैं। उनको बुरी तरह से पीटा जाता है। पुलिस द्वारा। लेकिन पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर हुये। मैं जानना चाहता हूं पुलिस विभाग के मंत्री से कि जिन पुलिस वालों के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुये उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई। जहां तक मैं समझता हूं किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। सिकन्दराराऊ में जिस समय आग जल रही थी तो उस समय उप मंत्री महोदय ने किसके घर खाना खाया था? उन्होंने उनके ही घर खाना खाया था जो झगड़े के लिये जिम्मेदार थे और जिन्होंने वहां पर आग लगवाई थी। यदि इस तरह से सरकार के जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा करेंगे तो यह पुलिस कंट्रोल में नहीं रह सकती है, न अपनी ड्यूटी निभा सकती है।

---

*[× × ×] श्री अध्यक्ष के १७ मई १९६२ के आदेशानुसार हटा दिया गया।

मेरा यह चार्ज है पुलिस के जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर कि वह पुलिस का गलत रूप से प्रयोग कराते हैं। अगर सरकार पुलिस से इस तरह का काम लेगी जो उनकी कुर्सी को मजबूत करने वाला हो और जिससे पुलिस का प्रयोग अपने फायदे के लिये हो तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी और जिस तरह से पुलिस आप पर हावी हो रही है वह और भी हो जायगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या यह सही नहीं है कि केसेज में फाइनल रिपोर्ट लगवा दी जाती है। यह किसके हुकुम से लगाई जाती है, क्या यह सही नहीं है कि कचहरी में जो केसेज चल रहे थे उनको वापस लिया गया? केसेज को वापस क्यों लिया गया? क्या यह सही नहीं है कि दिन रात इतने कत्ल होते हैं और पुलिस इनकी रोकथाम करने में बिल्कुल असमर्थ है? आज कितने ही कत्ल होते हैं लेकिन उनमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है? और कितने को छिपाया जाता है? क्या यह सही नहीं है कि पुलिस कर्मचारियों से आज कितना असन्तोष है? माननीय मुख्य मंत्री, जो रोज दौरा करते हैं, उनको क्या इस बात का पता नहीं है? मुख्य मंत्री जी किसी जिले के गांव में चले जांय तो उनको मालूम हो जायगा किनी जनता में कितना असन्तोष है पुलिस के प्रति। सिकन्दराराऊ में अलीगढ़ जिले में कोई ऐसा माह या साल नहीं जाता जब वहां पर कत्ल न होते हों लेकिन उन कत्लों को यह पुलिस रोक नहीं सकती। क्या नहीं रोक सकती? कातिल छोड़ दिये जाते हैं और उनके चालान नहीं होता है। केस क्यों चल नहीं पाते हैं? कितने केसेज में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है? मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी के पास बहुत काम है वह दूसरे आदमी को पुलिस देदें। यदि मुख्य मंत्री जी किसी दूसरे के हाथ में पुलिस नहीं देते हैं और अपने ही हाथ में रखते हैं तो इसमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यह पुलिस जो आज हमारे लिये इस्तेमाल की जाती है हो सकता है वह कल उनके लिये ही इस्तेमाल हो और इसमें पुलिस उनको ही और प्रजातन्त्र को समाप्त कर दे। इसलिये मेरा कहना यह है कि पुलिस पर कंट्रोल करना जरूरी है। आप आई० जी०, सी० आई० डी० अलग बनायें।

पुलिस कमीशन की सिफारिश है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंट्रोल पुलिस पर नहीं होना चाहिये मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरी यह निश्चित राय है कि पुलिस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर डिवीजन का कंट्रोल निहायत जरूरी है। मैं पुलिस कमीशन से सहमत नहीं हूं। अगर आपने यह कंट्रोल न रखा तो यह पुलिस फोर्स बहुत शक्तिशाली और निरंकुश बन जायगी। पहले जब पुलिस का स्ट्राइक हुआ था उस समय यहां होम गार्ड और पी०आर०डी० थी, उसकी वजह से वह स्ट्राइक समाप्त किया जा सका लेकिन अगर आज इस पुलिस फोर्स को डिवीजनल कमीश्नर के अधिकार से मुक्त कर दिया गया और पूर्ण स्वतंत्रता इसे दे दी गयी तो यह निरंकुश बन जायगी। इन शब्दों के साथ मैं पुलिस मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है। अगर इस समय वे असफल हो गये तो पता नहीं कि यह पुलिस फोर्स आफत हो जायगी। इसी वजह से उन्होंने १९५४–५५ में इस होम डिपार्टमेंट को नहीं लिया था क्योंकि पुलिस को ठीक करना कठिन है।

*गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। अभी नेकराम जी ने मेरा हवाला दिया और एक ऐसी बात कही तो उनको नहीं कहनी चाहिये थी। उन्होंने फरमाया कि वह डिप्टी मिनिस्टर साहब से जानना चाहते हैं कि उन्होंने सिकन्दराराऊ में उस व्यक्ति के यहां खाना खाया कि जिसका आग लगाने वालों में नाम था और उसने वहां आग लगाने में हिस्सा लिया गया था। श्रीमन्, मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह सही है कि यहां सभी माननीय सदस्यों को बोलने की काफी आजादी है, लेकिन उस के साथ कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिये। मैं निहायत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो लांछन नेकराम जी ने लगाया है वह बिल्कुल असत्य है और बेबुनियाद है। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इस हाउस के अन्दर (व्यवधान) मैं वह बातें कहना नहीं चाहता कि माननीय नेकराम जी का अपने क्षेत्र में किन-किन लोगों से संबंध है। (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग चुप रहें । वे भाषण नहीं दे रहे हैं । वे वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री नवलकिशोर—मैंने अपनी पर्सनल बात कही कि उनका लांछन गलत और बेबुनियाद है ।

श्री नेकराम शर्मा—मैं चार्ज लगाता हूं कि उस आदमी का नाम आग लगाने वालों के साथ रिपोर्ट में है जिसके यहां उन्होंने जाकर भोजन किया था और जिसके लिये तार पं० जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—दोनों तरफ से बात हो जानी चाहिये, लेकिन शोर गुल से कोई फायदा नहीं होता ।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)——माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज समूचे उत्तर प्रदेश में पुलिस के प्रति असंतोष है और यह बात इधर के लोग और उधर के लोग भी कह रहे हैं । यह हो सकता है कि जब हां और ना का समय आये तो उधर के लोग असंतोष के लिये ना कह दें और बोलते समय हां बोलें । जहां तक असंतोष है, उसका पूरा प्रमाण तो इस सदन के वर्तमान अध्यक्ष महोदय भी हैं । इस प्रदेश में पुलिस आयोग कायम हुआ था जिसके सदस्यों में उनका भी नाम है और कांग्रेस पार्टी के अन्य विधायक, एम०पी० तथा और बहुत से जिम्मेदार व्यक्ति उसमें थे । उनकी कुल संख्या १८ थी । उसकी रिपोर्ट में साफ-साफ यह बात दर्ज की गयी है कि "हमने साक्षियों से एक प्रश्न किया था कि क्या यह पुलिस की वर्तमान व्यवस्था को संतोषजनक तथा लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपयुक्त समझते हैं, इसके अलावा उसकी मुख्य कमियां क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है । ३-४ से अधिक साक्षियों ने जिन्होंने इसका उत्तर दिया, पुलिस की वर्तमान व्यवस्था को असंतोषजनक समझा । इस राय का समर्थन पुलिस महा निरीक्षक, श्री एम०एस० माथुर ने भी किया जिनका यह विचार था कि वर्तमान व्यवस्था बहुत पुरानी हो गयी है । शेष एक चौथाई का यह विचार था कि यह प्रणाली प्रायः ठीक है और उसमें केवल थोड़े से परिवर्तन की जरूरत है ।" तो आयोग की इस रिपोर्ट के बाद यह कहना कि असंतोष नहीं है, बिलकुल सत्य पर पर्दा डालने वाला है । अगर कोई दरोगा तब्दील होकर कहीं जाता है और यदि उस समय अपराध बढ़े हैं तो उसकी जगह आने वाला दरोगा पहले तो उसको दबाने की कोशिश करता है फिर उन केसेज को उभाड़ने में लगता है । कोई दरोगा अगर अपराधों को दबाकर जाता है तो फिर आने वाला उनको उभाड़ने की कोशिश करता है । तो दबाने और उभाड़ने दोनों से ही शोषण होता है और वह जारी है ।

आज छोटी जाति और औरतों में काफी असंतोष है । औरतें जब थाने में जाती हैं तो उनके साथ स्वतंत्र भारत के नागरिक जैसा व्यवहार नहीं होता । औरतों के साथ तो "अबर की मेहरी सारे गांव की भौजाई" वाली कहावत होती है । जब कोई औरत थाने में शिकायत लेकर जाती है तो पुलिस के कर्मचारी उस पर छींटाकशी करते हैं और वह उनकी छींटाकशी की शिकार होती है । इसी तरह से और भी नाजायज हरकतें होती हैं । वे ही उनको पैदा करती हैं और उनके साथ यह व्यवहार होता है और दूसरे बिना पैसे के पुलिस सहायता नहीं मिल रही है । आज गांव में जनता को अगर राहत है तो वह दो वजह से है एक तो जब राहत मिलती है जब कि दो अवान्छनीय तत्वों में बटवारे आदि के कारण झगड़ा हो जाता है, डाकुओं में झगड़ा हो जाता है और वे एक दूसरे को परास्त करने में लगे रहते हैं और दूसरे जब मिलती है जब कि पुलिस में लूट के माल का बंटवारा होता है और उसमें

झगड़ा हो जाता है और वे एक दूसरे की शिकायत ऊपर पहुंचाते हैं या कांग्रेस पार्टी के नेताओं और दूसरी पार्टियों तक पहुंचाने लगते हैं । जब ऐसी घटनायें होती हैं तभी कुछ राहत मिलती है, वरना दो अवान्छनीय तत्व जब एक राय के होते हैं, तब जनता बिलकुल निराश्रित हो जाती है और लोग यह नहीं समझ पाते कि उनकी रक्षा होगी भी या नहीं ।

इसके कई कारण हैं । एक कारण तो यह है कि आज समाज का निर्माण पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर है । आज एक तरफ मिनिस्टर लोग अमरीकी नकल कर रहे हैं, दूसरी तरफ छोटे कर्मचारियों से त्याग की अपेक्षा करते हैं । अपने तो भोग के लिये अमरीकी नकल करेंगे, अपने बच्चों से, अपनी बीबियों से काम नहीं लेंगे, उनके बच्चे ऊटी उटकमंड-देहरादून बड़ी-बड़ी जगहों में पढ़ेंगे, और दूसरों की बीबियों से अपना काम करवायेंगे, और दूसरों से त्याग चाहेंगे, यह संभव नहीं है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा । (लाल बत्ती होने पर) मुझे ४ मिनट का समय और दे दिया जाय । मुझे सुझाव यह देना है कि आज थाने में दस बजे शाम से दस बजे सुबह तक थाने का रोजनामचा खाली रहता है, उसकी व्यवस्था पुलिस मिनिस्टर महोदय करें कि वह रोजनामचा खाली न रहने पाये । इस समय पुलिस अधिकारी बहुत गलत काम करते हैं इसके लिये आपको कोई बन्दोबस्त करना पड़ेगा ।

दूसरी बात यह है कि दफा ३२३ या जो दूसरी दफायें १४७, ५०५, ५०६, ३२४, ३२५ तथा छोटी चोरी की हैं उनमें पुलिस जांच नहीं करती है और जो इन्हें न जांचने के अधिकार पुलिस को मिले हैं इनसे चोरियों की शिकायत और बढ़ती है । पुलिस को जांच का अधिकार होना चाहिये और चोर बनाने वाली १०९/११० की जो दफायें हैं उनको भी खत्म करनी चाहिये । इसके बिना पुलिस का सुधार नहीं हो सकता है ।

मेरा यह भी सुझाव है कि गांव की जो पुलिस है वह गांव पंचायत के मातहत कर दी जाय और चौकीदार की तनख्वाह बढ़ाई जाय और उसको गांव सभा के मातहत कर दिया जाय । उसकी बरखास्तगी, उसकी मोअत्तली और साथ ही साथ उसकी भर्ती का अधिकार भी गांव सभापति को दे दिया जाय । तब जाकर सही माने में पुलिस जनता की सेवा कर पायेगी वरना सिर्फ बहस से काम नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री नेकराम शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना देना चाहता हूं । माननीय नवलकिशोर जी ने कहा है कि मैंने जो भाषण दिया वह असत्य है । अगर वह असत्य होगा तो मुझे सजा मिलेगी । तो मैं इस समय आपको नोटिस देता हूं और कल आपकी सेवा में उसको प्रस्तुत करूंगा ।

१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या १५—पुलिस—(क्रमागत)

श्री विजयशंकर (जिला इटावा)—उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो पुलिस का अनुदान रखा गया है उसका समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस अनुदान के ऊपर इधर से और उधर से बहुत सी बातें कही गई हैं । किसी ने एक थाने की बात कही तो किसी ने कानून को घटाने-बढ़ाने की बात कही और एक साहब ने कहा कि दफा १०९/११० को खत्म कर दिया जाय । मुझे यह कहना है कि इस माननीय सदन के सदस्य जो जिम्मेदारी लेकर यहां आये हैं, दोनों तरफ के वह मिलकर बैठें और इस समस्या का हल निकालें जिससे पुलिस में सुधार हो सके । मैं नहीं मानता कि पुलिस में कोई दोष नहीं है । मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और पुलिस की कार्यक्षमता घटती जा रही है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर एक-एक की मनोभावना को बदलें, केवल

[श्री विजयशंकर]

आलोचना करने से ही उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं सुधर सकती है। हम एक थाने को लेकर पुलिस में सुधार नहीं कर सकते। अभी तीन-चार महीने पहले इटावा जिले में एक घटना घटी। चलती हुई ट्रेन में वहां के जिला परिषद् के अध्यक्ष पं० रामनारायण की निर्मम हत्या की गई और मेरा खयाल है कि पुलिस आज तक उसको खोज नहीं लगा सकी है। केवल एक मसले को लेकर पुलिस की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है। आपने पूज्य बापू के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और हमने इतने बड़े साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया लेकिन उसका लाया हुआ भ्रष्टाचार आज भी भारत में मौजूद है। हम निमंत्रण देते हैं कि हम और आप मिल कर और एक साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनायें। क्योंकि खाली विवाद से कोई मसला हल होने वाला नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी और आई०जी० से मैं निवेदन करूंगा कि उनके जब दौरे लगते हैं तो एक-एक हफ्ते पहले सब लोगों को उसकी सूचना हो जाती है। लेकिन पहले जब हमारे राजे महाराजे अपराधों की जांच करते तो छिप कर करते थे। इसकी वजह से लोग उनसे कांपते थे। अगर आई०जी० या डी०आई० जी० किसी थाने में छिप कर पहुंच जायं तो सारी स्टेट में आतंक पैदा हो जाय। सन् २३–२४ में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे इटावा में आये और दो तीन घटनाओं की जांच उन्होंने छिप कर की तो सारा जिला कांपने लगा। नीचे के सारे अधिकारियों में भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा कोई कार्यक्रम हमारे यहां तो नहीं है।

आज लोगों के मन में यह बात पैदा हो गयी है कि पैसे वाला बड़ा आदमी है और इस पैसे को पैदा करने के लिये गंदे उपायों को अपनाया जाता है। लेकिन हमें एक ऐसी भावना पैदा करनी होगी जिससे लोगों में नैतिकता पैदा हो और हमारे भारत की मनोभावना बदले। हम किसी एक विभाग या व्यक्ति की आलोचना करने से देश के ४४ करोड़ आदमियों को सुधार नहीं सकते। अगर आप आज एक थानेदार को बरख्वास्त कर देंगे तो कल दूसरा आ जायगा। लेकिन अगर हम लोगों की मनोवृत्ति में सुधार कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी। हम ४३० यहां जनता के द्वारा चुन कर आये हैं। अतः इस सदन का सम्मान बढ़ाने के लिये आज हम यह व्रत लें कि हममें नैतिकता अपने आपको उत्पन्न करना है। लेकिन हम देखते हैं कि हर पार्टी के लोग, लाल टोपी, सफेद टोपी और पीली टोपी के लोग थाने में चक्कर लगाया करते हैं। आज हमारे शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं की मीटिंग पुलिस की देखभाल में होती है। हम पुलिस के सहारे के आदी बनते जा रहे हैं। अगर हम अपने में नैतिकता पैदा करें तो पुलिस के सहारे को आसानी से छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश को भी आगे बढ़ा सकेंगे।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस अनुदान के ऊपर जो माननीय सदस्य बलवान सिंह जी की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलते हुये, अपने विचारों को माननीय सदस्यों के सामने पेश करना चाहता हूं। मान्यवर, पुलिस के ऊपर खर्चा बढ़ता जा रहा है। किसी भी समाजवादी मुल्क के अन्दर यह सोचने की चीज है कि पुलिस के ऊपर अगर खर्चा बढ़ता है तो सचमुच उस जगह जनतंत्र प्रणाली है, ऐसा नाम मात्र को भी नहीं कहा जा सकता। सन् १९५९-६० में ९,४१,८९,६०० रुपये, १९६०–६१ में ९,८६,९०० रुपये, १९६१–६२ में १०,५१,७७,२०० रुपये, और १९६२–६३ में ११,६७,०३,१०० रुपये पुलिस का बजट है। इस तरीके से १९६०-६१ में करीब ४४,११,३०० रुपये की बढोत्तरी हुई और १९६१–६२ में १,१५,२५,९०० रुपये की बढोत्तरी हुई और साथ ही साथ आपकी तरफ से जो पुस्तिका बंटी है उसमें जो आपके ही दिये हुए आंकड़े हैं, उनमें से चन्द आंकड़े माननीय मंत्री जी के सामने पेश कर देता हूं। सन् १९५९ में ९४९ डकैती हुई जबकि सन् १९६० में ९५२ और सन् १९६१ में १७५१ डकैती हुई। इस तरीके से जुर्म बढ़ते जाते हैं और दूसरी तरफ पुलिस पर सरकार का खर्च भी बढ़ता जाता है। यह सोचने

की बात है कि एक तरफ तो आप इस मुल्क में जनतांत्रिक प्रणाली की दोहाई देते हैं और दूसरी तरफ जनता के ऊपर यह कर का भार भी बढ़ता जाता है। एक तरफ डकैती बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर सरकार की तरफ से खर्चा बढ़ता जाता है। यह टैक्स किसके ऊपर पड़ता है, यह जनता के ऊपर ही पड़ता है लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है।

कल से मैं देख रहा हूं और मैंने इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े गौर से सुना। उधर के माननीय सदस्य तो विरोधी दल के माननीय सदस्यों की बातों को दफनाने की ही कोशिश करते हैं यह कह कर कि वे तो बिलकुल झूठ बोलते हैं, सच तो ये बोलते ही नहीं। ऐसा मालूम होता है कि उधर के माननीय सदस्यों ने ही सच का ठेका ले लिया है। मैं पूछता हूं कि आखिर ये अपराध क्यों बढ़े और पुलिस पर जो खर्चा बढ़ रहा है उसको कम करने के लिये क्या किया गया आज पुलिस का नंगा नाच आपकी आंखों के सामने है। इलाहाबाद के फारूक नामक व्यक्ति को थाने में बुरी तरह से पीटा गया और उसकी लाश पर पटरा रख कर पुलिस के दो नौजवानों को बैठा दिया गया। क्या माननीय सदस्यों के सामने या माननीय मंत्री जी के सामने यह चीज नहीं है कि इस मुल्क में फारूक जैसे व्यक्ति को उसकी बीबी को बैठा कर इस किस्म का जुल्म ढाया जाता है और उसके ऊपर यह अभियोग लगाया जाता है कि उसने चोरी की है? जहां तक मुझे जानकारी है, पुलिस आफिसर की लड़की के साथ फारूक नामक व्यक्ति के नाजायज संबंध होने का उसे शक था, इसीलिये फारूक को कोतवाली में बुला कर उसे बुरी तरह से पीटा गया और उसी से जेलखाने के फाटक तक पहुंचते पहुंचते उसका प्राणांत हो गया। क्या यह पुलिस का नंगा नाच नहीं है।

आप कहते हैं कि हमारी पुलिस दूध की धोयी है। इसी तरीके से बलिया में देखा जाय कि वहां राम जनम सिंह को दिन दहाड़े पुलिस ने अपने बल्लम का निशाना बनाया और इस दुनिया से अपनी जिन्दगी लेकर उनको जाना पड़ा। क्या यह बात आपके सामने नहीं है? और जब उनके घर के लोग कोतवाली में जाकर रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, पुलिस रिपोर्ट लिखने से इंकार कर देती है और उनके व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है।

पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर जी० आर० पी० के एक नवयुवक ने एक लड़की को पकड़ कर उसके साथ बलात्कार किया, क्या यह चीज आपके सामने नहीं आयी [× ××] इस तरह का जो पुलिस में बुनियादी भ्रष्टाचार है और पुलिस जो गलत तरीका और रवैया हमारे प्रदेश में अख्त्यार किये हुये हैं उस को ठीक करना चाहिये, क्योंकि उससे जनता में बड़ा असंतोष है। आज जब लोग थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं तो उन की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और एक एक रिपोर्ट पर ३०–३० रुपया और ५०–५० रुपया तक घूस पुलिस लेती है तब रिपोर्ट लिखती है और वह भी ठीक नहीं लिखी जाती है। अगर आप रिपोर्ट को सही लिखाना चाहते हैं तो उसको तोड़मरोड़ कर लिखा जाता है और गलत तरीके से दबाव डालकर गलत बातें लिखते हैं और अगर उनको पैसा न दिया जाये तो उल्टा फंसाने की कोशिश भी करते हैं।

मैं, श्रीमन्, २ मिनट और चाहूंगा। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां आ गये हैं और उन्होंने आसन ग्रहण किया है, कितने डिपार्टमेंट वह लिये बैठे हैं, गांवों के चौकीदार भी कई विभाग लिये बैठे हैं, वह पंचायतों का काम करता है, थाने का काम करता है, कोआपरेटिव सोसाइटियों का काम करता है जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्री जी कई विभाग लिये बैठे हैं लेकिन अन्तर यह है कि आप १६०० रुपया वेतन लेते हैं, लेकिन वह गरीब जिसको आपने अपने बराबर देहात में डिपार्टमेंट दे रक्खे हैं उसको आप ४ रुपया १४ आना देते हैं। या तो आप इस वेतन को खत्म कीजिये वर्ना उसका वेतन बढ़ाइये। आप यहां समाजवाद का नारा लगाते हैं और जनतंत्र प्रणाली की दोहाई देते हैं और इस तरह की असमानता देश में कायम रखना चाहते हैं तो आप पुलिस के अत्याचार को और भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते।

[×× ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

[श्री रघुवीर]

इसमें सन्देह नहीं कि जिस तरह से आप ने पुलिस के ऐबों पर पर्दा डालने की कोशिश की है और अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि इस तरह से आप की सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जायगी।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव श्री बलवान सिंह जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इन २ दिनों की बहस के दौरान में विरोधी पक्ष की ओर से जहां पुलिस की आलोचना हुई है वहां सरकारी पक्ष के द्वारा पुलिस का गुणगान किया गया है। आज हम सब जानते हैं कि जनसाधारण पुलिस से भयभीत और आतंकित है, वह थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने जाने तक में भय खाती है और समझती है कि वहां हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी और अगर वह लिखी भी जायगी तो तोड़मरोड़ कर लिखी जायगी, या मुझ से पैसा मांगा जायगा और यह भी हो सकता है कि जिस बात की मैं रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूं उस के लिखने के बजाय मुझे ही बन्द कर दिया जाय। जनसाधारण का सम्बन्ध न आई० जी० से है, न डी० आई० जी० से, न एस० पी० से और न एस० एस० पी० से है, उस का सम्बन्ध तो सीधे चौकी और थाने से है। यदि जन साधारण के साथ चौकी या थाने में पुलिस के द्वारा सौजन्य और ईमानदारी का बरताव होने लगे तो इस तरह से मैं समझता हूं कि जनसाधारण की अधिक शिकायतें दूर हो सकती हैं, लेकिन जो व्यवहार जनसाधारण के साथ किया जाता है उसको देखते हुये हम यह कह सकते हैं कि पुलिस का जो व्यवहार और रवैया जिस तरह का अंग्रेजी शासन काल में था कि वह उन की बुनियादों को जमाये रखने में जनता को आतंकित करती थी वही आज कांग्रेसी राज में है।

सरकारी पक्षों के द्वारा यह बार बार कहा गया है कि विरोधी पक्ष द्वारा कोई सुझाव नहीं दिया जाता है जिसको हम मानने को तैयार हों। विरोधी पक्ष की ओर से सुझाव दिये गये हैं और पुलिस आयोग जो बैठा था, उसका जो प्रतिवेदन है उसमें भी सुझाव दिये गये हैं। उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं—"कल्याणकारी राज्य में लोगों को रोजगार देना सरकार का कर्त्तव्य है और हमें इस बात का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके जीवन निर्वाह के कोई प्रकट साधन न हों, सदाचार का मुचलका लिया जाय। संघ संविधान के अनुच्छेद १९(घ) के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को गणराज्य के समस्त क्षेत्र में समस्त रूप से चलने फिरने का अधिकार है। अतएव हमारा यह विचार है कि जो व्यक्ति अपना विवरण वास्तव में संतोषजनक रूप से देने में समर्थ न हो उससे मुचलका लेने का जो अधिकार पुलिस को है उससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९ (घ) के उपबंध के आशय का उल्लंघन होता है। हमें यह भी विदित हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५५ (बी) तथा धारा १०९ (बी) के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का बहुधा दुरुपयोग किया जाता है। अतएव हमारी सिफारिश है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ५५ की उपधारा (बी) तथा धारा १०९ की उपधारा (बी) निकाल दी जाय।" इसके द्वारा पुलिस को असाधारण अधिकार दिये गये हैं जिनका दुरुपयोग वह समय समय पर करती रहती है। अतः वह निकाल दी जाय। इसके अतिरिक्त धारा १०७ ११७, १५१ के कारण भी पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके निरअपराध व्यक्तियों को पकड़ती है और गुन्डागीरी के नाम पर, अपराधों के नाम पर चाहे जिस व्यक्ति को पकड़ कर थाने में दो, दो दिन तक बैठा लेती है। यह किसी प्रकार पुलिस के लिये उचित नहीं कहा जा सकता।

जहां तक पुलिस के मनोबल या नैतिकबल के गिरने का प्रश्न है, सही बात कहने से किसी व्यक्ति का नैतिक बल नहीं गिरना चाहिये, बल्कि सही बात को झूठे रूप से कहने से पुलिस का नैतिक बल गिरता है। विरोधी पक्ष यदि सही रूप से आलोचना करता है तो मैं समझता हूं कि पुलिस का बड़े से बड़ा अधिकारी अपनी आलोचना का मनन करेगा तो हमारी बात सही पायेगा। विरोधी पक्षों के द्वारा जो आलोचना की जाती है वह ठीक है और उसे दूर किया जाना चाहिये। जहां तक सरकारी पक्ष का सम्बन्ध है अनुदान का प्रस्ताव तो पास हो ही जायगा। वैसे सरकारी पक्ष के लोग हम लोगों से आकर कमरों में कहते हैं कि तुम लोग

पुलिस की इस प्रकार से आलोचना करना। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि कहना वह भी चाहते हैं, लेकिन सत्य बात को वह यहां कह नहीं पाते, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है और विपक्ष के लोग उन्हीं बातों को सही रूप में यहां प्रकट करते हैं। इससे पुलिस का नैतिक तथा मनोबल गिरता नहीं है। अगर हम सही बात न कहें तो जिस जनता के हम नुमाइन्दे हैं उसका नैतिक बल गिरता है। वह यह समझती है कि सही बातों को कहने के लिये जिन नुमाइन्दों को हमने भेजा है उनके अन्दर यह साहस नहीं है कि वहां जाकर वह ठीक बातों को रख सकें। मैं सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि थानों में सही रिपोर्ट लिखी जानी चाहिये। चाहें वह गरीब की हो या अमीर की।

*श्री रुकुमसिंह (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि मुझे चार दिन बाद विवाद सुनते हो गये, लेकिन अजीब बात है कि कोई नवीन बात सुनने को नहीं मिली। पुलिस के मुताल्लिक मुख्तलिफ किस्म की ज्यादतियां बतायी गयी हैं। जब देश में इन्कलाब होता है तो उस देश की हालत उथल पुथल हो जाती है, देश में गुन्डागर्दी का बोलबाला हो जाता है, उस समय शान्ति भंग होने का अन्देशा होता है, लोगों को उस काल में शान्ति स्थापित करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिये आप को यह भ्रम है कि पुलिस का बड़ा अत्याचार हो रहा है। यह बात गलत है। यह वह काल है जो कि क्रान्ति काल कहलाता है पुलिस ने जो सराहनीय कार्य किये उनका आपने कोई जिक्र नहीं किया। मैं बदायूं जिले का रहने वाला हूं जो दो नदियों के बीच में है और जहां फर्रुखाबाद, एटा और बदायूं की सड़कें मिलती हैं। वहीं डाकू लोग जंगल में रहते हैं और नदी के उस पार चले जाते हैं। अभी हाल में बदायूं जिले की पुलिस ने उनको बड़ी मुश्किल से अपने काबू में किया है और उस मुठभेड़ में उसके कई आदमी हताहत हुये। ऐसी हालत में जो पुलिस अपनी जान को हथेली पर रख कर आपकी मदद करती है उसके लिये आपके पास एक भी सराहना का शब्द नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में जिस पुलिस की स्थापना हुई थी वही डर आज भी लोगों के दिल में है, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। अब हमारी पुलिह देशी राज्य के हाथ में है और ऐसी पार्टी के हाथ में है जिसके सैकड़ों आदमी फांसी के तख्ते पर झूल गये, जिन्होंने अपने खून की नदियां बहाईं। क्या वे पसन्द करेंगे कि देश की जनता इस तरह से तबाह की जाय और उनकी पार्टी बदनाम हो? वे ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस कट मोशन को वापस ले लें। आप पुलिस आयोग की सिफारिशों को आने दीजिये। पुलिस के जो इतने ज्यादा अधिकार कर दिये गये हैं वे उस कमीशन की सिफारिशों के जरिये से सीमित हो रहे हैं और उनको इतनी छूट नहीं मिलेगी कि जनता पर अत्याचार कर सकें। आपकी ड्यूटी हैल्थी क्रिटिसिज्म करने की है और अपोजीशन के लिये यह सराहनीय है कि वह हम लोगों को वार्निंग देता है और गवर्नमेंट को व्हिप करता है ताकि वह सो न जाय।

इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि आप अपने कट मोशन को वापस ले लेंगे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—जनाब उपाध्यक्ष साहब, जो पुलिस की किताब मिली उसे पढ़ कर बड़ा ताज्जुब हुआ इसलिये कि अब से दो, ढाई महीने पहले सभी कांग्रेस के सदस्य किसान के पास मैदान में बैलों की जोड़ी ले कर जाते थे, लेकिन इस वक्त देहात में जो सबसे ज्यादा जुर्म हो रहा है वह बैलों को खोला जाना और यह सब बातें मुकामी थानेदार के मश्विरे से और मेल से होती हैं। बैल खोले जाते हैं और उनका तय हो जाता है। जो साहब बैल खोलते हैं वे आधी कीमत बैल की ले लेते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा मुकामी पुलिस ले लेती है और कुछ पुलिस के टाउट्स यानी दलाल ले लेते हैं। हमें अफसोस हुआ कि हमारे साथी पुलिस

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

रिपोर्ट में बैलों को भूल गये। हालांकि उनके नाम पर ही वे कामयाब होकर यहां आये हैं। जहां तक पुलिस के काले कारनामों का सवाल है दो दिन की बहस के बाद कुछ कहने की गुंजायश नहीं रह गई। [× × ×] मैं ३,४ सजेशन्स ही देना चाहता हूं और उनके साथ-साथ ही वजूहात भी बताऊंगा कि वे क्यों होने चाहिये ?

सब से पहला मेरा सजेशन्स यह है कि या तो आप पुलिस के चौकीदार की तनख्वाह बढ़ा दीजिये या फिर इस जगह को समाप्त ही कर दीजिये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त चौकीदार क्या काम करता है यह देखने की बात है। यह महीने में दो बार थाने में एक दिन और एक रात के लिये जाता है जिसका भत्ता मंत्री जी जानते होंगे, एक रात का उसको दो आने मिलता है। इसके ऊपर वह दो बार थाने में जाता है और बताता है कि उसके हल्के में किस तरह से दरोगा जी को पैसा मिल सकता है। यह स्कीम बता कर वह आता है कि ये ये मामले उसके यहां हो चुके हैं और इन मामलों के होने का अंदेशा है। आप होशियार हो जाइये। आपको इन तरीकों से पैसा मिलने जा रहा है। वह सारे थाने का एक महीने का पूरा प्रोग्राम बनाने का मालिक होता है। इसका नतीजा यह होता है कि ज्यादातर पुलिस के चौकीदार दलाली करते हैं। इसलिये बेहतर हो कि इनको खत्म कर दिया जाय अगर आपका बजट एलाऊ नहीं करता है कि इनको होल टाइम रख सकें।

दूसरी बात जो इस वक्त होती है वह यह होती है कि जब कहीं कोई घटना होती है या कोई वाकया होता है जहां से थाने का फासला १० मील, ५ मील या ४ मील होता है और उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि थाने में जाकर सही रिपोर्ट लिखाये। इसलिये उसे किसी न किसी को साथ ले जाना पड़ता है। इसके माने यही होते हैं कि वह रिपोर्ट सही नक्शे में नहीं लिखा पाता है और न लिखने दी जाती है। उसको कम्पैल किया जाता है कि इस तरह की रिपोर्ट लिखावोगे तो तेरे ऊपर बार सबूत होगा और अगर इस तरह से लिखावोगे तो पुलिस सबूत की जिम्मेदार होगी। जो वहां के दलाल उसके साथ जाते हैं इस तरह से उसको मजबूर कर देते हैं और वह सही वाकया नहीं लिखा पाता है और मुकदमा कुछ का कुछ हो जाता है। अगर कहीं ३५६ का मुकदमा है और मुलजिम से दरोगा जी या दलालों की दुशमनी है तो वह ३७६ का बन जाता है और ३७६ का मुकदमा ३५६ का बन जाता है। इस तरह से दफाओं की उलट पलट हो जाती है। आप थाने में जो १०, १२ के स्थान पर २० कांस्टेबिल रखने जा रहे हैं और पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार स्टाफ बढ़ाने जा रहे हैं तो १०, १० गांवों के ऊपर एक-एक कांस्टेबिल लगा दें और यह कह दें कि वह उन्हीं गांवों में रहेगा और बाकी स्टाफ को तामील के काम में लें। अगर इस तरह से इंतजाम हो जाय तो मुकदमे सही लिखे जा सकते हैं।

तीसरा मेरा सजेशन यह है कि एफ० आई० आर० गांव के प्रधान के पास होने चाहिये ताकि ५-६ मील के फासले के कारण असल की नकल न बन पाये। गांव के अन्दर वाकया हो तो प्रिलिमिनरी एफ० आई० आर० प्रधान के पास हो, और दूसरी रिपोर्ट थाने में जा कर हो ताकि बाकयात में अगर कोई गड़बड़ी करना चाहे तो न हो सके। यह मेरा सजेशन है।

पुलिस रेगुलेशन्स का २२८ रेगुलेशन इतना वाइड है कि जिसमें कैसा ही भला आदमी हो, अगर पुलिस चाहे तो उसको बदमाश बना दे। जरा सी दारोगा जी से मुखालिफत हो जाय तो पुलिस वाले सब कार्यवाही कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं जस्टिस टंडन साहब का जजमेंट जो पांच, छः साल पहले हुआ था, उसका हवाला में देना चाहता हूं जो कि उन्होंने लखनऊ बेंच में सीतापुर में मुकदमे में मुहम्मद यासीन के बारे में दिया। मैं उससे सिर्फ तीन लाइनें पढ़कर सुनाऊंगा।

"H's Lordships also held that it was an abuse of Police Regulation 228 to start history-sheet aginst a person who on some occasion had committed an offence but was not a confirmed criminal"

[× × ×] श्री अध्यक्ष के १७ मई, १९६२ के आदेशानुसार हटा दिया गया।

रेगुलेशन २२८ यह बतलाता है कि जब तक कोई कंफर्म्ड क्रिमिनल न हो तब तक पुलिस वालों को राइट नहीं है कि उसके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोल सकें। अगर किसी ने किसी का नाम रिपोर्ट में लिखा दिया, तो वहां से आ गया कि इसकी हिस्ट्री शीट खोल दी जाय। यह कनफर्म्ड क्रिमिनल के मानी नहीं है। सेक्शन ११० इसी लिए रखा गया है कि पुलिस वाले यह साबित करें यह शख्स कनफर्म्ड क्रिमिनल है और जुर्म करने का आदी है। मेरी मांग है कि इस सेक्शन २२८ के बारे में गवर्नमेंट पूरे सूबे में सर्वे करवाये कि कितने केसेज में २२८ सेक्शन सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है और कितने केसेज में गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है।

पुलिस ने एक सिस्टम बना लिया है कि जो लाइसेंसदार हैं उनको वह समझती है कि अगर १२ बजे रात को भी बुलायेंगे तो वह दौड़ कर गवाही देने के लिए आने पर मजबूर होंगे वरना लाइसेंसदार यह समझता है कि अगर दरोगा जी ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दी तो हमारा लाइसेंस खारिज कर दिया जायगा। मैं तो यह समझता हूं कि या तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे कि लाइसेंसों के ऊपर से रेस्ट्रिक्शन उठा लिया जाय लाइसेंस फ्री कर दिया जाय और या तो इतनी सख्ती कर दी जाय कि सिर्फ उन्हीं को, लाइसेंस दिये जांय जो उसके मुस्तहक हों।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना कटमोशन वापस ले लूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा ?

श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश में ग्रामीण जनता पुलिस से इतनी भयभीत और आतंकित है जिसके कारण देश में एक बहुत बड़ी अशान्ति व्याप्त है बल्कि सत्य तो यह है कि साल में ३६५ दिन होते हैं जिनमें ३६६ डकैतियां होती हैं और डकैतियों की रिपोर्ट जब गांव वाले लिखाने जाते हैं तो वहां के एस० ओ० महोदय यह कहते हैं कि डाकुओं का नाम बताओ। महोदय, वह डाकुओं को किस तरह से पहचान सकते हैं ? जब डाकू गांवों में आते हैं, फायर करते हैं, लोगों को लूटते खसोटते हैं और जलाते हैं। तो उस स्थिति में उनको पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन अगर वह उनका नाम नहीं बताते तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है। फिर क्या होता है ? कुछ पुलिस के दलाल पहुंचते हैं और कुछ इधर उधर के नाम बता देते हैं। उनको वहां पर पकड़कर लाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि तुम डाकू हो। तुमने फलां जगह डकैती डाली है। वह बेचारे मजबूर हैं। दलाल लोग पैसे की बात उनसे करते हैं और उनसे पैसा दिलाकर उनको छोड़वा देते हैं। तब वह यह भी समझते हैं कि चलो चार सौ, पांच सौ देकर छूट गये तो अब किसी जगह ४ हजार ५ हजार की डकैती डालो। इस प्रकार वह भी डकैती डालने में निपुण हो जाते हैं। इस तरह से पुलिस के कारण बहुत सी डकैतियों की तादाद बढ़ रही है।

जिला खीरी के कल हमारे एक कांग्रेसी सदस्य ने एक बात कही थी कि हमारे जिले के एक थानेदार की जनसंघ के एम० एल० ए० ने सिफारिश की थी। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। वास्तव में जिन्दपुर एक गांव में डकैती हुई थी। उसमें उन्हीं सज्जन के सम्बन्धियों ने डकैती डाली थी और उसी दिन प्रातःकाल कुछ रात रहे पुलिया के किनारे नदी पर वह पकड़े गये थे। उनकी थाने में रिपोर्ट लिखाई गई। डकैत पकड़े गये। वह महोदय चाहते थे कि उनकी रिपोर्ट न लिखी जाय और डाकुओं पर केस न चलाया जाय, लेकिन थानेदार मजबूर था। उसने डकैती की रिपोर्ट लिखी और मुकदमा चलाया। उससे वह नाराज हो गये और नाराज होने पर इससे पहले चार, पांच हिस्ट्री शीटर्स जो थे जिनको कि वास्तव में दरोगा ने मारा था और

[श्री मन्नालाल]

कुत्तों से कटवाया था और जिनकी तब उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी, लेकिन जब उनके सम्बन्धियों को दरोगा ने नहीं छोड़ा तो उन्होंने उन्हीं आदमियों से एक कम्प्लेंट करा के अदालत इस्तगासा दायर कराया । इस्तगासा दायर करने पर मुकदमा चला और मैजिस्ट्रेट ने उसको निर्दोष छोड़ दिया । अगर देखा जाय तो उस जजमेंट के अन्दर उन महोदय का नाम हर दो तीन सफे पर आया है जिन्होंने कि उसकी रिपोर्ट करवायी थी । इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और भी घटना वहां हुई थी । जिन्दपुर गांव में उनके साथियों ने एक हरिजन अध्यापक के भाई को इस बात पर कत्ल किया था कि वह चारपाई पर बैठता था और उसका घर रास्ते के पास था । जब वह कत्ल किया गया और थानेदार ने डेढ़ हजार रुपया लेकर उसको उल्टा मुकदमा चलाने की कोशिश की तो वहां की जनता ने एस० पी० को दरख्वास्त दी कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये । एस० पी० गये, उन्होंने देखा कि हत्या वास्तव में की गई थी और इन्हीं लोगों ने की थी । इसी बात के ऊपर वहां के एस० पी० ने उनका ट्रांसफर वहां से किया तो वही महोदय लखनऊ तक उसका ट्रांसफर रुकवाने के लिये आये । तो यह दो बातें कैसी ? एक तरफ तो उसके रिश्तेदारों को न छोड़ने पर उसके खिलाफ और दूसरी तरफ गरीब की हत्या करने पर और उसका केस दबा देने पर उसका तबादला रोकने के लिये लखनऊ तक आया जाय, यह हैं उस कांग्रेसी सदस्य के कारनामे ।

यही नहीं चुनाव में पुलिस वालों से काफी नाजायज फायदा उन्होंने उठाया है । उनसे कहा कि तुम हमारा काम करो, तुम हमारे लिये वोट मांगो । पुलिस वाले वोट मांगने जाते थे और रात को गाड़ियों में बैठकर जाते थे । उनसे कहते थे कि तुम कांग्रेस को वोट दो, नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, चौधरियों से कहते थे कि तुम वोट दिलवाओ. नहीं तो तुमको किसी डकैती में या १०९, ११० में बन्द कर देंगे । इस प्रकार से वह इनका प्रचार करते थे । अभी थाना मोहम्मदी में एक गांव दिलावलयुर है जहां कुछ आततायियों ने घर में घुसकर एक गर्भवती स्त्री को और दो आदमियों को पीटा । पुलिस में रिपोर्ट हुई, डाक्टरी हुई, लेकिन पुलिस ने उसकी जांच नहीं की । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसके लिये कार्यवाही करें और इसकी जांच करवायें । गारबपुर एक गांव हमारे जिले में है, वहां एक चौकीदार सारे गांव को आतंकित किये हुये है । उसका कहना है कि जो हमको रुपया नहीं देगा उसको हम गांव में रहने नहीं देंगे । पुलिस कप्तान साहब मोहम्मदी तशरीफ ले गये थे । सारे गांव ने उनके सामने अपनी शिकायत रखी और उनसे यहां तक कहा कि यदि उस चौकीदार को अलग नहीं किया गया तो हम सारे गांववाले गांव छोड़ देंगे । इतना तो चौकीदार से गांव वाले आतंकित हैं, लेकिन फिर भी हमारी पुलिस ध्यान नहीं देती और न हमारे वे कांग्रेसी भाई ध्यान देते हैं कि गरीब जनता पीसी जाती है और उनकी मदद करें । जहां उनका उल्लू सीधा होता है वहां वे पुलिस की मदद करते हैं और जहां उनका उल्लू सीधा होता है जनता के लोगों के जरिये वहां उनकी मदद के ढोंग रच देते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी इस किस्म के वाकयात को रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठावें । गांवों के अन्दर आज इस कदर लोग परेशान हैं कि रात को नींद भर नहीं सोते । दिन भर काम करते हैं और रात भर जग जग कर काटते हैं । हमारे जिले खीरी के कुछ थानों में एक साल के अन्दर २२७ डकैतियां हुई जिनमें ५ या ७ डकैतियों में रिपोर्ट लिखी गयी है । वह भी वे लिखी गयीं जिनमें कत्ल हुये हैं या जिनमें कुछ डकैत मारे गये हैं या पकड़े गये हैं । मेरा विनम्र निवेदन है अपनी सरकार से कि इस तरह की वारदातें नहीं होने देना चाहिये ।

मोहम्मदी में एक मैजिस्ट्रेट साहब हैं जिनका मकान बन रहा था । उनके पड़ोस में एक गरीब आदमी का मकान है । उसके दरवाजे के पास ही उनका मकान बनने वाला था । उसने प्रार्थना की कि हम यहां पाखाना नहीं बनने देंगे । झगड़ा हुआ । उसके फलस्वरूप वहां मोहम्मदी थाने के एस० ओ० ने उनसे मिलकर के उस गरीब आदमी का डकैती में चालान कर दिया और आज भी वह जेल के अन्दर बन्द है । वहां की जनता ने वहां के एस० पी०

से मिलकर के इस बात की शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कदम इस सिलसिले में नहीं उठाया। वह बहुत सीधा सा आदमी है और उसको उस तरह से परेशान किया जाता है। उसकी जांच होनी चाहिये, लेकिन पुलिस के जरिये से उसकी जांच नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री जे० पी० मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपोजीशन की तरफ से जो कट-मोशंस आये हैं मैं उनसे अपने को डिससोशियेट करता हूं। वह उनसे अलग समझा जाय। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं, उनकी आलोचनाओं से भी सहमत नहीं हूं। मेरी आलोचना और है, और अलग उसका सिलसिला है और वह मैं आपके सामने १ मिनट में पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से रिआर्गनाइज हो आबादी के हिसाब से। उत्तर-प्रदेश की आबादी जितनी बढ़ी है उतनी ही पुलिस की स्ट्रेंग्थ भी बढ़ाई जाय। मैं यह सुझाव आपके सामने पेश करता हूं कि सवा ६ परसेंट के बजाय ८, ९ या १० परसेंट की बात बढ़ाने की आये तो भी उत्तर प्रदेश उस बात को बरदाश्त करने के लिये तैयार है, क्योंकि भविष्य में पाकि-स्तान और चीन के देश इस मुल्क से लगे हुये हैं और उनसे खतरे हो सकते हैं। अगर भविष्य में पाकिस्तान से किसी तरह का मोर्चा बनता है तो इस प्रदेश और देश के सम्प्रदायवादी तत्व हिन्दू मुसलमानों में बलवा कराने का प्रयास करेंगे और अगर चीन से किसी तरह से हिन्दुस्तान के ऊपर आक्रमण होता है तो कुछ अराष्ट्रवादी तत्व चीन की दुहाई देकर हिन्दुस्तान का गला काटने को तैयार होंगे, उस समय के लिये पुलिस की कितनी बड़ी आवश्यकता है। तो मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि प्रदेशीय सरकार अपने बजट को बढ़ाये और वे उत्तर प्रदेश की पुलिस को रिआर्गनाइज करें और उत्तर प्रदेश की पुलिस को मजबूती के साथ बढ़ाया जाय।

मैं चाहता यह हूं कि जो आलोचनायें सामन्तों की तरफ से आयी है उन्हें सुनकर मुझे, आश्चर्य होता है। आज राजे–रजवाड़े भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय आपके जरिये से मैं सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के सामन्तों ने ही इस देश में रिश्वत देना सिखाया है। आफिसरों को नजराना, शुकराना देना इनके समय से आरम्भ हुआ है और इन्होंने ही इस देश को, इस प्रदेश को यह नजराना, शुकराना देने का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने सिखाया है इस प्रान्त को और इस देश को इस तरह से करना। आज ये विरोधी कहते हैं कि पुलिस घूस लेती है, पुलिस फोर्स रिश्वत खाता है। यह कहते और आलोचना करते अघाते नहीं हैं। मुझे खेद है कि कहा जाता है कि आई० जी० रिश्वत लेते हैं, डी० आई० जी० पुलिस रिश्वत लेता है, कप्तान पुलिस रिश्वत लेता है,

(इस समय ३ बजकर १४ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

कहें कि रिपोट लिखने वाले रिश्वत लेते हैं। मैं मानता हूं कि यह बात किसी हद तक सही मानी जा सकती है कि कुछ थानेदारों के लिये रिश्वत की बात की जाय।

उत्तर प्रदेश का शासन और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कितने हजार पुलिस कर्मचारी इसी कांग्रेसी राज्य में बरखास्त हुये हैं और कितने हजार कर्मचारी मुअत्तल किये गये हैं और काफी पुलिस कर्मचारियों के ऊपर आज मुकदमे चल रहे हैं। जो कर्मचारी रिश्वत लेगा वह सजा काटेगा। यह क्या आलोचना है कि एक घटना हो गई उसकी रिपोर्ट मुन्शी ने नहीं लिखी? किसी एक, आध उदाहरण से इस तरह की बात नहीं कही जा सकती। राष्ट्र विरोधी तत्व आकर देखें हमारी पुलिस की कार्य दक्षता को, अनुशासन विहीनता की बात राज्य के विधान के खिलाफ इस्तेमाल करके, उत्पन्न की जाती है फिर कहते हैं कि अनुशासन विहीनता है। अनुशासन विहीनता की बात कहना कि कार्य दक्षता नहीं है, कार्य निपुणता नहीं है। ये इस किस्म की बातें हैं कि जिनको इस सदन के सामने पेश करने से मैं समझता हूं कि जनता के नुमाइन्दों का अपमान है। बड़े जोश से बात कहते थे कि एक थानेदार रिश्वत लेता है और एक कांस्टेबिल रिश्वत लेता है। जो रिश्वत लेता है उसको सजा मिलती है। उसकी

[श्री जे० पी० मिश्र]

रिपोर्ट कीजिये, शिकायत कीजिये। अगर आपके पास उसका प्रमाण है तो उसको जरूर सजा कराइये। क्यों नहीं न्याय होगा? यह हजारों कर्मचारी जो बरखास्त हुये हैं क्या वह ऐसे ही बरखास्त हुये हैं?

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन के सामने मैं यह पेश करना चाहता हूं कि विरोधियों की कुछ बातों से मुझे परेशानी होती है। नम्बूदरीपाद के शासनकाल में केराला में देखा गया कि वहां पर गोली चली। क्या केराला में गोली नहीं चलाई गई? हमारे भाइयों को उत्तर प्रदेश की गोली से तकलीफ है, लेकिन साम्यवादी नम्बूदरीपाद की गोली से खुशी हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य मंत्री के शासन काल में मद्रास में देखा गया कि वहां पर भी डकैती होती है। वहां पर डकैती होती है कि नहीं? वहां पर चोरी होती है कि नहीं? कत्ल होते हैं कि नहीं? नम्बूदरीपाद के शासन काल में कत्ल हुये कि नहीं? चोरी हुई कि नहीं?

जहां तक जरायम बढ़ने का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि जब से यह पार्टीज बनी हैं तब से एक तमंचा मारा, राहजनी की रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंच गये। दो लाठी मारी और डकैती की रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गये। बीसों इस तरह की बातें होती हैं, थाने में पहुंच गये और कहने लगे कि साहब रिपोर्ट लिखिये। इस तरह की रिपोर्टें हैं उनको कहां तक लिखा जाय। इसलिये मेरा सुझाव है मुख्य मंत्री जी के सामने और उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने कि सरकार धारा १८२ को अमेन्ड करे कि झूठी रिपोर्ट लिखाने वाले को कम से कम २ साल की सजा हो। ऐसा संशोधन लाया जाय। तब यह जो फर्जी जरायम या जो गलत जरायम की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं उनकी रोक थाम होगी वरना यह पुलिस का रजिस्टर खुला हुआ है और कोई भी आये अपनी रिपोट दर्ज कराये।

एक सुझाव मैं आपके सामने और यह देना चाहता हूं कि पुलिस कमीशन की सिफारिश के अनुसार हाई स्कूल पास जो कांस्टेबिल के लिये शर्त रखी गई है वह निकाल दी जाय, क्योंकि हमें बाबू लोगों की फौज नहीं बनानी है। हमें हट्टे कट्टे दस्तखत करने वाले नौजवान पुलिस में भरती करने चाहिये। डाकुओं का मुकाबला करने वाले आदमी चाहिये। पुलिस का सिपाही तो किताब नहीं लिखेगा, वह गोली और लाठी का मुकाबला करेगा। बाबू लोगों की फौज से काम नहीं चलेगा। इसलिये पुलिस आयोग की सिफारिशों में से इस सिफारिश को निकाल देना चाहिये। जो हट्टा कट्टा हो, दस्तखत कर लेता हो, बहादुर हो, उसे पुलिस फोर्स में भरती किया जाय। रोज जफरुल्ला खां सेक्योरिटी कांउसिल में शोर मचाते हैं, चाऊ एन लाई साहब १२,००० स्क्वायर मील ले चुके और लेने का विचार रखते हैं और उस के साथ आज भी आपको हिन्दुस्तान में ऐसे लोग मिलेंगे कि जो हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान का नारा लगाते हों, ऐसे लोग मिलेंगे जो कम्यून्स तथा सेल्स स्थापित करने की चेष्टा करते हों, तो इसलिये आवश्यकता है कि पुलिस का बजट बढ़ाया जाय, दूना और ढाई गुना किया जाय। १०, १२ और १५ परसेंट बढ़ाया जाय। (व्यवधान) सुन लीजिये और परेशान न होइये। हमारी सीमाओं की रक्षा आवश्यक है और हमारी पुलिस ने जिस प्रकार उन सीमाओं की रक्षा की है वह सराहनीय है। बतलाइये कि कहीं कोई पुल टूटा हो, कहीं का स्टेशन लूटा गया हो, कहीं किसी डाकखाने पर डाका पड़ा हो और पुलिस सो रही हो। कहते हैं थानेदार घूस लेता है और यह बात कह कर आप मुख्य मंत्री जी का गला पकड़ कर दबाने का प्रयत्न करते हैं। एक मुख्य मंत्री पूरे शासन को चलाता है। एक महकमा है। इसके अलावा आपकी बात सुनने वाले कर्मचारी मौजूद हैं, होम सेक्रेटरी हैं, आई० जी० हैं, डी० आई० जी० हैं और वे पुराने तजुर्बेकार लोग हैं। आपने आन्दोलन किया गोदामों को लूट लेने का आपको वहां पुलिस मिली, डाकखाना लूटने का प्रयत्न किया गया, आपको वहां पुलिस का सामना करना पड़ा, खजाना लूटने का प्रयत्न किया गया, आपको वहाँ भी चन्द्रभानु गुप्त की फौज खड़ी मिली। अब आप विरोधी परेशान हैं। उनमें एक बौखलाहट है। मुरादाबाद में दंगा हुआ

आपने देखा कि हर जगह पुलिस मौजूद रही। इस तरह से पुलिस ने सामना किया है। मैं इसके लिये मुबारकबाद देता हूं अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस को और माननीय चन्द्रभानु गुप्त की फौज को और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सुझावों को स्वीकार करेंगे। इतना कहने के साथ-साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पुलिस बजट के सम्बन्ध में फौजदारी की कई तजुर्बे की बातों को सेशन लाइयर के तजुर्बे के रूप में रखना चाहता हुं। मैं माननीय मंत्री जी की आलोचना विरोधी दल का होने के नाते ही नहीं करना चाहता। जब आपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी उस समय भी आपने पुलिस को दानव कहा था और आपके साथी भी दानव कहते आये हैं। इसी सदन में दो दिन की बहस का भी यही नतीजा है। यह वह राक्षस है कि जिसे आप तभी तक कब्जे में रख सकते हैं कि जब तक आपके हाथ में अलादीन का चिराग है। जिस दिन अलादीन का चिराग किसी और के कब्जे में हो जायगा उसी दिन आपकी भी वही हालत होगी जो आप दूसरों की किया करते हैं। यह अलादीन का चिराग बहुत दिन किसी के हाथ में नहीं रहता। आपके हाथ में भी यह जनतंत्र प्रणाली द्वारा, जनमत के द्वारा आया है इसलिये आपने जिस के द्वारा इसको पाया है उसे कम से कम ठुकराने की कोशिश न करें। यह पुलिस उस भस्मासुर के समान है जिसे शंकर जी ने वरदान दिया था कि जाओ, जिस के सिर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जायगा। लेकिन महादेव जी की पार्वती को लेने के लिये भस्मासुर ने शंकर जी के ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश की।[****]

मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के १९५६ के—आलादीन ब्रदर्स वर्सेज स्टेट आफ यू० पी० के फैसले की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। न्याय विभाग जनतंत्र का एक मुख्य अंग है। जहां पर न्याय विभाग पुलिस से दबकर रहता है वहीं जनतंत्र खत्म हो जाता है, फासिज्म की शुरुआत हो जाती है। आज आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, जरा उनको पढ़िये और पुलिस के बारे में देखिये।

जालौन जिले का केस था जिसमें ६ आदमी मारे गये थे। जो पहले मेरे यहां थानेदार साहब थे वे बदल कर जालौन गये। उन्होंने ६ आदमियों के कत्ल के केस की तफतीश की थी। उन्होंने मुलजिमान को बचाने के लिये फर्जी शहादत लिखी। वे अब अवकाश प्राप्त करके फतेहपुर आ गये हैं, वे आज जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बने हुए हैं। उनके बारे में सुप्रीमकोर्ट के क्या रिमार्क्स हैं, जरा उनको भी पढ़िये। उसमें लिखा है कि जितने भी १६१ के बयानात हैं सब फर्जी हैं। जितने आपके यहां एक्वीटल्स होते हैं वे इसलिये होते हैं कि कुछ नेता लोग फर्जी केस दर्ज कराते हैं।

दूसरी बात यह है कि आपके आफिसर, थानेदार, कुछ ऐसे हैं जो खुद भी खाते हैं और नेता जी को भी खिलाते हैं। आज पुलिस कहती है कि हम जब अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके हुकुम से निर्दोष कांग्रेसियों को पकड़ते थे, आज हम कांग्रेस के गुलाम हैं, उनके हुक्म से दूसरों को पकड़ते हैं। विनोवा भावे भी १०९ में पकड़े गये थे। आज जरूरत है कि आप न्याय विभाग को पुलिस के ऊपर रखें। दफा २७ कानून शहादत को एक मुकदमे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज पुलिस कितने मामलों में रिकवरी दफा १०३ के अन्दर न करके दफा २७ के अन्दर करती है यानी पुलिस केस को बनाने के लिये जाल रचती है और झूठा चार्जशीट पेश करती है। इसका भी पता लगाया जाय। अगर कोई मुलजिम जमानत के लिये प्रार्थना पत्र देता है तो पुलिस के पास गवाह नहीं होते तो वे झूठे गवाह पेश करने के लिये केस डायरी को अदालत में नहीं रखती। मैं कहता हूं कि अगर पुलिस पर्चे तुरन्त

[****] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

[श्री दीपनारायण सिंह]

ए० डी० एम० (जे०) के यहां भेजे जायं, एस० पी० के यहां न भेजे जायं और उनकी बाकायदा कापी मुलजिम को दी जाय, तो आप देखेंगे कि फर्जी कार्यवाही कितने दिन में खत्म हो जाती है। आप इस पुलिस राक्षस को उतनी ताकत दीजिये जितनी जरूरत है। रिश्वत खत्म करने के लिये आप उनकी तन्ख्वाह बढ़ाइये, उनका भत्ता बढ़ाइये। आज आपने तन्ख्वाह जिस हिसाब से बढ़ाई है उससे उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ है। आज आप हमें गिरफ्तार करने के लिये जिस पुलिस का इस्तेमाल करते हैं वही पुलिस कल आपको भी झूठे मुकदमे में रखेगी। इसलिये मैं कहूंगा कि इस राक्षस और भस्मासुर स्वरूप पुलिस को अपने कब्जे में रखिये। भस्मासुर वरदानी शंकरजी को भी भस्म करके उनकी गौरीजी को भी ले लेने की कोशिश करता रहा और पुलिस भी उसी तरह आप को भी भस्म करके आपकी गौरी-शासन सत्ता लेने की कोशिश करेगी।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन से पुलिस के विवाद में माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था। इधर से भी और उधर से भी, पुलिस की जो खामियां और कमियां हैं उनपर पर्याप्त रूप से लोगों ने प्रकाश डाला है। परन्तु मैं समझता हूं कि पुलिस की जितनी कमियां हैं, जिनका वर्णन सभी तरफ से हुआ, उसके पीछे जड़ और बुनियाद क्या है, इसपर भी विचार होना आवश्यक है। जैसी कि अंग्रेजी में कहावत है "ए ट्री इज नोन बाई दि फ्रूट्स इट बियर्स" किसी वृक्ष के गुण और अवगुण की परीक्षा उसके फल से होती है। इस देश की पुलिस का निर्माण एक विशेष दृष्टिकोण को रखकर अंग्रेजों ने किया था। उनको अपने साम्राज्य को स्थिर रखने के लिये और साम्राज्य में किसी प्रकार का उनके हित पर कुठाराघात न हो, एक प्रकार से दमन का शस्त्र बनाने की आवश्यकता थी और उसी दृष्टि से इस पुलिस का निर्माण हुआ। क्योंकि इतने बड़े देश पर केवल सेना के बल पर दमन हो यह भी सम्भव नहीं था इसलिये एक पैरा मिलिट्री आर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया और उस आर्गेनाइजेशन के दृष्टिकोण की प्रमुखता यह थी कि साम्राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार का वातावरण भाव और विचार न उठने दिया जाय और उसके लिये जितने भी आतंक की आवश्यकता हो वह करे और उस आतंक के लिये सरकार द्वारा उनको प्रश्रय मिलता रहा और वह सुरक्षित रहे। परन्तु देश के स्वतन्त्र होने के बाद परिस्थिति और आवश्यकता भिन्न हो गई और उस भिन्न आवश्यकता और परिस्थिति के अनुरूप इस प्रदेश की पुलिस अपने को कितना ढाल सकी है इसी के ऊपर उसकी सफलता और असफलता की कसौटी होती है।

आज जनतंत्र के अन्दर पुलिस को जिस मात्रा में अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिये था क्या उस मात्रा में दृष्टिकोण बदला है? मैं समझता हूं कि आज उस मात्रा में पुलिस का दृष्टिकोण नहीं बदला है। आज पुलिस के पीछे एक प्रेजुडिस खड़ी है, मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि सभी पुलिस खराब है, उनमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, साधारण भी हैं। आन दि हाल अगर देखा जाय तो इसका जो पूर्व इतिहास रहा है, केवल दमन, साम्राज्य के विरुद्ध जो खड़े हों या जो भाव या विचार खड़े हों उनका दमन तो उसके कारण जो जनता से संघर्ष हुये और एक प्रेजुडिस खड़ी हुई, वह भाव आज भी जनता के अन्दर विद्यमान हैं। आज भी पुलिस के प्रति समाज में भय और आतंक का वातावरण है एक मित्र या सहयोगी का दृष्टिकोण नहीं है। यदि आप इग्लैंड में देखें तो वहां पर एक पुलिस कांस्टेबिल के प्रति या पुलिस के संगठन के प्रति समाज में भय या आतंक का दृष्टिकोण नहीं है, एक सहयोगी का दृष्टिकोण है और आपत्तिकाल में साथ देने वाले और समर्थन करने वाले एक मित्र का दृष्टिकोण है। क्या आज वह दृष्टिकोण यहां जनता में निर्माण हो सका है? और अगर नहीं हो सका है तो यह सरकार उस मात्रा में असफल रही है। यह भी सत्य है कि उस पर पब्लिक रिलायेन्स उचित मात्रा में नहीं है। मैं देखता हूं कि कर्टसी वीक मनाया जाता है। बड़े जोर शोर से उसका डंका पीटा जाता है।

पेम्फ्लेट्स छापे जाते हैं । लेकिन मेरे मन में तो उनको पढ़ने के बाद एक ही प्रक्रिया होती है कि क्या उसका मतलब यह तो नहीं है कि वर्ष के ५२ हफ्तों में एक हफ्ता कर्टसी और ५१ हफ्ता डिसकर्टसी । अगर आप विचार करें तो पुलिस का ऐसा ही व्यवहार आपको मालूम होगा । इसलिये मैं कहता हूं कि इस तरह कर्टसी वीक से काम चलने वाला नहीं है । कर्टसी डे टु डे होनी चाहिये, वर्ष प्रति वर्ष होनी चाहिये । इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि आपको पुलिस के वातावरण को, उसकी मनोवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है ।

पुलिस को जनता के बीच में अधिकारी के रूप में नहीं जाना चाहिये, बल्कि एक सहयोगी की मनोवृत्ति से जाना चाहिये । यह जीवन का एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि हम जिस प्रकार से सोचते हैं वैसा ही हम आचरण करते हैं । अगर हमारे मस्तिष्क में ऐसी भावना है कि हम अधिकारी हैं और ये सब हमारी आज्ञा पालन करने के लिये हैं । हम कमाण्ड करेंगे और वे लोग उसका पालन करेंगे, इस आफिशियेलडम की मनोवृत्ति से साधारण समस्याओं का एप्रोच होगा, तो संघर्ष अवश्य होगा और एक दूसरे के प्रति मनोमालिन्य होगा ।

पुलिस की ओर से कहा जाता है कि जरायम में जनता की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता है । क्या सहयोग मांगने से मिलता है ? सहयोग के लिये वातारण बनाने की आवश्यकता होती है, सौहार्द्य निर्माण करने की आवश्यकता होती है । सहयोग कमांड करने से नहीं मिलता है । पहले आवश्यकता इस बात की है कि यह दृष्टिकोण बदले और उसके विचार करने का ढांचा बदले । मैं यह नहीं कहता कि ऐसा प्रयास नहीं किया गया । प्रयास स्थान-स्थान पर किया गया है, लेकिन उसके एक सार्वभौम चित्र को हम सामने रखें तो हम यही पायेंगे कि हम अपने प्रयास में सफल नहीं हुए ।

बहुत बार इस सदन में प्रश्न भी पूछे गये हैं, समाचारपत्रों में भी निकला है । और [****] श्रीमन्, आप फैजाबाद के लीडिंग लाइयर हैं, आप जानते हैं कि अगर गवाहियां कुक की गयीं, झूठी बनायी गयीं तब क्या न्याय हो सकता है ? इस प्रकार से न्याय की आत्मा का हनन होता है । इस देश की पुलिस में इतना धैर्य नहीं है कि वह साइंटिफिक, माडर्न मैथड्स को काम में लाये, इन्टेरोगेशन और डिटेक्शन से जरायम का पता लगाये, उसके लिये प्रमाण प्राप्त कर सके । लेकिन उसके लिये धैर्य चाहिये, गंभीरता चाहिये । परन्तु उसको तो जल्दी होती है कि किसी प्रकार से जल्दी से इसका कनविक्शन हो । अभी प्रयाग का किस्सा हमारे सामने है, और भी कई बार यह चीज हमारे सामने आयी है, पुलिस के द्वारा थर्ड डिग्री मेथड्स का प्रयोग किया जाता है । यह किसी राज्य का अधिकार नहीं है कि सरकार अपने ही आदमी के ऊपर, चाहे वह क्रिमिनल ही क्यों न हो, थर्ड डिग्री मैथड्स को अख्तियार करे । उसको ऐसा अधिकार नहीं है । क्या आज इंग्लैण्ड में क्राइम डिटेक्शन में थर्ड डिग्री मेथड्स का इस्तेमाल होता है ? जो विदेशी स्पाई हैं, देशद्रोहिता के जो षड्यंत्र होते हैं, उनको रोकने के लिये जो मेथड्स इस्तेमाल किये जाते हैं, मैं उस विषय पर नहीं जाता हूं । मैं तो केवल सिविल पुलिस के विषय पर ही आ रहा हूं । इसीलिये मैं पूछ रहा हूं कि क्या इंगलैन्ड में थर्ड डिग्री मेथड का इस्तेमाल होता है इंटरोगेशन में ? क्या इंग्लैन्ड में एविडेंस के लिये पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री मेथड का इस्तेमाल होता है ? इंग्लैन्ड में तो पुलिस का इतना विश्वास किया जाता है कि छोटे-छोटे केसों में जैसे किसी ने मोटर स्पीड तेज कर दी और उसे पुलिस ने चेक करके उसे टिकट दे दिया कि आपके ऊपर इतना जुर्माना उसके लिये किया गया तो वहां की जनता उस को बिना किसी झिझक के जमा कर देती है । वहां की पुलिस की गवाही के ऊपर पूरी तरह से विश्वास किया जाता है । लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यहां की पुलिस ने जनता में इतना विश्वास जमा लिया है ? यह नितांत सत्य है कि इस देश की पुलिस जनता में यह विश्वास जमाने में असमर्थ रही है । उनको तो जल्दी चाहिये, शार्ट कट चाहिये और

[****] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया ।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

जल्दबाजी की वजह से ही उनको ध्यान नहीं रहता कि सरकारी कानून भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर्विसेज के अन्दर स्पिरिट डिकोर का होना संगठन की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से उचित व आवश्यक है, लेकिन आज जो अच्छी चीज होती है उसके ऊपर भी लीपापोती करने की कोशिश की जाती है और इस तरह से जो खींचतान होती है वह अनुचित है। इस तरह के कई ऐसे उदाहरण सामने आये हैं कि सर्विसेज के संगठन के लिये, उसके अनुशासन के लिये स्पिरिट डि कोर का होना आवश्यक है परन्तु अगर इस दृष्टि से खींचतान करके पुलिस सर्विसेज के अन्दर कोई गड़बड़ी की जाय और उसकी लीपापोती की जाय तो गलत है। अक्सर ऐसे उदाहरण मिले हैं कि पुलिस सर्विसेज में गलत काम करने वाले को प्रश्रय मिलता रहा है जिससे जान बूझ कर कोई गलती न करने पर भी इस तरह की गलती होती रहती है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान में इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उधर वे अवश्य ध्यान दें।

मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत से स्थल ऐसे हो सकते हैं जहां डिवाइडिंग लाइन बड़ी पतली होती है और जब जजमेंट का प्रश्न आता है तो न्याय का तराजू सिविल की ओर ही झुकता है। ऐसी जब कोई स्थिति आती है तो विभाग और जनता में संघर्ष होता है और न्यायालय के सामने जब वह मामला जाता है तो सिविल कंट्रोलिंग ऐडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है। यहां पर मैं एक योग्य लेखक की छोटी लाइन आपकी आज्ञा से कोट कर दूं--"It is the duty of the Civil Administration to weigh the scale in favour of the civilian" ऐसी स्थिति में सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन का कर्तव्य होता है कि सिविलियन की तरफ ही उसका तराजू झुके। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले ६ वर्ष के मेरे अनुभव में यह बात आयी कि जब जब मैंने पुलिस की ज्यादती का प्रश्न उठाया तब तब उसको व्हाइट वाश करने की कोशिश की गयी और यह कहा गया कि अगर इस तरह से पुलिस की शिकायत की जायगी तो वह डिमोरेलाइज हो जायगी, मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या यहां की पुलिस इतनी छुई-मुई है कि जो भी गलत बात हो उसको स्वीकार कर लिया जाय, मान लिया जाय वरना वह कुम्हला जायेगी। जनतंत्र में यह शक्ति है, यह ताकत है कि हम अपनी गलती को स्पष्ट स्वीकार करें। कभी भी अपनी गलती को छिपाने का प्रयास जनतंत्र में नहीं किया जाता। जनतंत्र में अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास नहीं होता और अगर गलतियां छिपाई जाती हैं तो जनतंत्र कमजोर होता है और जनतंत्र की जड़ें नष्ट हो जाती हैं। इसलिये आवश्यक है कि स्पिरिट डि कोर के नाम पर जो पुलिस की गड़बड़ियों को छिपाने का प्रयास होता है तो उसकी तरफ विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और जब कभी भी कोई ब्रीफ लाइन या पतली लाइन का प्रश्न आये और डिवाइडिंग लाइन जाहिर न होती हो तो जनता के पक्ष में ही झुकना चाहिये। मैं पुलिस कांस्टेबिल की बात नहीं करता और केवल एक बात कहूंगा कि आज जो आपके एक पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर का रूप है और जो उस का कार्य है वह एक आदमी में ही सारी पावर निहित है। वही काइम का डिटेक्शन करता है, वही प्राजिक्यूशन करता है और उसी की ला एण्ड आर्डर की जिम्मेदारी है। उसकी इन तमाम अलग-अलग एक्टिविटीज का विभाजन होना चाहिये। मैं मानता हूं कि आप ने कहीं कहीं ऐसा कुछ किया है और पूर्णरूप से एक साथ होना मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टीगेशन और डिटेक्शन का कार्य अलग-अलग होना चाहिये और प्रोटेक्शन का कार्य बिलकुल अलग होना चाहिये। यदि सारी सत्ता को एक ही व्यक्ति में केंद्रित किया गया तो यह पावर तो एक अग्नि है, वह खाना भी पका सकती है और घर को भी जला सकती है। उसका उपयोग ही तो समस्या है, ठीक न हुआ तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि वह इस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि इस तरह से उसके कार्य का विभाजन हो।

एक चीज मद्रास में की गई है, वहां उन के सीक्योरिटी मोटराइज्ड चेक्स बने हैं, वह देहातों में इन्टीरियर में जहां थाने से बहुत दूर गांव है वहां सब-इन्स्पेक्टर जीप में पुलिस को बिठाकर जाते हैं, वह वहां जाकर एक आत्म विश्वास पैदा करने की जनता में कोशिश करते हैं जहां कि पुलिस से आतंक की भावना व्याप्त रहती थी। वह जाकर लोगों से बात करते हैं और पता लगाते हैं कि कैसा काम चल रहा है। इससे एक वहां की गतिविधि पर चेक हो जाता है। इससे वहां के लोकल सब-इन्स्पेक्टर की इन्टेग्रिटी का चेक हो जाता है, गांवों के जुर्म भी रुकते हैं। हमारे यहां कांस्टेबिल कम हैं। यह भी ठीक है कि एक बीट में कांस्टेबिल कहां तक वहां के सारे मामलों को कंट्रोल कर सकता है। यह भी संभव नहीं है कि हर व्यक्ति पर एक पुलिस कांस्टेबिल रखा जा सके, लेकिन जनता को सहूलियत तभी हो सकती है जब उसमें एक आत्मविश्वास पैदा हो जाय कि पुलिस हमारी संरक्षक है। आप जिस तरह से शहर में फ्लाइंग स्क्वेड रखे हैं उस तरह के आप उस कार्य के लिये रख सकते हैं। वाराणसी का एक उदाहरण आप के सामने है, मैं उसके विषय में ज्यादा न कहूंगा, वह अखबारों में निकल चुका है, वहां यही हुआ कि आधा घंटे तक समाचार देने के बाद भी कोई नहीं पहुंचा, कोई उपचार या अस्पताल भेजने का कार्य भी वहां पुलिस के पहुंचने पर नहीं किया जाता है, पुरुषोत्तम मर जाता है जब कि केवल ३०० गज पर ही पुलिस स्टेशन था। ऐसा केयरलेस रुख जनसाधारण में आत्म विश्वास नहीं पैदा करता।

वहां पर पुलिस का कर्टसी वीक मनाया गया और पुलिस की बड़ी प्रशंसा की गई और एक बड़े नाटकीय ढंग से वहां श्री शांति स्वरूप की पुलिस सेना और माननीय मुख्य मंत्री जी की सेना तैनात हुई और मालूम होता था कि हमारे मुख्य मंत्री जी सूबे भर के फील्ड मार्शल हो गये, लेकिन जो वस्तुस्थिति है और यहां की जो अपराधों की संख्या में वृद्धि है वह किस ओर और किस पारिणाम पर हमें ले जाती है। आप देखें कि किस तरह से रहजनी सन् १९६१ में बढ़ी है, सन् १९४७ के मुकाबले में वह ५०४ से बढ़कर १२४८ हो गई, हत्या १६०० से २१०० हो गई, डाके २९०० से ४८०० हो गये और सेंध १५ हजार के बजाय २७ हजार लगीं और इधर ताला तोड़ो आन्दोलन में आई० जी० साहब की सेना भाले बरछे लेकर तैयार थी और मुख्य मंत्री जी की सेना भी तैयार थी, लेकिन जब जनजीवन की रक्षा का प्रश्न आता है तो उन की सारी सेना भाला बरछी लेकर न मालूम किस घूंघट में छिप जाती है, यह पता नहीं। तो इस प्रकार की अनर्गल प्रशंसा भी अनुचित होगी, प्रशंसा होनी चाहिये सत्य कार्य की। इन शब्दों के साथ में मुख्य मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि पुलिस के विषय में फिर से विचार करें और जो थोड़ी-सी बातें उनके सम्मुख रखी गयी हैं उन पर विचार करें और विचार करके इस विभाग की त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करें।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। मैंने अपने कुछ सुझाव दिये थे। सबसे पहला मेरा सुझाव यह है कि जो मनोविज्ञान है पुलिस का उसे तब्दील करने की जरूरत है। सरकार की तरफ के जब दलील आयेगी तो मुझे उम्मीद है कि सरकार की तरफ से यह दलील आयेगी कि सूबे की आबादी बढ़ गयी है। वैसे इस सूबे की आबादी से मेरा ऐसा खयाल है कि हर साल एक नया सवाल पैदा हो जाता है। ७ करोड़ के करीब यहां की आबादी है। १२ लाख के करीब हर साल आबादी बढ़ जाती है। आबादी के बढ़ने के रेश्यो के हिसाब से अपराधों की संख्या भी बढ़े, ऐसा मेरा खयाल नहीं है। यह भी मेरा कहना नहीं है कि एक-एक गांव में एक-एक घर की पीछे पुलिसमैन हो। मैं इसकी जड़ पर जाना चाहता हूं कि आज पुलिस का विभाग अपने को मास्टर मानता है और जनता को नौकर मानता है। इस मनोविज्ञान को तोड़ने की जरूरत है। अगर आज हम यह कहें कि कानपुर जिले के अन्दर गंगा जी से गन्दगी है तो ठीक है, लेकिन अगर वह गंदगी गंगोत्तरी से उठे तो वह गंदगी ऐसी होगी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

जिस गन्दगी से गंगा जी का पानी हरद्वार से लेकर कलकत्ता तक गंदा होगा । जिस पुलिस विभाग का सीधा संबंध शांति, व्यवस्था तथा सुरक्षा से हो, समाज के हर अंग से हो और वही डिपार्टमेंट अगर दुर्गन्ध से सड़ा हुआ हो तो इस सूबे का समाज उस गन्दगी से खराब होता रहेगा । इसलिये आप आंकड़ों पर ही केवल मत जाइये । मेरा ऐसा खयाल है कि माननीय मुख्य मंत्री जी वैसे आंकड़ों से डरने वाले नहीं हैं । डकैतियां चार गुना हो जायंगी तब भी शान के साथ कहेंगे कि चूंकि इस सूबे में आबादी ज्यादा बढ़ गई है इसलिये क्राइम भी बढ़ गये । मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि क्राइम्स इस सूबे के अन्दर होंगे । उनमें कमी हो यही हमारा सुझाव है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आपका पुलिस रेगुलेशन का ऐक्ट १९०५ का ही है । ५७ साल गुजर गये, लेकिन वह सड़ा हुआ रेगुलेशन अब भी मौजूद है । पुलिस कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि यह चेंजेज हमने पुलिस में किये हैं । ७५ प्रतिशत पुलिस रेगुलेशन आज भी १९०५ पर ही आधारित है ।

दूसरा सुझाव यह है कि आज भी पुलिस इंवेस्टीगेशन और पुलिस ला एंड आर्डर मौजूद है यानी पुलिस जुडीशियल और उसके साथ साथ डंडे वाली पुलिस है । ये दो पुलिस के विभाग हैं । इनमें खास तौर से ला एंड आर्डर की पुलिस आप जरूर जिला परिषद् के अंडर दे दें जहां से आपको यह तस्वीर मिली है पुलिस की १८६० में । १८६० से पहले हिन्दुस्तान में पुलिस मौजूद नहीं थी और न उस वक्त पुलिस के नाम को कोई व्यक्ति ही जानता था । अगर १८६१ में पुलिस का नाम आया तो वह इंग्लैन्ड की पुलिस के नाम से आया । तो जब आप उसी पैटर्न पर रहना चाहते हैं तो वहां भी आज पुलिस डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के अन्डर है । अगर आप पुलिस में एफिशेंसी लाना चाहते हैं तो डंडे वाली पुलिस को, ला एंड आर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस को, लोकल बाडीज के अन्दर दे दिया जाय । इन्वेस्टीगेशन पुलिस को चाहे आप स्टेट में दें चाहे जुडिशियरी में दें, लेकिन कम से कम इन दो का ऐसा विभाजन हो कि एक दूसरे पर ओवरलैप न करें । जो थानेदार रपट लिखता है, जो विटनेस लायेगा, जो इन्वेस्टीगेशन करेगा वह थानेदार कभी न्याय नहीं कर सकता । एक मेरा यह सुझाव है ।

दूसरा मेरा कहना था कि पी०ए० सी० को आप स्टेट के अन्डर दें और चौकीदार को गांव सभा के अन्डर दें । मैं जानता हूं कि इस पर आपका क्रिटिसिज्म आयेगा । आप डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात तो करते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन आप पुलिस में करेंगे यह मुझको उम्मीद नहीं है । फिर भी हमारी तरफ से यह सुझाव है और आज नहीं तो कल, दो, चार, दस पांच साल बाद जब हिन्दुस्तान का व्यक्ति डेमोक्रेसी को जानने लगेगा, जिस वक्त विरोधी दल ताकत में आयेगा तो हम डिसेंट्रलाइजेशन विभाग से ही शुरू करेंगे । सुझाव है हमारा, मान लें आप तो अच्छा है ।

मेरा तीसरा कहना आर्म्स ऐक्ट के बारे में है । इसका सेंटर से ताल्लुक है । मैं यह नहीं कहता कि आप हर एक को आर्म्स दें, लेकिन यह एक खिलौना हो गया है । मुझे याद है कि मुजफ्फरनगर में डकैतों ने डाका डाला । अगले दिन लायसेंसदारों के लायसेंस छीन लिये गये । उनसे कहा गया कि तुमने गोली क्यों नहीं चलायी तो उन्होंने कहा कि हम चलाना जानते ही नहीं । तो यह आर्म्स लायसेंस एक तरह से खिलौना हो गया है ।

चौथी बात यह है कि आज जबकि नियोजन का जमाना है, जबकि आप यह देखते हैं कि पुलिस की माइंड सेंट्रलाइज हो रही है, जबकि आप यह देखते हैं कि क्राइम्स इतने ज्यादा हो चुके हैं जबकि आप यह देखते हैं कि हर इंसान इस समाज का रात में अपने को महफूज नहीं समझता, जबकि आप यह देखते हैं, जैसा कि मैंने कल कहा था कि ८० फी सदी डी० एस०पी० करप्ट हैं तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह था कि पुलिस विभाग करप्ट है । तो आज जबकि नियोजन का जमाना है तो पुलिस की मेंटैलिटी, उसकी साइकालोजी, उसके विचार में बुनियादी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । पुलिस अपने को सर्वेन्ट माने । डेमोक्रेसी में सर्वेन्ट और मास्टर

नहीं होता, लेकिन जो यह आज खाई है उसे पाटने की आप कोशिश करें। क्राइम्स का आज एक और चीज से भी संबंध है। हालांकि उसका ताल्लुक पुलिस से नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि आज जो आबादी है उसके हिसाब से उसके पास काम नहीं है। आज दो घंटे से ज्यादा के काम का एवरेज प्रति व्यक्ति नहीं आता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में ८ घंटे के काम का औसत आता है और हिन्दुस्तान में दो घंटे का भी नहीं आता है और जैसी कि अंग्रेजी कहावत है कि "Empty mind is a devils mind." उसके अनुसार आदमी का ध्यान उधर जाता है। इसका आपके प्लानिंग से ताल्लुक है। जब आदमी के पास काम नहीं होगा तो वह क्राइम की तरफ जायगा। इस बेकारी को दूर करने के लिये आपके क्या सुझाव होंगे? मैं यह कहने नहीं जा रहा हूं कि तादाद बढ़ने से कमी आयगी, बल्कि इसके अन्दर सोशल फैक्टर है। आप जनता के सामने ऐसा प्लान दें जिससे जनता समझे कि हमें देश में कंस्ट्रक्टिव स्कीम्स लानी हैं, हमें पैदावार बढ़ानी है, ऐसे बहुत से काम करने हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर यही तरीका लागू करें तो हो सकता है कि सूबे की आबादी कुछ कम हो, लेकिन जब तक यह प्लान न हो, स्टरलाइजेशन न हो और जब तक १२ लाख की बढ़ती हुई आबादी के लिये काम नहीं है तो क्राइम की तादाद जरूर ज्यादा होगी। उम्मीद है कि मुख्य मंत्री जी इन चीजों की तरफ ध्यान देंगे और मैंने तथा विरोधी दल के अन्य लोगों ने जो सुझाव दिये हैं उनके संबंध में जवाब देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, दो रोज से पुलिस के बजट के ऊपर इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं: मैं उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने पुलिस विभाग की कमियों और कमजोरियों की तरफ हम सभी का ध्यान आमंत्रित किया है, धन्यवाद देता हूं और उन सब सदस्यों के प्रति, जिन्होंने अपनी योजनायें पुलिस विभाग में सुधार लाने के संबंध में प्रस्तुत की हैं, भी अपना आभार प्रकट करता हूं। दुख मुझे इस बात का है कि पुलिस विभाग के संबंध में जो आलोचना की गई वह कदाचित उन संतुलित विचारों से दूर थी जो संतुलित विचार आज के इस समय में पुलिस विभाग के एडमिनिस्ट्रेशन की बहस में सदन के माननीय सदस्यों को प्रस्तुत करने थे। आज की पुलिस और १५/२० साल पहले की पुलिस में भारी अन्तर है। आज की पुलिस इस प्रदेश में ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था ही नहीं सुधारती और इसके सुधारने की जिम्मेदारी ही अपने कंधे पर नहीं ओढ़ती है, परन्तु आज की पुलिस को इसके परे भी उन कार्यों का सम्पादन करना पड़ता है कि जो पुलिस के उस मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों की ओर हमारा ध्यान खींच सकते हैं जिस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के सिलसिले में आलोचकों ने बहुत सी बातें इस सदन में कही हैं। आज जब हम इस पुलिस के बजट पर विचार कर रहे थे तो मुझे इस प्रकार की आशा थी कि दो शब्द उन आलोचकों की तरफ से पुलिस के कर्मचारियों के सिलसिले में, प्रशंसा के कहे जायेंगे। विरोधी दल के नेता दुबे जी ने कहा कि पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं आया है जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उसे सेवा भावना की तरफ खींचे।

इतना बड़ा आम चुनाव अपने प्रदेश में हो गया और दो ढाई महीने, जब चुनाव रहे प्रदेश में कितनी कशमकश रही, जगह-जगह पर कितने झगड़े पैदा होने के अवसर आये, परन्तु क्या यह दो शब्द पुलिस की प्रशंसा में कहने का अवसर नहीं था जब कि इतने बड़े प्रदेश में इतने बड़े आम चुनाव में प्रदेश में सिवा एक जगह के कहीं कोई झगड़ा नहीं हो पाया और शान्तिपूर्वक चुनाव हो गया।

यही नहीं जिस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का माननीय सदस्यगण अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें जाना चाहिये था हरिद्वार में कुम्भ के अवसर पर और वहां उन्हें अध्ययन करना चाहिये था कि पुलिस किस तरह से व्यवहार करती है, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को संभालती है। क्या यह पुलिस के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का परिचय नहीं देता? उसकी सेवा भावना का परिचय नहीं देता जब पुलिस का सिपाही, थानेदार, कप्तान ३६, ३६ घंटे पानी में खड़ा होकर

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इस बात की चिन्ता रखते हुये कि उसके रहते हुये कोई ऐसी चीज न हो जाय, जो प्रदेश के नाम को बदनाम करे, वह पानी में खड़े हो कर इस देश के आये हुये जन समूह की सेवा करता हुआ देखा जाय, पुलिस का कप्तान ३६, ३६ घंटे पानी में खड़े हो कर एक-एक व्यक्ति के नहाने का प्रबन्ध करे, यह किस बात का परिचायक है ? क्या इस बात को यह सिद्ध नहीं करता है कि पुलिस अपने उत्तरदायित्व को समझती जा रही है और सेवा भावना की तरफ चल रही है ? कौन नहीं जानता कि इतने व्यक्ति हरिद्वार के कुम्भ मेले में आये और सैकड़ों बच्चे थोड़ी देर के लिये खो गये ? परन्तु क्या वह पुलिस का कर्मचारी नहीं था जिसने उस बच्चे को ढूंढ कर उसके माता-पिता के पास पहुंचा दिया ? यह पुलिस के किस विचार के परिवर्तन का परिचय देता है ? क्या यह सेवा भावना का परिचय नहीं देता ? क्या वह पुलिस का सिपाही जो दोपहरी और ठंडक में चौराहे पर खड़ा रह कर हजारों व्यक्तियों को मोटरों के क्लैश से बचाता है क्या वह सेवा की भावना में जुटा हुआ नहीं है ? वह पुलिस का सिपाही जो हमारे बार्डर पर बर्फ में रहते हुये अपना समय व्यतीत करता है और इस प्रदेश की रक्षा करता है क्या वह सेवा की भावना में जुटा हुआ नहीं है ? क्या वह पुलिस का व्यक्ति जो कश्मीर में, आसाम में, हैदराबाद में जाता है और वहां जाकर वहां की जनता की सेवा करता है तथा वहां से दो प्रशंसा के शब्द उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिये लेकर आता है क्या वह पुलिस का सिपाही उस मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का उत्तरोत्तर परिचय नहीं दे रहा है ? क्या वह इस बात का परिचय नहीं देता कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तरोत्तर उन कार्यों में लगी हुई है और वह कार्य कर रही है जो कि उसे सेवा कार्य की तरफ ले जा रहे हैं और जो कि उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन ला रहे हैं ? यह दुर्भाग्य की बात है कि हम वास्तविकता और असलियत की तरफ नजर नहीं डालते ।

मैं मानता हूं कि पुलिस विभाग में अभी कमजोरियां और खामियां हैं । मैं यह भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार अभी पुलिस के नीचे के कर्मचारियों से बिलकुल हटा नहीं है, लेकिन इस कमजोरी को मानते हुये आज जो पुलिस उत्तरोत्तर एक नया दृष्टिकोण सेवा का हमारे बीच में प्रस्तुत कर रही है हम उसको अपनी नजर के सामने से क्यों ओझल कर रहे हैं और जब हम आलोचना करने खड़े होते हैं तब हम उन अच्छाइयों को क्यों भूल जाते हैं ? आज पुलिस का कर्मचारी २० साल पहले के पुलिस कर्मचारी से बहुत भिन्न व्यक्ति है । आज वह वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषण करके क्राइम को ढूंढने की भी कोशिश करती है । आज वह वायरलैस के द्वारा जल्दी से जल्दी सूचनायें भेजकर क्राइम के पकड़वाने की भी चेष्टा कर रही है । क्या पन्द्रह बीस वर्ष पहले का पुलिस का कर्मचारी और अधिकारी यह काम कर सकता था या करता था ? तो मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सदस्यों से नम्रता-पूर्वक यह निवेदन है कि वह जब पुलिस की आलोचना करें तो वास्तविकता को अपनी नजरों के सामने से ओझल न करें । जो खराबी है, अवश्य उस खराबी को व्यक्त करें, परन्तु जो अच्छाई है और जिस अच्छाई की तरफ हम उत्तरोत्तर जा रहे हैं उसे हमें भूलना नहीं चाहिये । आखिर तो जब उत्तर प्रदेश की पुलिस की मांग हैदराबाद से हो, कश्मीर से हो, आसाम से भी हो और बार्डर पर भी हो, तब भी हम यह कह दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी निकम्मी है, भ्रष्टाचारी है, और वह अब तक अपने दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं ला पायी है, तो यह बात मैं कह सकता हूं कि तथ्य से परे है । यह असलियत को छिपानेवाली बात है और जो असलियत को छिपाने वाली बात है वह न तो पुलिस विभाग के साथ न्याय कर सकती है, न पुलिस के कर्मचारियों के साथ न्याय कर सकती है और न वह उस दृष्टिकोण के साथ न्याय कर सकती है जिस दृष्टिकोण को हम उत्तरोत्तर पुलिस के अन्दर लाना चाहते हैं ।

कई बातें बताई गईं और कहा गया कि उत्तरोत्तर क्राइम बढ़ता जा रहा है और आंकड़े पेश किये गये। जहां तक उन आंकड़ों का सम्बन्ध है वह तो आंकड़े हमने स्वतः स्वीकार ही किये हैं और वह जो बढ़ते हुये आंकड़े हैं वह तो इस कारण से मिल रहे हैं कि हमने स्वतः अपनी नीति में परिवर्तन किया और पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को यह आदेश दिया कि क्राइम को छिपाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये और जब हमने यह नीति

निर्धारित कर दी कि कोई कर्मचारी पुलिस का यह न समझे कि यदि अधिक क्राइम्स उसके क्षेत्र में होंगे तो वह प्रोमोशन नहीं पायेगा क्योंकि पहले क्राइम्स छिपाये क्यों जाते थे, छिपाये तो इसलिये जाते थे कि नीति यह मान रखी थी कि यदि किसी क्षेत्र में अधिक क्राइम हो गये हैं तो उस क्षेत्र का अधिकारी या कर्मचारी प्रोमोशन नहीं पायेगा, वह अयोग्य समझा जायगा। परन्तु जब यह तय कर दिया गया कि अधिकारी और कर्मचारी को इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि जो क्राइम हो वह रजिस्टर हो तो यदि उस कारण से आंकड़ें अधिक आपको दिखाई पड़ें, दुगने या ढाई गुने दिखाई पड़ें तो इसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है और आज मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि क्राइम आज बढ़ रहे हैं तो यह भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हमसे भी अधिक सम्पन्न देश और हमसे भी अधिक पढ़े लिखे देश ऐसे हैं कि जिनके यहां उत्तरोत्तर क्राइम बढ़ते जाते हैं। कौन नहीं जानता कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका एक सबसे सम्पन्न देश दुनिया का है। यदि उस देश के आंकड़ों का जो विभिन्न सालों के आंकड़े हैं उनका अध्ययन करें तो पता चल जायगा कि उत्तरोत्तर उस देश में भी जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, गरीबी बहुत कम मात्रा में है वहां भी क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश में यदि क्राइम के आंकड़े सही रजिस्टर किये गये और अधिक आंकड़े हमें दिखाई पड़ रहे हैं तो इससे घबड़ाने की बात नहीं है और इससे विचलित होने की बात नहीं है। आज का युग हमारे बीच में ऐसी समस्यायें उत्तरोत्तर पैदा करता जा रहा है कि आज क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और क्राइम्स को बढ़ाने की तरफ वह हमारा दृष्टिकोण पैदा करता जा रहा है। यह हमारे देश या प्रदेश की ही बात नहीं है। यह तो जैसा मैंने कहा दुनिया के आधुनिक प्रगतिशील देशों की भी बात है।

मुझे जब उत्तर प्रदेश की पुलिस के थर्ड डिग्री मेथड्स इस्तेमाल करने की बात उन लोगों की तरफ से सुनाई जाती है जिनका विश्वास कदाचित थर्ड डिग्री मेथड्स पर ही रहा है तब वह अचम्भे में डाल देता है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा थर्ड डिग्री मैथेड इस इस्तेमाल करने की बात माननीय चन्द्रजीत जी यादव द्वारा सुनाई और बताई जाती है। आप जानते हैं कि यादव जी उन विश्वासों और मान्यताओं में विश्वास रखते हैं जो प्रतिपादित होते हैं उनके फादरलैंड से, जहां कि पुलिस का व्यवहार जनता के साथ ऐसा रहता है। यदि आप वहां की पुलिस का मिलान यहां की पुलिस से करें कि यहां की पुलिस किस तरह से जनता से व्यवहार करती है तो मैं यही कह सकता हूं कि माननीय चन्द्रजीत जी यहां आलोचना कर सकते हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, बड़े–बड़े व्यक्तियों के खिलाफ तरह–तरह की बातें कह सकते हैं, सही बातों को भी कह सकते हैं और उनके खिलाफ मिथ्या बातों का प्रचार कर सकते हैं परन्तु पुलिस विभाग उनके साथ कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। कोई अभद्र व्यवहार यहां की पुलिस उनके साथ करने को तैयार नहीं है। यहां क्या हम और आप नहीं देखते, बड़े से बड़े आदमियों के लिये हमीं में से कुछ व्यक्ति झूठे से झूठे प्रचार कर सकते हैं परन्तु उस व्यक्ति के खिलाफ चाहे वह छोटा ही व्यक्ति क्यों न हो पुलिस अपनी नजर नहीं उठाती है और कानून के दायरे के बाहर जाने के लिये तैयार नहीं होती है।

श्री उग्रसेन—क्या यह सत्य नहीं है कि राजनारायण जी ने उसमें साबित करके दिखाया है ?

(शोर)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं आपसे नम्रता से कहता हूं कि आप अपने में मुझे भी सुनने की क्षमता पैदा कीजिये।

श्री उग्रसेन—आप नाराज क्यों हो रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसलिये कि आप इतने उच्छृंखल हैं कि दूसरे की बात भी नहीं सुनना चाहते।

श्री अध्यक्ष—(श्री उग्रसेन से) आप बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन—हमें अधिकार है इण्टरप्शंस का, उससे आप हमें रोक नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जाइये।

श्री नरसिंहनारायण—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उग्रसेन—मुख्य मन्त्री जी खुद सुनना नहीं चाहते। मैंने यह कहा कि राजनारायण जी ने उसको साबित किया है कि इसपर वह हमको धमकाते हैं। तो क्या वे ही विधायक हैं हम लोग विधायक नहीं हैं? हमेशा उनके हाथ में राज्य नहीं रहने वाला है।

श्री नरसिंहनारायण—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न यह उठाता हूं कि क्या "उच्छृंखल" शब्द जो मुख्य मन्त्री जी ने अभी इस्तेमाल किया है उग्रसेन जी के लिये वह पार्लियामेंटरी है? यह शब्द पार्लियामेंटरी है या नहीं इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये।

श्री नरसिंहनारायण—माननीय मुख्य मन्त्री ने "उच्छृंखल" शब्द का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं कि वह शब्द उन्होंने अनपार्लियामेंटरी इस्तेमाल किया है। अगर वह वापस नहीं लेते तो फिर यह बहुत अनुचित बात होगी और आप उस पर अपनी व्यवस्था भी नहीं दे रहे हैं। आप उस पर अपनी व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष—एक साधारण सी बात यह है कि जहां पर प्रत्येक व्यक्ति यह अधिकार रखता है कि वह स्वतन्त्रता पूर्वक बोल सके तो वहां उसका एक कर्तव्य भी हो जाता है। जहां स्वतन्त्रता एक आदमी चाहता है उसका कर्तव्य यह है कि दूसरे की स्वतन्त्रता का भी वह संरक्षण करे। अगर दूसरे की स्वतन्त्रता का वह संरक्षण नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह हुआ कि वह स्वयं उस स्वतन्त्रता का अधिकारी नहीं है। आप स्वतन्त्रता पूर्वक बोल रहे थे। आपने अपना भाषण समाप्त किया। अब सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिया जा रहा है। आपको उसे शांतिपूर्वक सुनना चाहिये अन्यथा सदन की सर्वप्रथम मर्यादा जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये स्वतन्त्रता पूर्वक बोलने की है उसकी आप क्षति करेंगे।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, आपने जो व्यवस्था दी है वह हमें शिरोधार्य है। हमारे सदस्य जो बोले हैं इधर के माननीय सदस्यों ने उनको टोका है। पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार इण्टरप्रिटेशन के लिये टोकने का हमारा अधिकार है। उसी अधिकार का प्रयोग करके मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के भाषण में टोका। अगर आप उनसे "उच्छृंखल" शब्द को वापस नहीं कराते हैं तो आपकी व्यवस्था से असहमति प्रकट करते हुये हम लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(समाजवादी दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री ऊदल—मैं भी श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि आपकी जिम्मेदारी यह है कि हम सब लोगों के अधिकारों की रक्षा करें। अगर उग्रसेन जी या किसी अन्य ने माननीय मुख्य मन्त्री के भाषण में टोका तो उनको इतना क्रोध नहीं करना चाहिये। माननीय मुख्य मन्त्री जी को वह बात आपसे कहना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं "उच्छृंखल" शब्द का प्रयोग किया है। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस शब्द को या तो कार्यवाही से निकाल दिया जाय और अगर नहीं निकालते हैं तो माननीय मुख्य मन्त्री से कहें कि वह उसको वापस ले लें।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, मुख्य मन्त्री जी ने ऊदल जी के लिये "फादर लैंड" शब्द का प्रयोग किया है और उसको कुछ लोगों ने शांति से बरदाश्त किया। फिर अगर उग्रसेन

जो कोई सवाल करना चाहते थे तो उसके ऊपर अनपार्लियामेंटरी लैंगवेज को नहीं इस्तेमाल करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—"उच्छृंखल" कोई ऐसा शब्द नहीं है, जो किसी के अपमान का सूचक हो। "उच्छृंखल" का मतलब यह है कि विदाऊट रैस्ट्रेंट यानी अनरेस्ट्रेन्ट और उसका कोई अर्थ नहीं है।

श्री ऊदल—माननीय मुख्य मंत्री को यह नहीं कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अनपार्लियामेंटरी इसमें कुछ नहीं है।

श्री चन्द्रभान गुप्त—मुझे दुख है कि मेरे शब्दों से कुछ माननीय सदस्यों को तकलीफ हुई और माननीय . न जी को फादर लैंड शब्द से तकलीफ हुई। मैंने तो फादर लैंड शब्द का जो इस्तेमाल किया था वह बलवानसिंह जी या उनके दल के लोग कभी-कभी कह दिया करते हैं तो उसको सामने रखकर उस शब्द का प्रयोग किया था। अगर उससे तकलीफ हुई तो मैं उसको वापस लेता हूं।

मैं निवेदन यह कर रहा था कि इन वर्षों में पुलिस की मनोवृत्ति में उत्तरोत्तर परिवर्तन हुआ है और हो रहा है। उस दिशा में हम कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं। आखिर यह पुलिस कमीशन की नियुक्ति जो हमने कराई थी या इस सदन ने कराई थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वह उन दोषों की जांच करे और जांच करके हमें वह रास्ता बतलाये कि जिस रास्ते पर चलकर उत्तरोत्तर जो कमियां और खामियां पुलिस के अन्तर्गत हैं, वह घटाई जायं, वह कम की जायं और एक नया दृष्टिकोण पुलिस कर्मचारियों के अन्दर पैदा किया जाय। यह जो उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग की रिपोर्ट है यह तो ऐसी है जिसमें मुख्तलिफ दलों के साथी इसमें सदस्य थे और उनके द्वारा ही यह रिपोर्ट लिखी गई है। माननीय बलवान सिंह ने कुछ विचार व्यक्त कियेऔर वे विचार उनके विचारों के विरोध में हैं। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी उस पुलिस आयोग के सदस्य थे। उन्होंने अपने विचारों के तहत में यह बात बतलायी कि पुलिस का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये। उन्होंने यह कहा कि पुलिस का जो ला एंड आर्डर का काम है वह उस पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिये कि जो पुलिस जिला परिषद् के तहत में रखी जाय या पंचायत के तहत में रखी जाय। इस प्रकार के विचार उन्होंने प्रकट किये थे। इसी प्रकार के विचारों पर उस पुलिस आयोग में विचार हुआ और माननीय नारायणदत्त जी ने भी इन प्रश्नों पर विचार किया और इस प्रश्न पर उन्होंने अपनी राय भी दी है। जो बिलकुल सफाई के साथ कहती है कि यदि हमने पुलिस विभाग का डिसेंट्रलाइजेशन किया तो इस समस्या को हम हल करना चाहते हैं किसी भी प्रकार, उसका निराकरण हम नहीं कर सकेंगे और कदाचित् एक गलत रास्ता अपना लेंगे। मैं इस विषय में जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात अभी सदन के सामने रखी गई है उस विषय में आयोग के विचार, जिसमें नारायणदत्त जी के विचार भी सम्मिलित हैं, सदन के सामने रखना चाहता हूं। "हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को समान स्तर पर रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में केवल एक राज्य सरकार है जब कि नगरपालिकाओं, जिला परिषदों की संख्या सैकड़ों में है। सैकड़ों निकायों की अपेक्षा किसी एक निकाय से व्यवहार करना सरल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बात की आवश्यकता पैदा हो चुकी है कि एक राज्य पुलिस दल का सृजन कर के स्थानीय पुलिस दल को मजबूत बनाया जाय। अतः इस योजना को अस्वीकार करने में हम लोगों को कोई हिचक नहीं है। हमारा यह दृढ़ मत है कि पुलिस दल को समस्त राज्य के लिये एक संगठित दल बना रहने दिया जाय और उसे पुलिस महानिरीक्षक के समादेश के अन्तर्गत कार्य करने दिया जाय। केवल आदर्श के रूप में भी हमें उस समय की कल्पना करने

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में कठिनाई हो रही है जब उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय ऐसी स्थिति में रखा जायेंगे कि वे अपने क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था का दायित्व संभालने में समर्थ हो सकेंगे"।

यह रिपोर्ट जहांतक इस विषय का सम्बन्ध है, एक मत से है और इसमें कोई विभिन्न राय नहीं दी गई। माननीय बलवानसिंह जी प्रजा समाजवादी दल के उपनेता की हैसियत से बोल रहे थे, उनके पहले के नेता के विचार जिस प्रकार के रहे हैं उनको मैंने सदन के सामने रखा और जो आयोग की रिपोर्ट में लिखे हुये हैं। यदि अब उनके विचार बदल गये हों, तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं, भी इस रिपोर्ट के विचारों से ही अपनी सहमति प्रकट करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुझाव माननीय बलवानसिंह जी ने इस समय दिये हैं वे आज के जमाने में प्रैक्टिकेबुल प्रतीत नहीं होते। आज यदि हम उनके विचारों के अनुसार कार्य करेंगे तो जिस दिशा में हम पुलिस से जो कार्य लेना चाहते हैं उस कार्य को लेने में हम असमर्थ रहेंगे और इसलिये मैं उनके इस सुझाव के विषय में उनको धन्यवाद देते हुये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सुझाव के ऊपर इस पुलिस आयोग ने स्वतः विचार कर लिया है और इस प्रकार के विचार उसने प्रकट किये हों उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिये वे कोई आकांक्षा प्रकट न करें इसलिये कि उसको अमल में लाया नहीं जा सकता। हो सकता है कभी जमाना आये कि जब सारा स्टेट विदर अवे हो जाय और छोटे-छोटे निकायों द्वारा सारे समाज का ढांचा चलाया जाय। तब शायद छोटी-छोटी जगहों पर पुलिस की छोटी-छोटी टुकड़ियां कार्य कर सकें। वरना आज इस लम्बे-चौड़े प्रदेश में जबकि उन्हीं के शब्दों में लालेसनेस बढ़ रही हो, यदि हम इस व्यवस्था को अपना लेंगे तो इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने ही यह शिकायत की थी कि क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और बावजूद इसके कि वे सही रूप में दर्ज हो रहे हैं उनको पूरी तरह से इंवेस्टीगेट करने की हमारे पास ठीक और सही व्यवस्था नहीं है।

एक बात मैं आप के द्वारा सफाई के साथ कह देना चाहता हूं। यह ठीक है कि सारे क्राइम्स दर्ज होते हैं, लेकिन उन सबके लिये पुलिस के कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे सब का इंवेस्टीगेशन करें। उन्हें कानून ने भी अधिकार दे रखा है कि कुछ नान काग्नीजिबिल आफेन्सेस हैं, यदि वे समझते हैं कि कोई छोटा सा क्राइम हो गया है, तो वे उसका इन्वेस्टीगेशन न करें। बहुत से छोटे मोटे मारपीट के ऐसे क्राइम्स होते हैं ऐसे टेक्निकल आफेंस होते हैं जिनमें सब-इंसपेक्टरों को यह अधिकार दिये गये हैं कि वे यदि मुनासिब न समझें तो उनका इंवेस्टिगेशन न करें। आज जितनी संख्या में क्राइम्स दर्ज होते हैं उसके लिये उनकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे उन सभी के बारे में जांच करें, क्योंकि कानून ने उनको यह अधिकार दे रखा है। मैं उन दफाओं को आपके सामने रखने की जरूरत नहीं समझता कि जिनके अन्तर्गत उनको यह अधिकार हैं। लेकिन इस बात के लिये सरकार की तरफ से चेष्टा है कि क्राइम्स की जांच के लिये हम ऐसा प्रबन्ध करें, ऐसे आधुनिक तरीके अख्तियार करें जिसकी सिफारिश आयोग ने की है, । सरकार इस बात की कोशिश में है कि उन पुराने तरीकों को बदला जाय, उनमें तब्दीली की जाय। इस सम्बन्ध में आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं और उनकी तहत में हमने इस बजट के अन्दर कुछ ऐसी बातों को मन्जूर भी किया है जिनसे इन्वेस्टीगेशन में हमें सहायता मिलेगी। जैसा कि आयोग ने सिफारिश की है, हम एक फारेन्जिक साइन्स की लेबोरेटरी भी कायम करने जा रहे हैं और उसके लिये इस साल के बजट में एक लाख कुछ हजार रुपया भी रखा गया है। इस बात की भी कोशिश आज की जा रही है कि क्राइम्स को पकड़ने के लिये ऐसा इन्तजाम किया जाय जिससे जल्दी से जल्दी सब-इन्सपेक्टर्स स्थानों पर पहुंच सकें, आपने देखा होगा कि इस बजट में ११ लाख रुपया रखा गया है ऐसे साधनों के लिये जिससे वे एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जा सकें। आज हम पुराने साधनों को अलहदा करने जा रहे हैं। आज हम आधुनिक ढंग से अक्युज्ड को पकड़े जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिये हमने जगह

जगह वायरलेस सेट्स भी लगाने की व्यवस्था की है और उसके लिये रुपया मांगा है इस बजट में। साथ ही अपने इन कर्मचारियों को आधुनिक ढंग से इंवेस्टीगेशन करने की शिक्षा देने के लिये भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और उसके लिये भी हमने इस बजट में धनराशि रखी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इंवेस्टीगेशन के तरीकों में आधुनिकता लाना चाहते हैं, प्रगतिशीलता लाना चाहते हैं और वे ढंग अपनाना चाहते हैं जो आज विदेशों में अपनाये जा रहे हैं। इस दिशा में बढ़ने की हम उत्तरोत्तर चेष्टा कर रहे हैं।

हम आपसे इसमें एक मत हैं कि इन्वेस्टीगेशन के तरीकों में तब्दीली होनी चाहिये। आपने जो यह सुझाव दिया कि इंवेस्टीगेशन की पुलिस अलग रखनी चाहिये, और ला एंड आर्डर की पुलिस अलग रहनी चाहिये। उस सिलसिले में भी हमने एक-एक लाख की आबादी वाले शहरों में इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी हमने करीब ७० सब-इंसपेक्टर्स इस कार्य के लिये रखे थे, परन्तु वे फिर उन्हीं कार्यों में लगा दिये गये जो कि नार्मली थानों के अधिकारी गण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं, किन्तु उसको अपनाने के लिये भी धन की आवश्यकता है, साधनों की भी आवश्यकता है और इस साल बजट में सवा करोड़ रुपया अधिक तनख्वाहों के अलावा एपरेटस इत्यादि के लिये मन्जूरी के लिये रखा जा रहा है। तो वह जो रकम रखी गई है वह इसी उद्देश्य से रखी गई है कि हम नये ढंग के इंवेस्टीगेशन्स अपने बीच में चालू करें।

आपने अपने सुझाव में कहा कि चौकीदारों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये, उसको केवल पांच रुपया बरसों से दिया जा रहा है। इस विषय में भी आयोग ने विचार किया और उसने स्वतः सिफारिश की है कि चौकीदार को हटाकर ग्राम रक्षक दल की नियुक्ति होनी चाहिये और उसको २५-३० रुपये तनख्वाह देनी चाहिये। वह ग्राम रक्षक प्राइमरी कक्षा तक पढ़े हुये नौजवान होने चाहिये और वह ग्राम रक्षक समिति के तहत में काम करें। अभी इस विषय में निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि यदि २५-३० रुपया वेतन दिया जायगा तो उसके लिये हमें पहले बजट में सवा करोड़ रुपया जुटाना पड़ेगा। वह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

आपने यह भी शिकायत की कि आर्म्स ऐक्ट को और लिबेलाइज नहीं किया गया और लोगों को लिबल ढंग से आर्म्स इत्यादि नहीं दिये गये, यद्यपि पिछले १०-१२ वर्षों में इस सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हुये हैं और काफी लोगों को आर्म्स दिये गये हैं। हम और आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले आर्म्स पाने में काफी अड़चने थीं, केवल पैसे वाले, जमीन्दार और प्रभावशाली लोग ही आर्म्स पा सकते थे, परन्तु आज वह बात नहीं है। आज जो व्यक्ति आर्म्स को सुरक्षित ढंग से रख सकता है, विश्वास पात्र है और उन का दुरुपयोग नहीं करता वह आसानी से आर्म्स पा सकता है। और जो १९५९ का नया आर्म्स ऐक्ट बना है उसके तहत में बहुत से नियम बनने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार, जैसी कि उसकी नीति है, आर्म्स के देने में और भी लिबलाइज्ड दृष्टि कोण अपनायेगी जिससे अधिक संख्या में लोग आर्म्स पा सकेंगे। विलेज सोसायटीज को आर्म्स देने की हमारी नीति इस विश्वास पर आधारित है कि हम ग्राम निवासियों को अपनी रक्षा करने के लिये आर्म्स दें और कई जिलों में सोसायटीज के सदस्यों को लिबली आर्म्स दिये गये हैं। तो आर्म्स देने के विषय में हमारी नीति यह रही है कि गांव के निवासी पुलिस की अपेक्षा स्वयं, यदि कोई उनके पैसे का अपहरण करना चाहता है या उनकी जान खतरे में डालता है, अपनी और अपने पड़ोसियों की मदद करें और सभी मिलजुल कर उस व्यक्ति का मुकाबला करें। इस विषय में हमारी नीति ऐसी रही है कि लिबल ढंग से हम लोगों को आर्म्स मुहैया करें, लेकिन आप और हम जानते हैं कि आर्म्स ऐक्ट केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है और उसी का बनाया हुआ जो अधिनियम है उसी के तहत में नियम जो बनेंगे उनके अनुसार आर्म्स दिये जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि आने वाले महीनों में कदाचित नियम बन जायेंगे और नियमों के तहत में आसानी से लोग आर्म्स पा सकेंगे।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जहां तक यह बात है कि आई० पी० एस० और आई० ए० एस० वालों की तनख्वाह तो बढ़ा दी जाती है, लेकिन चौकीदार की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती तो जैसा कि मैंने अभी बताया उनकी तनख्वाह का विषय कमीशन की सिफारिश से जुड़ा हुआ है। आयोग ने जो सिफारिश की है कि ग्राम रक्षक नियुक्त किये जांय जब हम उनकी उस सिफारिश पर निर्णय ले लेंगे तभी हम यह तय कर सकेंगे कि आज चौकीदार का जो सिस्टम है उसको रखना है या नहीं। जब हम ग्राम रक्षक को रखने का निर्णय लेंगे तब हम देखेंगे कि क्या हम उतनी धनराशि निकाल सकते हैं जिससे उतनी संख्या में हम ग्रामरक्षक रख सकें जितनी संख्या में रखने के लिये आयोग ने अपना विचार प्रकट किया है।

यह एक शिकायत भी की गयी कि दफा १०९, ११० के मुकदमे बहुत भारी मात्रा में लोगों पर चलाये जाते हैं और उनके द्वारा लोगों को सताया जाता है तथा परेशान किया जाता है। १९६२ के साढ़े तीन महीने के आंकड़े मेरे पास आये हैं, उनको देखकर सदन से यह कहने की धृष्टता मैं कर सकता हूं, यदि ये आंकड़े सही हैं तो उनकी बुनियाद पर यह कैसे कहा जाता है कि ७ करोड़ ३८ लाख की आबादी वाले प्रदेश में लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, लोगों के साथ जबर्दस्ती हो रही है। मैं कहूंगा कि यह भ्रांति है क्योंकि साढ़े तीन महीनों में १९२० केसेज में दफा १०९ के तहत लोगों से मुचलका लिया गया है और २८८ केसेज में दफा ११० के हैं। इतनी बड़ी जन संख्या वाले प्रदेश में इतनी कम संख्या में लोगों पर मुकदमा चलाया हो तो फिर यह कैसे माना जा सकता है कि लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है।

एक ओर कहा जाता है कि लालेसनेस बढ़ रही है, दूसरी ओर यह तर्क दिया जाता है कि पुलिस को बड़े भारी अधिकार दिये गये हैं, उनको ले लिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी लालेसनेस को रोकने वाला कौन सा अंग है जो उसको राज्य की ओर से रोकने की क्षमता अपने अन्दर रखता है, सिवाय पुलिस के। मैं आज यह तो नहीं कह सकता कि उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन बावजूद उस खराबी के, उन दोषों के मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप के पास कोई ऐसी संस्था है जो लालेसनेस का मुकाबला कर सके। लालेसनेस बढ़ती जा रही है और उसके रोकने वाले तत्वों को आप अधिकार नहीं देना चाहते हैं, इस प्रकार की दो विरोधी बातें चल नहीं सकतीं। आप को लोगों की रक्षा के लिये पुलिस को रखना होगा और उसको अधिकार देने ही होंगे। तभी वह लालेसनेस का मुकाबला भी कर सकती है। इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि बजाय इसके कि पुलिस से आप अधिकार छीन लें, आप पुलिस में आमूल सुधार लायें। आप ऐसी चीज कीजिये जिससे जो पुलिस में कुरीतियां हैं वे दूर हो जांय। आज हमने जो उनकी तनख्वाहों में वृद्धि की है उसका मुख्य उद्देश्य तो यही है। आयोग ने यही सिफारिश की थी कि पुलिस के कर्मचारियों में जो यह बुरी बात देखी जाती है उसका कारण यही है कि उनकी तनख्वाहें कम हैं, अन्य सेवाओं के मुकाबले में कम हैं। इसी लिये हमने उनकी तनख्वाहों में वृद्धि करने का प्रयास किया है। उस कमजोरी के लिये हम उनसे तभी लड़ सकते हैं जब हम उतनी मात्रा में उनकी तनख्वाहें दें जिससे उनकी आवश्यकतायें पूरी हो सकें। आज भी जो तनख्वाहें हमने स्वीकार की हैं वह भी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं वह भी काफी मात्रा में उनकी दिक्कतों को रफा करने में उनको सहायता प्रदान करेंगी। इसी लिये हमने उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने का निर्णय किया। आज जो मैंने यह बताया कि हमने जो नयी सुविधायें जांच करने की स्थापित की हैं और स्थापित करने जा रहे हैं उनके तहत में जहां हमने उनको आने-जाने के साधन दिये हैं, मोटर साइकिलें दी हैं, मोटरें दी हैं, बड़े वाहन दिये हैं, टेलीफोन वायरलेस आदि दिये, वहां उन सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि क्राइम्स को जल्द से जल्द आंका जा सके, जांचा जा सके और वे व्यक्ति जो क्राइम्स करते हैं वे जल्द से जल्द पकड़े जा सकें हमारा उस दिशा में जाने का प्रयत्न है और उस प्रयत्न के द्वारा ही सारी कमजोरियों और खामियों पर हम विजय पा सकते हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि ऐसे अवसर भी हमारे प्रदेश में आये हैं, और भी आने की सम्भावना है जबकि साम्प्रदायिक तत्व प्रदेश में फिर सिर उठाने की चेष्टा करें। तो उन साम्प्रदायिक तत्वों से भिड़ना पुलिस का कर्तव्य है और उन तत्वों से भिड़ने में वे सब कार्य करने हैं जिससे साम्प्रदायिकता को हम अपने प्रदेश में दबा कर रख सकें और देश की एकता को नुकसान न पहुंचने दें। आज कौन नहीं जानता कि साम्प्रदायिकता के विचार हमें कमजोरियों की तरफ ले जाते हैं, जाति-पांति का प्रश्न हमें गणतंत्र की परम्पराओं से दूर फेंकता है। पुलिस को बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जब कि उसे साम्प्रदायिक तत्वों का मुकाबला करना पड़ता है और मुझे इस बात को कहने में गौरव का अनुभव होता है कि पिछले वर्ष जबकि साम्प्रदायिक तत्वों ने सिर उठाने की चेष्टा की और साम्प्रदायिकता का वातावरण प्रदेश में फैलाने का प्रयास किया तो पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों ने विभिन्न अधिकारों के अंतर्गत उन तत्वों से भिड़ना मंजूर किया और भिड़ने में कोई अवसर नहीं आने दिया कि जिस अवसर पर कोई फायरिंग करने का अवसर उन के बीच में आया हो। अलीगढ़ में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगा हुआ, चन्दौसी, मेरठ में दंगे हुए, परन्तु क्या किसी अवसर पर पुलिस ने फायरिंग रिसोर्ट किया। जहां तक फायरिंग रिसोर्ट करने का विषय है मैं कह देना चाहता हूं कि न तो इस प्रदेश की सरकार की नीति ही है कि अनायास लोगों पर गोली चला दे, और न पुलिस अधिकारियों को उसकी यह आज्ञा है कि वह बिना सब और जरियों को इस्तेमाल किये ऐसा करदे, फायरिंग को प्राथमिकता दे। सरकार का यह आदेश है और नियमों में भी यह बात लिखी है कि जब कभी ऐसा अवसर आये कि जब लोग या माब सरकार या व्यक्ति की प्रापर्टी को क्षति पहुंचाना चाहें या माब किसी मकान में आग लगाना चाहे, जब माब बहुत से लोगों के हितों पर कुठाराघात करना चाहे तब हौज पाइप, लाठी चार्ज और टियर गैस से काम न चले और माब हटे नहीं उसी वक्त और जब सारी व्यवस्था अव्यवस्थित ढंग में परिवर्तित होने वाली हो तब अधिकारी फायरिंग पर रिसोर्ट करे। जब भी वह फायरिंग का रिसोर्ट करें तो वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुये अपने डिसक्रिशन को इस्तेमाल करते हुये जनता के हितों की रक्षा करें।

हम यह कब पसन्द करते हैं कि हमारी पुलिस को किसी व्यक्ति पर या समुदाय पर गोली चलानी पड़े, लेकिन ऐसे मौके आ जाते हैं कि जब यह अनप्लेजेंट टास्क पुलिस को मजबूरन करना पड़ता है। यदि हम आज उस अधिकार को पुलिस से वापस ले लें तो किस प्रकार की अव्यवस्था हमारे बीच में फैलेगी उस का अनुमान क्या हम नहीं कर सकते हैं? माननीय बलवानसिंह जी या किसी ने सुझाव दिया कि जब कभी इस तरह की फायरिंग की बात आये तो गांव या शहर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिगण से जाकर सलाह कर ले कि क्या करें। जब हमला हो रहा हो, आग लगाई जा रही हो, लोगों के हितों पर कुठाराघात हो रहा हो तो पुलिस के अधिकारी या मैजिस्ट्रेट जाकर लोगों से कहें क्या यह सम्भव है, क्या यह मुमकिन बात है? यदि इस तरह की मनगढ़ंत बातें अपने मन में बना ली जांय और उनको यहां सुझाव के रूप में पेश करें तो यह चीज हमें वास्तविकता की ओर नहीं ले जाती, हम इनसे किसी असलियत पर नहीं पहुंच सकते। उस अवसर पर जबकि माब किसी तरह से काबू में न आता हो और किसी की बात को न मानता हो तो हम उस अधिकारी से जनहित में अवश्य यह आशा करते हैं कि वह इमानदारी से कर्तव्य का पालन करते हुये यदि फायरिंग का आर्डर भी देता है तो हमें उससे गुरेज नहीं करना चाहिये।

जब भी फायरिंग हो तो उस के बाद अवश्य ही जुडीशियल इन्क्वायरी कराई जाय यह बात यहां उठाई गयी। पुलिस आयोग ने इस सम्बन्ध में अपनी राय दी थी और उस आयोग में उधर के उस समय माननीय नारायणदत्त जी तिवारी भी थे और दूसरे सदस्य इस माननीय सदन के थे और अध्यक्ष महोदय स्वयं आप भी उस आयोग के सदस्य थे। उन्होंने अपना मत प्रकट किया और उन्होंने साफ-साफ कहा है कि "हमारी राय है कि गोली चलाने के सभी मामलों पर स्वतः न्यायिक जांच का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिये। इस प्रकार की नीति से पुलिस का मनोबल गिर जाने और कार्य रुक जाने की सम्भावना रहती है। कोई भी अधिकारी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

स्वच्छता से कार्य नहीं कर सकता यदि उसे यह डर बना रहे कि उसके कार्यों को न्यायालय कक्ष के शान्त वातावरण में बैठे हुये न्यायधीश द्वारा सूक्ष्म परीक्षा की जायगी।

यह उस आयोग की राय है और उस राय में जैसा कि मैंने कहा उपनेता, प्रजा सोशलिस्ट दल की भी राय शामिल है। इस विषय में जब जब यहां जुडीशियल इन्क्वायरी की चर्चा उठी है तो मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं और सरकार के गृह मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और अभी जब पिछली बार जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग की गयी थी तो मैंने उस वक्त उस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसलिये नहीं कि मैं कोई जुडीशियल इन्क्वायरी का विरोधी हूं, लेकिन जब तथ्य हमारे सामने थे तो मैंने यह अध्ययन कर लिया कि वह तथ्य ऐसे हैं कि जिन से अध्ययन करके कमिश्नर महोदय अपना निर्णय दे सकते हैं तो कोई कारण नहीं था कि हमेशा हाई कोर्ट के जज की इन्क्वायरी की मांग करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आज जजों की हमारे हाईकोर्ट में कमी है और कितने ही मुकदमे फैसल होने के लिये वहां पड़े हुये हैं। रोज वहां से चीफ जस्टिस की मांग होती है कि हाईकोर्ट के जजेज बढ़ाये जायं अगर हम बार बार हर मामिले में इस प्रकार हाईकोर्ट के जजों को मांगेंगे तो जो मुकदमे वहां अर्से से तय होने के लिये पड़े हुये हैं उनकी संख्या और बढ़ जायगी। इसके अलावा न हम जुडीशियल इन्क्वायरी से किसी अन्य नतीजे पर ही पहुंच सकते हैं। इलाहाबाद और कानपुर के मामलों में जुडिशियल इन्क्वायरी करायी गयी और आपने यह देख लिया कि उसका क्या नतीजा हुआ। दोनों में यही नतीजा निकला कि फायरिंग जस्टीफाइड थी। हाई कोर्ट के जज ने और बोर्ड आफ रेवेन्यू के माननीय सिद्दीक हसन ने भी कानपुर के मामले में यही राय दी कि फायरिंग जस्टीफाइड थी। तो बराबर इस बात की मांग कि जुडीशियल इंक्वायरी हो उसके पीछे क्या मानी हैं? इन अधिकारियों में जिनको इन्क्वायरी हम देते हैं कमिश्नर भी एक व्यक्ति है हाई कोर्ट के जज की तरह वह भी एक तजुर्बेकार आदमी होता है। क्या उससे हम यह आशा नहीं कर सकते कि वह तथ्य पर पहुंचने की चेष्टा करेगा?

[* * * *]

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—उसे तो मैं अपने अधिकार से ही कर सकता हूं। सदन का समय सवा ५ बजे तक या उसके पूर्व जब तक कार्य समाप्त हो जाय, बढ़ा दिया गया।

[* * * *]

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह कह रहा था कि पुलिस में दोष हैं, खराबियां हैं वे अभी मिटी नहीं हैं। इस बात को मानते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर को पुलिस तो हमें रखनी ही है, हमें उसके द्वारा शासन चलाना है, समाज में उन गलत तत्वों से भिड़ना है जो कि समाज में खराबियां पैदा करते हैं। हमारा यह परम कर्तव्य है कि उन तत्वों से भिड़ कर अपने बीच में एक स्वस्थ्य वातावरण पैदा करें जिससे कि जो दोष पुलिस में हैं उन्हें उत्तरोत्तर हटायें। क्या हमारा आयोग की सिफारिशों के उपर अमल करना हमें उस दिशा में ले जाने वाली प्रगति का परिचायक नहीं है जिधर हम चलना चाहते हैं। बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब कि पुलिस को सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से भिड़ना पड़ता है जो सार्वजनिक जीवन में अपने विचारों को रखना चाहते हैं, परन्तु जिन विचारों के सम्बन्ध में यह राय बतायी जा सकती है कि वे शासन और कानून को तोड़ने वाले हैं। पुलिस को उनसे भिड़ना पड़े और जनता की अप्रियता उसे कमानी पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जब विभिन्न विचार धाराओं को हम व्यक्त करते हैं और उन विचारधाराओं की तहत में हम काम करते हैं और कानून को हाथ में लेते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के मुकाबले में पुलिस को आना पड़ता है और अपने कर्त्तव्य का पालन करना पड़ता है।

[* * * *] श्री अध्यक्ष के १७ मई, १९६२ के आदेशानुसार हटा दिया गया।

ऐसे बदलते हुये समय में यदि हमें पुलिस के बीच से उसके दोषों और खराबियों को हटाना है तो हमें उससे सहयोग करना होगा। पुलिस की आलोचना करने से वह अच्छी नहीं हो जायगी। वह अच्छी होगी हम सब के मेलजोल से, वह अच्छी होगी हमारी सद्भावना से। वह ठीक बनेगी अपनी बुरी बातों को हटायेगी, जब हम अपने उत्तरदायित्व को सही तरीके से निभाने की चेष्टा करेंगे।

मैं इस अवसर पर क्या माननीय सदस्यों से यह आशा प्रकट करूं कि वे हमारे इस प्रयास के साथ पूरा सहयोग करेंगे जिसके तहत में हम उत्तरोत्तर पुलिस की कमियां और खामियां दूर करना चाहते हैं और साथ ही क्या हम उस सहयोग की आशा करें जिसकी आने वाले महीनों में और वर्षों में हमें भारी आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहां साम्प्रदायिकता के बादल उमड़ रहे हैं और उनसे भिड़ने के लिये कोई हमारा सहायक बन सकता है तो वह पुलिस ही है और वह पुलिस उत्तम ढंग से कार्य कर सकेगी जब हम उसको अपना सहयोग देंगे और उसके साथ अपनी सद्भावना रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जिस अनुदान को मैंने सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया है उसको वे अपनी स्वीकृति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय बलवानसिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव को इस सदन के समक्ष रखूंगा और इस कटौती के प्रस्ताव में अन्य जो कटौती के प्रस्ताव हैं वे समाविष्ट समझे जायंगे।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—पुलिस के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १५—पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८, ७५,५०,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
४ मई, १९६२।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—७३ एल० ए०—१९६२—८४५।